वर्ष : 14 अंक : 1 जनवरी 2016 ₹ 10

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

26 जनवरी 2016 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर प्रदर्शित डॉ. अम्बेडकर की झांकी

2016

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

CALENDAR 2016

JANUARY

M	T	W	T	F	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

26 Jan : Republic Day

FEBRUARY

M	T	W	T	F	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29						

MARCH

M	T	W	T	F	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

24 March : Holi; 25 March : Good Friday

APRIL

M	T	W	T	F	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

14 April : Babasaheb Dr. Ambedkar Jayanti
15 April : Ram Navami; 20 April : Mahavir Jayanti

MAY

M	T	W	T	F	S	S
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

21 May : Buddha Purnima

JUNE

M	T	W	T	F	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Gazetted Holidays
Restricted Holidays

पत्रिका के पाठक सदस्यता हेतु एक वर्ष - 100/-, द्विवार्षिक 180/-, त्रैवार्षिक 250/-का डिमांड ड्राफ्ट
अथवा मनीऑर्डर ''डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन'' के नाम देय हो। फाउंडेशन के पते पर भेजें या कार्यालय में नकद जमा करवायें
15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 के नाम डिमांड ड्राफ्ट भेजें। फोन: 011-23357625, 23320588

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

वर्ष : 14 ★ अंक : 1 ★जनवरी 2016 ★ कुल पृष्ठ : 60

सम्पादक
सुधीर हिलसायन

सम्पादक मंडल
चन्द्रवली
प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा
डॉ. प्रभु चौधरी

सम्पादकीय कार्यालय
सामाजिक न्याय संदेश
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
15 जनपथ, नई दिल्ली-110001
सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320588
सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-23357625
फैक्स : 011-23320582
ई.मेल : hilsayans@gmail.com
editorsnsp@gmail.com

वेबसाईट: www.ambedkarfoundation.nic.in
(सामाजिक न्याय संदेश उपर्युक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है)

व्यापार व्यवस्थापक
जगदीश प्रसाद

प्रकाशक व मुद्रक **जी.के. द्विवेदी**, निदेशक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के लिए इंडिया ऑफसेट प्रेस, ए-1, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली 110064 से मुद्रित तथा 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित व **सुधीर हिलसायन**, सम्पादक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा सम्पादित।

सामाजिक न्याय संदेश में प्रकाशित लेखों/रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। प्रकाशित लेखों /रचनाओं में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखकों /रचनाकारों का है। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए भी सामाजिक न्याय संदेश उत्तरदायी नहीं है। समस्त कानूनी मामलों का निपटारा केवल दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र एवं न्यायालयों के अधीन होगा।

RNI No. : DELHIN/2002/9036

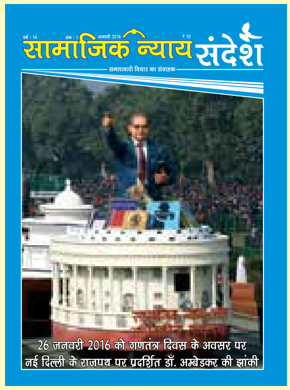

26 जनवरी 2016 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर प्रदर्शित डॉ. अम्बेडकर की झांकी

इस अंक में

❖ सम्पादकीय/125वीं जयंती... और 66वां गणतंत्र दिवस — सुधीर हिलसायन — 2

❖ विशेष लेख / वयस्क मताधिकार की अवधारणा — कन्हैयालाल चंचरीक — 4

❖ बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती और सामाजिक न्याय — बी.एल. परमार — 7

❖ गणतंत्र दिवस 2016 पर भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का राष्ट्र के नाम संदेश — 11

❖ 'अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सम्बोधन — 14

❖ 27 दिसम्बर, 2015 को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्बोधन — 18

❖ पुस्तक अंश/कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया — डॉ. बी.आर. अम्बेडकर — 23

❖ भारतीय संविधान में राजभाषा हिन्दी — डॉ. प्रभुलाल चौधरी — 37

❖ पुस्तक अंश/डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर – जीवन चरित — धनंजय कीर — 42

❖ कहानी/कामचोर — विपिन बिहारी — 51

ग्राहक सदस्यता शुल्क : वार्षिक ₹ 100, द्विवार्षिक : ₹ 180, त्रैवार्षिक : ₹ 250

*डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर **डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन**, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 के नाम भेजें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।*

सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320588 सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-23357625

सम्पादकीय

125वीं जयंती...

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारत की राजधानी नई दिल्ली में मुख्य समारोह भव्यता के साथ मनाया जाता है। देश के विभिन्न भागों से प्रबुद्ध व आमजन इस समारोह की शोभा बढ़ाते हैं। हमारी सेनाओं के सुरक्षा प्रहरी परेड निकाल कर, अपनी आधुनिक सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, वे देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध होते हुए किस प्रकार सुरक्षा में सक्षम हैं, इस बात का भी हमें विश्वास दिलाते हैं। परेड विजय चौक से प्रारम्भ होकर राजपथ से होते हुए लाल किले पर जाकर समाप्त हो जाती है। गणतंत्र दिवस समारोह परेड व झांकियों के लिए महीनों पूर्व तैयारियां शुरू हो जाती है। 26 जनवरी के पूर्व 23 जनवरी को कार्यक्रम का जो पूर्वाभ्यास होता है, उसमें भी हजारों की संख्या में लोग बड़े उत्साह से शिरकत करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री 'अमर जवान ज्योति' पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

महामहिम राष्ट्रपति अपने अंग रक्षकों के साथ 14 घोड़ों की बग्घी में बैठकर इंडिया गेट पर आते हैं, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय धुन के साथ ध्वजारोहण होता है, उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है, वायुयान द्वारा पुष्पवर्षा की जाती है। आकाश में तिरंगे गुब्बारे और सफेद कबूतर छोड़े जाते हैं। जल, थल, वायु तीनों सेनाओं की टुकड़ियां, बैंड की धुनों पर मार्च करती हैं। पुलिस के जवान, विभिन्न प्रकार के अस्त्रों-शस्त्रों, मिसाइलों, टैंकों, वायुयानों आदि का प्रदर्शन करते हुए देश के महामहिम राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। 2016 के गणतंत्र दिवस परेड में इस बार फ्रांस के महामहिम राष्ट्रपति श्री फ्रोंस्वा ओलोंद मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए।

सैनिकों का सीना तानकर अपनी साफ-सुथरी वेशभूषा में कदम से कदम मिलाकर चलने का दृश्य बड़ा मनोहारी होता है। इस भव्य दृश्य को देखकर मन में राष्ट्र के प्रति भक्ति तथा हृदय में उत्साह का संचार होना स्वाभाविक है। स्कूल, कॉलेज की छात्र-छात्राएं, एन.सी.सी. कैडेट सुसज्जित कदम से कदम मिलाकर चलते हुए इस बात का संदेश देते हैं कि आपातकालीन स्थिति में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारी दूसरी सुरक्षा पंक्ति तैयार है।

गणतंत्र दिवस का यह राष्ट्रीय पर्व दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही गौरव का अहसास दिलाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम स्वाधीनता संग्राम से जुड़े महापुरुषों को भी याद करते हैं। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में विभिन्न प्रकार के थीम राज्यों, सार्वजनिक उद्यमों, मंत्रालयों से संबद्ध परिस्थितियों एवं घटनाओं का चित्रण होता है। उपरोक्त झांकियों के चयन की एक लम्बी प्रक्रिया होती

और 67वां गणतंत्र दिवस

है, एक के बाद एक बैठकों के बाद अन्तिम चरण में पहुंचती है। पूर्व गणतंत्र दिवस समारोहों पर प्रदर्शित झांकियों के सूक्ष्म विश्लेषण के उपरांत कोई ऐसी झांकी जो पूरी तरह डॉ. अम्बेडकर के जीवन-दर्शन को समर्पित हो, कभी दिखाई गई हो, स्मरण नहीं आता। जबकि संविधान के निर्माण में अहम् भूमिका अदा करने वाले बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर से संबंधित झांकी हर वर्ष राजपथ पर झांकियों के बीच में शुमार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत के प्रयास से डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में 67वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर डॉ. अम्बेडकर के जीवन-दर्शन को समर्पित झांकी प्रदर्शित की गई। यहां यह बताना समाचीन होगा कि यह झांकी देशवासियों के बीच में चर्चा का विषय रही। सोशल मीडिया पर भी यह झांकी लोगों के बीच में सराही गई। सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका के मुख पृष्ठ पर प्रदर्शित तस्वीर सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय की झांकी की ही है।

मंत्रालय की झांकी में डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर के जीवन-दर्शन को झांकी का विषय-वस्तु बनाया गया है। डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर जिन्हें आदर से बाबासाहेब के रूप में जाना जाता है, एक महान दार्शनिक, विद्वान, सांसद, वक्ता, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं लोकतांत्रिक परंपरा को स्थापित करने में अहम् भूमिका निभाई। कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स के सुविख्यात इस विद्यार्थी ने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। समाज में कमजोर वर्गों को उनके सम्यक अधिकार देने हेतु हमारे वर्तमान प्रयासों के वे प्रेरक हैं। उन्होंने समानता की अवधारणा को अंगीकार किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। संविधान आलेखन समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नई राज्य व्यवस्था में पैदा होने वाली आवश्यकता को ध्यान में रखा। कृतज्ञ राष्ट्र इस महान विभूति के सम्मान में 125वीं जयंती वर्ष को बहुत धूमधाम से मना रहा है।

सुधी पाठकों, लेखकों व सामाजिक न्याय परिवार के सभी सदस्यों को नव वर्ष 2016 की शुभकामनाएं!

(सुधीर हिलसायन)

"पूर्व गणतंत्र दिवस समारोहों पर प्रदर्शित झांकियों के सूक्ष्म विश्लेषण के उपरांत कोई ऐसी झांकी जो पूरी तरह डॉ. अम्बेडकर के जीवन-दर्शन को समर्पित हो, कभी दिखाई गई हो, स्मरण नहीं आता। जबकि संविधान के निर्माण में अहम् भूमिका अदा करने वाले बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर से संबंधित झांकी हर वर्ष राजपथ पर झांकियों के बीच में शुमार किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत के प्रयास से डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में 67वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर डॉ. अम्बेडकर के जीवन-दर्शन को समर्पित झांकी प्रदर्शित की गई। यहां यह बताना समाचीन होगा कि यह झांकी देशवासियों के बीच में चर्चा का विषय रही। सोशल मीडिया पर भी यह झांकी लोगों के बीच में सराही गई। सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका के मुख पृष्ठ पर प्रदर्शित तस्वीर सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय की झांकी की ही है।"

वयस्क मताधिकार की अवधारणा

■ कन्हैयालाल चंचरीक

जहां डॉ. अम्बेडकर विरचित भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं प्रत्येक वयस्क नागरिक देश की सरकार चुनने के लिए वोट देने का पात्र है। धर्म, वंश, जाति, लिंगभेद के साथ-साथ हैसियत को समाप्त कर दिया गया है। जन्म से प्रत्येक अमीर-गरीब स्वत: नागरिकता प्राप्ति के लिए सक्षम है, लोकसभा, विधानसभा के चुनावों में मत देने के लिए स्वतंत्र है। यह अधिकार उन्हें संविधान प्राप्त कराता है। इसके लिए सिर्फ अधिकृत मतदाता सूची में नाम आना आवश्यक है।

हजारों साल तक भारत टुकड़ों में बंटा रहा। धर्म, जाति में बंटा रहा। चक्रवर्ती सम्राटों का शासन रहा जो तानाशाह थे, राजा-महाराजा, सामंत, जमींदार, नवाबों, सल्तनतों का दौर रहा। जो शोषण आखिरी दौर में मुगल बादशाहों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ताज या साम्राज्यवाद को भारतवासियों ने झेला और अंतत: क्रांतिकारियों की कुर्बानियों, लोक संघर्षों, स्थानीय दलित-आदिवासी की क्रांतियों, सिविल-डिसओबीडियेंस के दीर्घ संघर्ष के बाद भारत ने आजादी पाई और डॉ. अम्बेडकर जैसे मनीषी ने वयस्क मताधिकार की व्यवस्था द्वारा भारत को लोकतंत्र को दृढ़ता प्रदान की। वैसे संविधान निर्माण परिषद का हमें ऋणी होना चाहिए जिनकी पूर्ण सहमति थी।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चलते देश राजा-रजवाड़ों, सामंतों, जमींदारों, नवाबों, सेठों-साहूकारों, देश पूंजीपतियों के कब्जे में था। अस्पृश्यता का बोलबाला था। अछूतों पर पांच हजार साल से पीढ़ी दर पीढ़ी जो नियोग्यताएं लादी गई थीं उससे उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शोषण जारी था। 1947 में आजादी मिलने और स्वतंत्र भारत का संविधान बनने से वयस्क नागरिक को जो गरिमा और स्वातंत्र्य अधिकार प्राप्त हुए वह इतिहास की अभूतपूर्व घटना है। इसका समस्त श्रेय डॉ. अम्बेडकर को ही जाता है।

संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता को परिभाषित किया गया। धारा 5 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि ''जो व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और (क) जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या (ख) जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या (ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक

पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हे, भारत का नागरिक होगा।''

धारा 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से पव्रजन करने वाले व्यक्तियों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की गई जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रव्रजित हो चुके थे। यह भारत विभाजन का बहुत भयावह प्रतिफल था।

देश के वंचित वर्गों, हाशिए पर पहुंचे लोगों, अन्य पिछड़ी जातियों, शूद्रों और पूर्व अस्पृश्य जातियों को जो समाज से टूटे, मुख्यधारा से अलग प्राणी थे उन्हें डॉ. अम्बेडकर ने समता के अधिकार प्रदान किए। संविधान ने अस्पृश्यता के कलंक को मिटा दिया।

संविधान की धारा 14 के अंतर्गत, राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात् सभी भारतवासी कानून की दृष्टि में समान होंगे।'' देश की समता-एकता की दिशा में बड़ा कदम था।

धारा 15 के अंतर्गत ''धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। इसमें कहा गया (1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा।

धारा 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया जबकि धारा 15 के अंतर्गत भाग (4) में यह भी स्पष्ट कहा गया कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29(1) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

संविधान की धारा 51क के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक के मूल कर्त्तव्य भी निर्धारित किए गए। इसके अंतर्गत कहा गया कि (क) संविधान का पालन करे और उसके अभ्यदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे; (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसत्ता, और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे- जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है आदि-आदि। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अंतर्गत जो 18 वर्ष से बड़ा है जिसे वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया उससे राष्ट्र के व्यापक हित में कर्तव्य पालन की भी उम्मीद की गई। ये सब राष्ट्र की दृढ़ता और उत्कर्ष के आधार बिन्दु हैं।

संविधान की धारा 51क के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक के मूल कर्त्तव्य भी निर्धारित किए गए। इसके अंतर्गत कहा गया कि (क) संविधान का पालन करे और उसके अभ्यदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे; (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसत्ता, और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे- जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है आदि-आदि।

(संविधान की धारा 326 के अंतर्गत प्रत्येक व्यस्क नागरिक को लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार ने करोड़ों देशवासियों को प्रजातंत्र के उस स्वरूप को सुनिश्चित कर दिया जिसके अंतर्गत सरकार चुनने का उसे अधिकार प्रदान किया गया था।)

इस धारा में स्पष्टतया कहा गया ''लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा था उसके अधीन इस निमित्त नियम की जाए, कम से कम (अठारह वर्ष) की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीनः अनिवास, चित्तविकृति, अपराध, या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अन्यथा

निरर्हित नहीं किया जाता है वे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में ------। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक जो वयस्क है मत देने का अधिकारी बना। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू किया गया। तत्पश्चात् देश में मतदाता सूचियों का कार्य तेजी से शुरू हो गया ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ध्वज यूनियन बैंक 14 अगस्त 1947 की अर्द्धरात्रि में संसद भवन से उतार दिया गया और उसकी जगह तिरंगे ने ले ली थी। 15 अगस्त 1947 से सत्ता हस्तांतरण के फलस्वरूप संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई।

प्रोवीजनल पार्लमेंट को ही विधिवत् विधान निर्मात्री परिषद (कान्स्टीट्यूशन एसेम्बली) में बदल दिया गया।

डॉ. अम्बेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वहीं उन्होंने व्यक्ति स्वातंत्र्य, व्यक्ति की गरिमा, अमेरिका में बसी यूरोपीय जातियों में परिव्याप्त समरसता के अभूतपूर्व आदर्शों तथा अफ्रीकन नीग्रोज़ के मध्य पारस्परिक दृढ़ होते सौहार्द को बड़ी निकटता से देखा-परखा था। उन्हें पूरी तरह यह भी ज्ञात था कि भारत में बसे करोड़ों अस्पृश्य जाति के लोग पांच हजार साल से उच्च वर्णों की थोपी हुई निर्योग्यताओं और अस्पृश्यता के कारण गुलामों से भी बदतर जिन्दगी जी रहे हैं जिन्हें मुक्ति दिलाना, नागरिक अधिकार प्रदान करना, मुख्यधारा में जोड़ने के लिए संवैधानिक तरीके से एक लंबी लड़ाई लड़नी है।

उन्होंने अमेरिका और तत्पश्चात् ब्रिटेन में उच्च शोध अध्ययन के पश्चात् सन् 1925-26 से 1946 के बीच भारत में दलित मुक्ति तथा --- वंचित वर्गों की मुक्ति का जो आंदोलन छेड़ा वह भारत के इतिहास का एक प्रमुख अध्याय बना।

और इससे भी बड़ी बात जब उन्हें राष्ट्र के संविधान निर्माण का कार्यभार सौंपा गया तो इस गुरुतर भार को उन्होंने अपनी अनुपम बुद्धिमता, कानूनी अनुभव, विश्व के प्रमुख संविधानों के ज्ञान के आधार पर बड़ी योग्यता और सफलता के साथ पूरा किया जिसकी संविधान सभा के सभी सदस्यों ने तारीफें की, विश्व के संविधान विदों, पत्र पत्रिकाओं ने भी प्रशंसित किया।

डॉ. अम्बेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वहीं उन्होंने व्यक्ति स्वातंत्र्य, व्यक्ति की गरिमा, अमेरिका में बसी यूरोपीय जातियों में परिव्याप्त समरसता के अभूतपूर्व आदर्शों तथा अफ्रीकन नीग्रोज़ के मध्य पारस्परिक दृढ़ होते सौहार्द को बड़ी निकटता से देखा-परखा था। उन्हें पूरी तरह यह भी ज्ञात था कि भारत में बसे करोड़ों अस्पृश्य जाति के लोग पांच हजार साल से उच्च वर्णों की थोपी हुई निर्योग्यताओं और अस्पृश्यता के कारण गुलामों से भी बदतर जिन्दगी जी रहे हैं जिन्हें मुक्ति दिलाना, नागरिक अधिकार प्रदान करना, मुख्यधारा में जोड़ने के लिए संवैधानिक तरीके से एक लंबी लड़ाई लड़नी है।

संविधान सभा के वाद विवाद में यह सब उल्लेख मिलता है जिससे पूरा देश परिचित था।

डॉ. अम्बेडकर उच्च कोटि के मानवतावादी थे, दलित क्रांति के पुरोधा थे। दरअसल एक व्यक्ति एक वोट या वयस्क मताधिकार तथा संविधान में नागरिकता, समता, और मूलभूत अधिकारों की पहल उन्हें स्वातंत्र्य समतावादी दर्शन के प्रतिपादक प्लेटो और अरस्तू से --- करती है। मार्क्स को तो उन्होंने मार्क्सवाद को उन्होंने नकार दिया।

हजारों साल की दासता के बाद वंचित वर्गों को एक वोट, एक मूल्य अथवा मतदाता और सरकार गठन की समस्त प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर हमें संविधान प्रदान करता है। जिसके प्रमुख रचनाकार डॉ. अम्बेडकर थे। बाकी सदस्य हाथ उठाने वाले या फालतू बहसबाज थे।

संविधान के अंतर्गत समानता और स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों से लेकर वयस्क नागरिक के मूल कर्तव्यों तक का प्रावधान है जिन पर यहां संक्षिप्त में चर्चा की गई है। भारत सरकार ने और कुछेक राज्य सरकारों ने जिनमें दिल्ली सरकार प्रमुख है 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया था। इसका निहित संदेश यही था कि आज से 66 वर्ष पूर्व 26 नवंबर 1949 के दिन केन्द्रीय कानून मंत्री और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमेन की हैसियत से डॉ. अम्बेडकर ने संविधान की प्रथम प्रति संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सौंपी थी जिसके अंतर्गत भारत के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का प्रावधान किया गया। पूरे संविधान में भारत के प्रजातंत्र को गतिशील रखने की धाराएं पिरोई गई है।

वर्तमान केन्द्र सरकार ने इस ऐतिहासिक दिवस को एक यादगार बनाते हुए डॉ. अम्बेडकर के अभूतपूर्व कार्य को सुनहरे पृष्ठों में लिखने की पहल की है। ■

(लेखक वरिष्ठ चिंतक व विश्लेषक हैं)

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती और सामाजिक न्याय

■ बी.एल. परमार

महामानव बुद्धिष्ठ, भारतरत्न, डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू जिला-इन्दौर, म.प्र. में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। पिता सूबेदार रामजी सकपाल एवं माता भीमाबाई थी। आपका बचपन कष्टों से भरा रहा। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही भीम को माता की गोद एवं लाड़-प्यार से वंचित होना पड़ा। मां की मृत्यु से भीम दुखी और खिन्न रहते थे। पिता रामजीराव भीम को 5 वर्ष की आयु में एक ब्राह्मण प्रिसिंपल के स्कूल में पढ़ने हेतु प्रवेश दिलाने ले गए। प्रिंसिपल ने भीम का प्रवेश पत्र देखकर इसलिए फाड़ दिया क्योंकि वे अछूत जाति के थे। पिता को स्कूल से मायूस और अपमानित होकर लौटना पड़ा। रामजीराव भीम को एक अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश हेतु ले गए। वहां प्रवेश के लिए पांच शर्तें रखी गई। 1. भीम को स्कूल में बैठने के लिए स्वयं बिछाने के लिए लाना होगा। 2. अन्य बालकों से दूर बैठना होगा। 3. ब्लैकबोर्ड के पास नहीं आएगा। 4. वह मटके से अपने हाथ से पानी नहीं पियेगा। 5. खेल में भाग नहीं लेगा। इन शर्तों के साथ भीम ने प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई शुरू की। स्कूल में छुआ-छूत का बोलबाला था। अन्य छात्र भीम के पास नहीं फटकते थे। दिनभर प्यासा रहना पड़ता था। नाई भीम के बाल नहीं बनाते थे। उनकी बहिन उनके बाल बना देती थी। होटल में चाय नहीं पी सकते थे। भीम के पास कोई चारा नहीं था। कोमल मन हमेशा घायल रहता था। भीम को इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार से हिन्दू धर्म से घृणा हो गई थी। उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ हूं यह मेरे बस में नहीं था किंतु में हिन्दू धर्म में नहीं मरूं, यह मेरे बस की बात है।

यह वही हिन्दू धर्म है जो मानव-मानव में भेद, छुआछूत और घृणा रखता है। गाड़ी और तांगे वाले भी उन्हें नहीं बैठाते थे। उस समय लाखों अछूत पशु तुल्य जीवन जीने को विवश थे। सभी कठिनाइयों को सहते हुए भीम पढ़ाई में सबसे अव्वल रहते थे। एक दिन एक ब्राह्मण शिक्षक ने चीखकर कहा अरे! तू तो महार है पढ़कर क्या करेगा? भीम ने तम तमाकर कहा पढ़ लिखकर क्या करूंगा यह पूछने का अधिकार आपको नहीं है। यदि आपने फिर कभी मेरी जाति का नाम लिया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। भीम बचपन से ही स्वाभिमानी और निर्भिक थे। वे किसी से डरते नहीं थे। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे किंतु स्कूल के अध्यापकों ने उन्हें अछूत जाति का होने के कारण संस्कृत नहीं पढ़ाई। मजबूरन उन्हें फॉरसी पढ़ना पढ़ी। भीमराव ने अपने प्रयत्न से विदेश जाकर संस्कृत पढ़ी और अच्छे विद्वान बने।

स्कूल की पुस्तकों के अलावा भीम अन्य पुस्तकें पढ़ने के बड़े शौकीन थे। उनके इसी शोक ने उन्हें विश्व का महान विद्वान बनाया। पिता रामजीराव को पेंशन के मात्र 50 रुपये मिलते थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी फिर भी भीम को पुस्तकें खरीद कर देते थे। आर्थिक दुर्बलता का भार नहीं झलकने देते थे। भीम की प्रारंभिक शिक्षा अभाव व निर्धनता में हुई। पिता के साथ भीम मुंबई में मजदूर बस्ती में एक छोटे से कमरे में परिवार सहित रहते थे। रसोई भी उसी कमरे में बनती थी और भीम पढ़ते भी वहीं थे।

1907 में भीम ने मैट्रिक पास की। एक अछूत का मैट्रिक पास होना उस

समय की बहुत बड़ी बात थी। मित्रों ने उनका सम्मान करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। इससे भीम और उनके पिता बहुत प्रभावित हुए। उन्हें आगे पढ़ने का हौसला मिला। 17 वर्ष की आयु में भीम का विवाह 9 वर्ष की रमाबाई के साथ हुआ। भीम मुंबई के एलफिस्टन कॉलेज में भर्ती हुए। उस समय एक शूद्र का कॉलेज में प्रवेश होना अचरज की बात थी। पिता की स्थिति उच्च शिक्षा दिलाने की नहीं थी। एक शिक्षक कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर की अच्छी जान-पहचान बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से थी। महाराजा से कहकर भीम की 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति स्वीकृत करा दी। कॉलेज में होटल का मालिक एक ब्राह्मण था वह भीम को चाय तो ठीक पानी तक नहीं देता था। दृढ़ प्रतिज्ञ भीम पढ़ाई व लक्ष्य से विचलित नहीं हुए और अधिक मन लगाकर पढ़ते रहे। 1912 में उन्होंने फारसी और अंग्रेजी विषयों के साथ मुंबई यूनिवर्सिटी से बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय ग्रेजुएट होने वाले वे प्रथम महार थे।

वृद्ध पिता आर्थिक और शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर हो गए थे। वे भीम की पढ़ाई को और भी आगे जारी रखना चाहते थे। अपितु भीम बुढ़े पिता पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने 1913 में पिता की इच्छा के विरुद्ध बड़ौदा स्टेट फोर्स में ऐजे लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। मात्र 15 दिन हुए थे कि पिता के सख्त बीमार होने की सूचना मिली। पितृभक्त भीम ने तुरंत नौकरी छोड़ दी और पिता की सेवा में बड़ौदा से मुंबई चले गए। भीम अपनी डबडबाई आंखों से पिता को निहारते रहे। जिस पिता ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। कर्ज व अभाव में रहकर रामजीराव ने भीम को पढ़ाई से वंचित नहीं रखा था। 2 फरवरी 1913 को रामजीराव उस उगते सूरज को भारत मां की गोद में छोड़कर पंचतत्व में विलिन हो गए। पिता का साया भी भीम के सर से उठ गया। अब वे स्वयं अपनी राह तय करने को विवश हुए। परिवार का भार भी उन्हीं पर आ पड़ा। भीम असमंजस में पड़ गए, अब आगे पढ़ाई कैसे जारी रखें। इस संकट के समय संयोग से बड़ौदा के महाराजा ने चार लड़कों को अमेरिका पढ़ने के लिए चयन किया था। उसमें भीमराव का नाम भी था। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले में उन्हें एक प्रतिज्ञा पत्र भरना पढ़ा जिसमें प्रतिज्ञा थी कि शिक्षा प्राप्ति के बाद अम्बेडकर को 10 वर्ष तक रियासत की सेवा करना होगी। जुलाई 1913 में अम्बेडकर न्यूयार्क पहुंचे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। उस समय एक शूद्र का विदेश जाकर पढ़ना दिवास्पन था। वह भी सबसे धनी देश में एक गरीब अछूत का पढ़ना और भी आश्चर्य का विषय था। अम्बेडकर भारत के संकीर्ण, घृणित, भेद-भावपूर्ण, जाति एवं वर्णवाद की तंग गलियों से अमेरिका गए थे। वहां के वातावरण बड़ा ही उदार, प्रेरणादायी और स्वतंत्रता, समता से परिपूर्ण था। वे हर स्थान पर बिना रोक-टोक आ जा सकते थे। मित्रों के साथ खा पी सकते थे। कोई किसी की जाति नहीं पूछता था। किसी ने उन्हें अछूत कहकर नहीं पुकारा। यह सब उन्हें अचंभित करने वाला लगा। उन्हें नई अनुभूति हुई। अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने 18 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की। पढ़ाई में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें भोजन की भी याद नहीं आती थी। आर्थिक हालत दयनीय होने से वे कई बार चाय-कॉफी और डबलरोटी खाकर ही गुजारा कर लेते थे। महाराजा द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति में से कुछ राशि खर्च के लिए घर पर भी भेजना पड़ती थी।

अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र, नैतिक शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषय बड़ी रूचि से पढ़े। आपने 1915 में प्राचीन भारतीय व्यापार नामक पुस्तक लिखकर एम.ए. की डिग्री प्राप्त की। शोधकार्यों में घंटों कड़ी मेहनत कर एक और शोधग्रंथ भारत का राष्ट्रीय लाभांश पूरा किया। इसी आधार पर अम्बेडकर को दर्शनशास्त्र डॉ. ऑफ फिलासॉफी (पीएचडी) की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार भीमराव अम्बेडकर डॉ. अम्बेडकर बन गए। पुस्तकों के माध्यम से डॉ. अम्बेडकर की विद्वता दुनियाभर में फैल गई। उनके सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवं छात्रों ने एक शानदार चाय पार्टी दी और बाबासाहेब की विद्वता की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

कोलंबिया विश्वविद्यालय से उनकी ज्ञान पिपाशा शांत नहीं हुई, वे लंदन पहुंच गए। वहां आपने कानून एव अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। शर्त के अनुसार उन्हें बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष की सेवा करना थी। डॉ. अम्बेडकर पढ़ाई छोड़कर लंदन से बड़ौदा आए। महाराज ने आदेश दिया कि रेलवे स्टेशन पर डॉ. अम्बेडकर का भव्य स्वागत किया जाए। परंतु उनका सम्मान करने कोई स्टेशन नहीं पहुंचा क्योंकि डॉ. अम्बेडकर अछूत थे। उन्हें ठहरने के लिए होटल, सराय, धर्मशाला नहीं मिली। उन्होंने एक पारसी सराय में शरण ली। महाराज बड़ौदा ने अपने यहां डॉ. अम्बेडकर को सैन्य सचिव बनाया। किंतु यहां भी अछूत होने का घोर अपमान सहना पड़ा। डॉ. अम्बेडकर के अधीन कर्मचारी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फाईलें फेंककर देते थे, कहते आप अछूत हैं। आपके पास आकर फाईल नहीं देंगे। चपरासी पीने का पानी नहीं देते थे। पानी की व्यवस्था स्वयं को करना पड़ती थी। डॉ. अम्बेडकर कार्यालय से चले जाते तब कर्मचारी कार्यालय को धोकर गोमूत्र से पवित्र करते थे। बड़ौदा में जिस पारसी सराय में डॉ. अम्बेडकर ठहरे थे वहां किसी हिन्दू को ठहरने नहीं दिया जाता था। डॉ. अम्बेडकर को पारसी बनकर ठहरना पड़ा किंतु यहां से भी उन्हें अपमानित

कर निकाल दिया। उनके दो मित्र बड़ौदा में रहते थे परंतु अछूत जाति का होने के कारण वे भी किनारा कर गए। डॉ. अम्बेडकर इस घृणित सामाजिक व्यवस्था पर फूट-फूट कर रोये। उन्हें जातिवाद से अत्यंत दुख हुआ। डॉ. अम्बेडकर मुंबई चले गए। बड़ौदा के एक मित्र को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने डॉ. अम्बेडकर को पुनः बड़ौदा बुला लिया। स्टेशन पर उतरते ही उसी मित्र ने उन्हें एक पत्र थमा दिया और कहा कि मेरी पत्नी आपको मेरे यहां रखने को तैयार नहीं है। डॉ. अम्बेडकर स्टेशन से ही पुनः मुंबई लौट गए। यहां वे सिडेनहेम कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। डॉ. अम्बेडकर का नाम मुंबई के हर एक स्कूल कॉलेज में प्रसिद्ध हो गया। किंतु छुआ-छूत ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कई कड़वे घूंट पीना पड़े। डॉ. अम्बेडकर ने 1920 में एक पाक्षिक समाचार पत्र 'मूकनायक' के नाम से निकाला। जिसका अर्थ था 'गूंगों का नेता''। अखबार में लक्ष्य करके लिखा कि भारत असमानता का घर है। हिन्दू समाज एक बहुमंजिली मिनार की तरह है। जिसमें न तो सीढ़ी है और न ही कोई खिड़की-दरवाजे हैं। जो जिस मंजिल में जन्म लेता है उसी में मरता है। हिन्दू समाज के तीन भाग है 1. ब्राह्मण 2. गैर ब्राह्मण 3. अछूत। कहते हैं कि परमात्मा पशु, पेड़-पौधे समस्त जीव जंतु व कण-कण में निवास करता है। पर अपने ही समाज के एक अंग को अछूत कहकर पुकारते व दुत्कारते हैं।

डॉ. अम्बेडकर अपनी पढ़ाई पिता की अस्वस्थता के कारण छोड़कर आए थे। पुनः 1920 में कानून एवं अर्थशास्त्र की शेष पढ़ाई पूर्ण करने लंदन गए। वहां पहुंच कर आप कानून (बेरिस्टर) व अर्थशास्त्र की पढ़ाई में जुट गए। कठोर परिश्रम करके आपने डॉ. आफ साईस, आयएमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी, बारएटलॉ, बनकर भारत लौटे। डॉ. अम्बेडकर ने भारत लौटने पर वकालत करने का निर्णय किया। यहां भी छुआ-छूत उनके सामने आकर खड़ी रही। बैरिस्टर बनने के बाद भी अछूत होने का कड़वा घूंट पीना पड़ा। मुंबई के राज्यपाल डॉ. अम्बेडकर की विद्वता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अम्बेडकर ने समाज सुधार कार्य आरंभ किया। आपने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। डॉ. अम्बेडकर एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आए जिन्होंने स्वयं संकट, समस्या, तंगी और छुआ-छूत से पग-पग पर लोहा लिया था। वे तप कर एक खरे सोने की तरह दमक रहे थे। उनकी आवाज में वेदना, कसक और तड़फ के साथ पहाड़ भी थी। उन्होंने गुलामों को गुलामी का एहसास कराया। दुखी व दलित वर्ग को जागृत किया। उनमें चेतना का संचार किया। उनके मन मस्तिष्क को आंदोलित किया। डॉ. अम्बेडकर ने सोये व हताश समाज को जगाया। उन्हें ललकारा। उनके मुरझाये चेहरों को सांत्वना दी। भोजन, वस्त्र, आवास प्राप्त करना, जीवन स्तर ऊंचा उठाना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। डॉ. अम्बेडकर ने 24 फरवरी 1927 को मुंबई विधान परिषद में अपना पहला बजट भाषण दिया। कई क्रांतिकारी योजनाओं की घोषणा कर अपनी योग्यता व विद्वता का परिचय दिया। अछूतों को सरकारी नौकरी भर्ती और उन्नति के प्रश्न उठाकर सबको चौका दिया। आपने शराब को राष्ट्र के लिए घातक बताया और प्रतिबंध के लिए सुझाव दिए। हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज की भर्तस्ना करते हुए कहा कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, गधे आदि तो तालाब कुएं से पानी पी सकते है किंतु उसी तालाब का पानी अछूत मानव नहीं पी सकते हैं चाहे वे प्यासे मरते हो। आज भी पशु का मूत्र हिन्दुओं के लिए पवित्र वस्तु है। बाबासाहेब ने सदियों से लगे प्रतिबंध को तोड़कर महाड़ के चवदार तालाब का पानी पीया और सबको पिलाया। चवदार तालाब की घटना उस समय की सबसे बड़ी घटना थी। यहीं से बाबासाहेब ने अपने तेवर दिखाना प्रारंभ कर दिया था। बेगार प्रथा का घोर विरोध किया।

भारतीय ब्राह्मण ग्रंथों में अमानवीय आपत्तिजनक, पक्षपातपूर्ण तथा घोर निंदनीय बातें भरी पड़ी है। इन ग्रंथों में शूद्रों, अछूतों और महिलाओं को पशु से भी बदतर बताया है। इन ग्रंथों के पढ़ने से छूआ-छूत, जाति, वर्ण के आधार पर पक्षपात, घृणा व दूषित भावना को बल मिलता है। इन धार्मिक ग्रंथों में सबसे अधिक आपत्तिजनक मनुस्मृति है। इसको डॉ. अम्बेडकर ने 25 दिसम्बर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ नगर में हजारों लोगों की उपस्थिति में जला दिया। मनुस्मृति दहन से सारे रूढ़िवादी, मनुवादी चौकन्ने हो गए। उन्हें भय लगा कि कहीं अम्बेडकर अन्य धार्मिक ग्रंथों में आग नहीं लगा दे।

1928-29 में प्रशासनिक सुधारों का जायजा लेने साईमन कमीशन भारत आया। डॉ. अम्बेडकर ने दलितों की सामाजिक, आर्थिक व दयनीय स्थिति का ब्यौरा कमीशन के सामने प्रस्तुत किया। दलितों पर किए जाने वाले दमन व अत्याचारों की फैहरिस्त मय प्रमाण के प्रस्तुत की। उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, शिक्षा प्राप्ति के लिए सुविधाएं तथा जल, थल, सेना पुलिस में दलितों की भर्ती की मांग की। लंदन में ब्रिटिश सम्राट ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। डॉ. अम्बेडकर दलितों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। वहां आपने खुलकर दलितों के अधिकारों की पैरवी की।

27 मई 1935 को बाबासाहेब की पत्नी रमाबाई को काल ने छिन लिया। उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जिस रमाबाई ने निर्धनता में बाबासाहेब का

धैर्य व साहस के साथ सहयोग प्रदान किया था अब वह भी नहीं रही। डॉ. अम्बेडकर को विश्व का महान व्यक्ति बनाने में उनका अकथ्य सहयोग रहा। वे कदम-कदम पर छाया बनकर उनके साथ रही थी।

30 अगस्त 1947 को बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। इस समिति में 7 सदस्य थे। 1. बी.आर. अम्बेडकर, अध्यक्ष, 2. अलादीकृष्णा स्वामीआयर, 3. एन. गोपालास्वामी आयंगर, 4. के. एम. मुंशी, 5. सैय्यद मुहम्मद सादुल्ला, 6. बी.एल. मित्र, 7. डी.पी. खैतान। कहने को प्रारूप समिति में सात सदस्य थे किंतु संविधान निर्माण में बाबासाहेब के अतिरिक्त अन्य कोई सहयोगी नहीं रहा। बी.एल. मित्र ने त्यागपत्र दे दिया। डी. पी. खैतान का स्वर्गवास हो गया। एक सदस्य अपनी राजप्रबंध समस्या में उलझे रहे। दो व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर रहे। इस प्रकार बाबासाहेब के कंधों पर ही संविधान निर्माण का पूर्ण भार रहा और उन्होंने इस दायित्व को बखूबी निभाते हुए संविधान का निर्माण किया।

जो अम्बेडकर अंग्रेजों से दलितों के लिए अधिकार मांग और छिन सकते थे क्या वे भारत की संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनने पर दलितों के लिए अधिकारों की कोताही कर सकते थे? उन्होंने घोर परिश्रम कर दलितों के लिए संविधान में कई मूलभूत अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जो मुख्य-मुख्य इस प्रकार है।

1. अपनी प्रतिभा निखारने का अधिकार।
2. लोकसभा, विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षित स्थान।
3. सरकारी नौकरियों में आरक्षित स्थान।
4. शैड्यूल्ड कास्ट कमीशन की स्थापना।
5. शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार एवं सुविधाएं।
6. मनचाहा व्यवसाय करने का अधिकार।
7. छुआ-छूत अपराध घोषित।
8. बैगार व बंधुआ मजदूरी से मुक्ति।
9. सार्वजनिक स्थान, शिक्षा, चिकित्सा व यातायात सुविधा का उपभोग।
10. वोट डालने का अधिकार।
11. समता के साथ जीने का अधिकार।

बाबसाहेब द्वारा इस प्रकार के मूलभूत अधिकार संविधान में लिखकर दलितों को स्वतंत्रता, समता के साथ शोषण विहीन समाज की स्थापना का अवसर उपलब्ध कराया। हिन्दू धर्म की संकीर्ण जाति व्यवस्था, छुआ-छूत, ऊंच-नीच से तंग आकर आपने अपने छः लाख अनुयायियों के साथ हिन्दू धर्म त्यागकर मानवतावादी बौद्ध धम्म स्वीकार कर लिया। आपको स्वतंत्र भारत के नेहरू मंत्री मंडल में प्रथम कानून मंत्री बनाया किंतु आपके प्रगतिशील विचार और महिलाओं संबंधी नीतियों को नहीं स्वीकारा। इसलिए आपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया।

देश उनकी 125वीं जयंती मनाकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह व सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री महोदय श्री थावरचंद जी गेहलोत द्वारा बाबासाहेब के सम्मान में 10 व 125 के सिक्के जारी किए और इस अवसर पर कहा कि बाबासाहेब आधुनिक भारत के शिल्पी है। ये दलितों के ही नहीं राष्ट्रीय नेता हैं।

यदि भारत में डॉ. अम्बेडकर का जन्म नहीं होता तो आज तो भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई दे रहा है संभव नहीं था। क्योंकि बाबासाहेब स्वयं छुआ-छूत, जातिवाद, वर्णवाद, नफरत, ऊंच-नीच, घृणा व अपमान के दलदल से निकलकर बाहर आए थे। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से अपमान को देखा और तनमन से भोगा था। बाबासाहेब के संविधान और उनके चिंतन के परिणामस्वरूप आज नदी, तालाब और कुएं का सभी बराबरी से उपभोग कर रहे हैं। मंदिर, धर्मशाला, सराय, होटल, सार्वजनिक स्थल आदि पर सभी वर्ग के लोग समान रूप से आते-जाते हैं। किसी भी जाति समाज के सामूहिक भोज में सादर आमंत्रित होकर भोजन करते हैं। रेल, बस, यान, जहाज में सब यात्रा कर रहे हैं। परंपरा से हटकर इच्छित व्यवसाय कर रोजी-रोटी कमा रहे हैं। शिक्षा के द्वार सबके लिए बराबर खुले हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति के सबको समान अवसर प्राप्त हैं। छुआ-छूत, जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच-नीच दम तोड़ रही हैं। भारत विश्व फलक पर चमक रहा है। धरा से गगन तक प्रगति के पंख फैल रहे है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ज्ञान के प्रतीक हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बाबासाहेब की प्रतिमा स्थापित कर अनावरण किया है।

भारत रत्न, मानव मसीहा, कानूनविद्, दलितों के उद्धारक, शिक्षाविद्, राष्ट्रभक्त, संविधान एवं राष्ट्र निर्माता को उनकी 125वीं जयंती पर कोटि-कोटि अभिनंदन, वंदन। भारत में हजारों वर्षों से दलित पशु तुल्य जीवन जीने पर विवश थे। उनका उद्धार 33 करोड़ देवी-देवता, चौबीस अवतार, संत, महंत, शंकराचार्य, सम्राट नहीं कर सके। किंतु मानवता के मसीहा डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने दलितों की उन्नति के द्वार खोल दिए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उप-प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव, महासचिव, निदेशक, महानिदेशक जैसे गौरवशाली पदों को दलितों ने सुशोभित किया है। यह सब बाबासाहेब के सपने और संविधान का प्रतिफल है। उनकी 125वीं जयंती पर राष्ट्र ही नहीं विश्व नमन् करता है। ■

गणतंत्र दिवस 2016 की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी का राष्ट्र के नाम संदेश

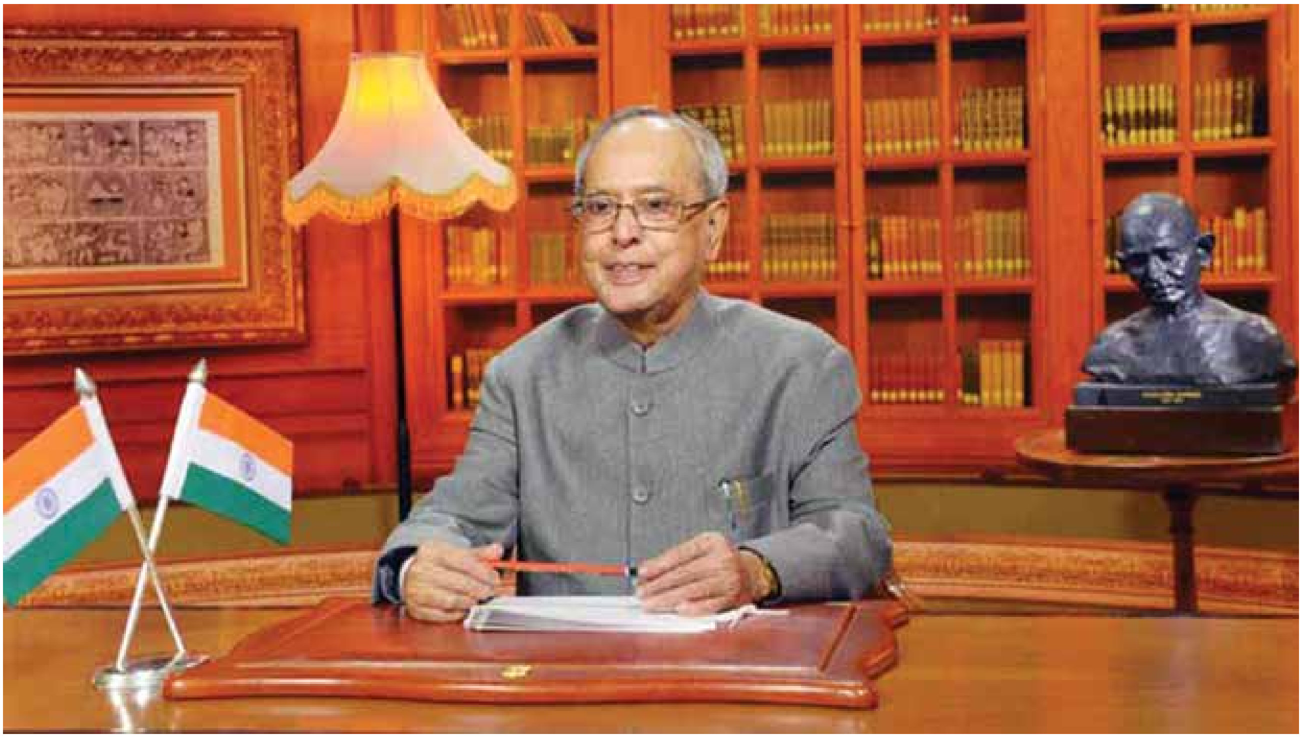

मेरे प्यारे देशवासियो,

हमारे राष्ट्र के सड़सठवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, मैं भारत और विदेशों में बसे आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं, हमारी सशस्त्र सेनाओं, अर्ध-सैनिक बलों तथा आंतरिक सुरक्षा बल के सदस्यों को अपनी विशेष बधाई देता हूं। मैं उन वीर सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और विधि शासन को कायम रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

प्यारे देशवासियो,

छब्बीस जनवरी 1950 को हमारे गणतंत्र का जन्म हुआ। इस दिन हमने स्वयं को भारत का संविधान दिया। इस दिन उन नेताओं की असाधारण पीढ़ी का वीरतापूर्ण संघर्ष पराकाष्ठा पर पहुंचा था जिन्होंने दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र की स्थापना के लिए उपनिवेशवाद पर विजय प्राप्त की। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, जो हमें यहां तक लेकर आई है, के निर्माण के लिए भारत की विस्मयकारी अनेकता को सूत्रबद्ध कर दिया। उनके द्वारा स्थापित स्थायी लोकतांत्रिक संस्थाओं ने हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर रहने की सौगात दी है। आज भारत एक उदीयमान शक्ति है, एक ऐसा देश है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवान्वेषण और स्टार्ट-अप में विश्व अग्रणी के रूप में तेजी से उभर रहा है और जिसकी आर्थिक सफलता विश्व के लिए एक कौतूहल है।

प्यारे देशवासियो,

वर्ष 2015 चुनौतियों का वर्ष रहा है। इस दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी रही। वस्तु बाजारों पर असमंजस छाया रहा। संस्थागत कार्रवाई में अनिश्चितता आई। ऐसे कठिन माहौल में किसी भी राष्ट्र के लिए तरक्की करना आसान नहीं हो सकता। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निवेशकों की आशंका के कारण भारत समेत अन्य उभरते बाजारों से धन वापस

लिया जाने लगा जिससे भारतीय रुपए पर दबाव पड़ा। हमारा निर्यात प्रभावित हुआ। हमारे विनिर्माण क्षेत्र का अभी पूरी तरह उभरना बाकी है।

2015 में हम प्रकृति की कृपा से भी वंचित रहे। भारत के अधिकतर हिस्सों पर भीषण सूखे का असर पड़ा जबकि अन्य हिस्से विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आ गए। मौसम के असामान्य हालात ने हमारे कृषि उत्पादन को प्रभावित किया। ग्रामीण रोजगार और आमदनी के स्तर पर बुरा असर पड़ा।

प्यारे देशवासियो,

हम इन्हें चुनौतियां कह सकते हैं क्योंकि हम इनसे अवगत हैं। समस्या की पहचान करना और इसके समाधान पर ध्यान देना एक श्रेष्ठ गुण है। भारत इन समस्याओं को हल करने के लिए कार्यनीतियां बना रहा है और उनका कार्यान्वयन कर रहा है। इस वर्ष 7.3 प्रतिशत की अनुमानित विकास दर के साथ, भारत सबसे तेजी से बढ़ रही विशाल अर्थव्यवस्था बनने के मुकाम पर है। विश्व तेल कीमतों में गिरावट से बाह्य क्षेत्र को स्थिर बनाए रखने और घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिली है। बीच-बीच में रुकावटों के बावजूद इस वर्ष उद्योगों का प्रदर्शन बेहतर रहा है।

आधार 96 करोड़ लोगों तक मौजूदा पहुंच के साथ, आर्थिक रिसाव रोकते हुए और पारदर्शिता बढ़ाते हुए लाभ के सीधे अंतरण में मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए 19 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते वित्तीय समावेशन के मामले में विश्व की अकेली सबसे विशाल प्रक्रिया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य आदर्श गांवों का निर्माण करना है। डिजीटल भारत कार्यक्रम डिजीटल विभाजन को समाप्त करने का एक प्रयास है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य किसानों की बेहतरी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे कार्यक्रमों पर बढ़ाए गए खर्च का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दोबारा सशक्त बनाने के लिए रोजगार में वृद्धि करना है।

भारत में निर्माण अभियान से व्यवसाय में सुगमता प्रदान करके और घरेलू उद्योग की स्पर्द्धा क्षमता बढ़ाकर विनिर्माण तेज होगा। स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम नवान्वेषण को बढ़ावा देगा और नए युग की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगा। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन में 2022 तक 30 करोड़ युवाओं को कुशल बनाने का विचार किया गया है।

हमारे बीच अकसर संदेहवादी और आलोचक होंगे। हमें शिकायत, मांग, विरोध करते रहना चाहिए। यह भी लोकतंत्र की एक विशेषता है। परंतु हमारे लोकतंत्र ने जो हासिल किया है, हमें उसकी भी सराहना करनी चाहिए। बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश से, हम और अधिक विकास दर प्राप्त करने की बेहतर स्थिति में हैं जिससे हमें अगले दस से पंद्रह वर्षों में गरीबी मिटाने में मदद मिलेगी।

प्यारे देशवासियो,

अतीत के प्रति सम्मान राष्ट्रीयता का एक आवश्यक पहलू है। हमारी उत्कृष्ट विरासत, लोकतंत्र की संस्थाएं सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता तथा लैंगिक और आर्थिक समता सुनिश्चित करती हैं। जब हिंसा की घृणित घटनाएं इन स्थापित आदर्शों, जो हमारी राष्ट्रीयता के मूल तत्त्व हैं, पर चोट करती हैं तो उन पर उसी समय ध्यान देना होगा। हमें हिंसा, असहिष्णुता और अविवेकपूर्ण ताकतों से स्वयं की रक्षा करनी होगी।

प्यारे देशवासियो :

विकास की शक्तियों को मजबूत बनाने के लिए, हमें सुधारों और प्रगतिशील विधान की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना विधि निर्माताओं का परम कर्तव्य है कि पूरे विचार-विमर्श और परिचर्चा के बाद ऐसा विधान लागू किया जाए। सामंजस्य, सहयोग और सर्वसम्मति बनाने की भावना निर्णय लेने का प्रमुख तरीका होना चाहिए। निर्णय और कार्यान्वयन में विलम्ब से विकास प्रक्रिया का ही नुकसान होगा।

प्यारे देशवासियो,

विवेकपूर्ण चेतना और हमारे नैतिक जगत का प्रमुख उद्देश्य शांति है। यह सभ्यता की बुनियाद और आर्थिक प्रगति की जरूरत है। परंतु हम कभी भी यह छोटा सा सवाल नहीं पूछ पाए हैं : शांति प्राप्त करना इतना दूर क्यों है? टकराव को समाप्त करने से अधिक शांति स्थापित करना इतना कठिन क्यों रहा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय क्रांति के साथ 20वीं सदी की समाप्ति पर, हमारे पास उम्मीद के कुछ कारण मौजूद थे कि 21वीं सदी एक ऐसा युग होगा जिसमें लोगों और देश की सामूहिक ऊर्जा उस बढ़ती हुई समृद्धि के लिए समर्पित होगी जो पहली बार घोर गरीबी के अभिशाप को मिटा देगी। यह उम्मीद इस शताब्दी के पहले पंद्रह वर्षों में फीकी पड़ गई है। क्षेत्रीय अस्थिरता में चिंताजनक वृद्धि के कारण व्यापक हिस्सों में अभूतपूर्व अशांति है। आतंकवाद की बुराई ने युद्ध को इसके

सबसे बर्बर रूप में बदल दिया है। इस भयानक दैत्य से अब कोई भी कोना अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है।

आतंकवाद उन्मादी उद्देश्यों से प्रेरित है, नफरत की अथाह गहराइयों से संचालित है, यह उन कठपुतलीबाजों द्वारा भड़काया जाता है जो निर्दोष लोगों के सामूहिक संहार के जरिए विध्वंस में लगे हुए हैं। यह बिना किसी सिद्धांत की लड़ाई है, यह एक कैंसर है जिसका इलाज तीखी छुरी से करना होगा। आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता; यह केवल बुराई है।

प्यारे देशवासियो,

देश हर बात से कभी सहमत नहीं होगा; परंतु वर्तमान चुनौती अस्तित्व से जुड़ी है। आतंकवादी महत्त्वपूर्ण स्थायित्व की बुनियाद, मान्यता प्राप्त सीमाओं को नकारते हुए व्यवस्था को कमज़ोर करना चाहते हैं। यदि अपराधी सीमाओं को तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो हम अराजकता के युग की ओर बढ़ जाएंगे। देशों के बीच विवाद हो सकते हैं और जैसा कि सभी जानते हैं कि जितना हम पड़ोसी के निकट होंगे, विवाद की संभावना उतनी अधिक होगी। असहमति दूर करने का एक सभ्य तरीका, संवाद है, जो सही प्रकार से कायम रहना चाहिए। परंतु हम गोलियों की बौछार के बीच शांति पर चर्चा नहीं कर सकते।

भयानक खतरे के दौरान हमें अपने उपमहाद्वीप में विश्व के लिए एक पथप्रदर्शक बनने का ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ है। हमें अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा अपनी भावनात्मक और भू-राजनीतिक धरोहर के जटिल मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, और यह जानते हुए एक दूसरे की समृद्धि में विश्वास जताना चाहिए कि मानव की सर्वोत्तम परिभाषा दुर्भावनाओं से नहीं बल्कि सद्‌भावना से दी जाती है। मैत्री की बेहद जरूरत वाले विश्व के लिए हमारा उदाहरण अपने आप एक संदेश का कार्य कर सकता है।

प्यारे देशवासियो,

भारत में हर एक को एक स्वस्थ, खुशहाल और कामयाब जीवन जीने का अधिकार है। इस अधिकार का, विशेषकर हमारे शहरों में, उल्लंघन किया जा रहा है, जहां प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जलवायु परिवर्तन अपने असली रूप में सामने आया जब 2015 सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया। विभिन्न स्तरों पर अनेक कार्यनीतियों और कार्रवाई की आवश्यकता है। शहरी योजना के नवान्वेषी समाधान, स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग और लोगों की मानसिकता में बदलाव के लिए सभी भागीदारों की सक्रिय हिस्सेदारी जरूरी है। लोगों द्वारा अपनाए जाने पर ही इन परिवर्तनों का स्थायित्व सुनिश्चित हो सकता है।

प्यारे देशवासियो,

अपनी मातृभूमि से प्रेम समग्र प्रगति का मूल है। शिक्षा, अपने ज्ञानवर्धक प्रभाव से, मानव प्रगति और समृद्धि पैदा करती है। यह भावनात्मक शक्तियां विकसित करने में सहायता करती है जिससे सोई उम्मीदें और भुला दिए गए मूल्य दोबारा जाग्रत हो जाते हैं। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, "शिक्षा का अंतिम परिणाम एक उन्मुक्त रचनाशील मनुष्य है जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक विपदाओं के विरुद्ध लड़ सकता है।" 'चौथी औद्योगिक क्रांति' पैदा करने के लिए जरूरी है कि यह उन्मुक्त और रचनाशील मनुष्य उन बदलावों को आत्मसात करने के लिए परिवर्तन गति पर नियंत्रण रखे जो व्यवस्थाओं और समाजों के भीतर स्थापित होते जा रहे हैं। एक ऐसे माहौल की आवश्यकता है जो महत्त्वपूर्ण विचारशीलता को बढ़ावा दे और अध्यापन को बौद्धिक रूप से उत्साहवर्धक बनाए। इससे विद्वता प्रेरित होगी और ज्ञान एवं शिक्षकों के प्रति गहरा सम्मान बढ़ेगा। इससे महिलाओं के प्रति आदर की भावना पैदा होगी जिससे व्यक्ति जीवन पर्यन्त सामाजिक सदाचार के मार्ग पर चलेगा। इसके द्वारा गहन विचारशीलता की संस्कृति प्रोत्साहित होगी और चिंतन एवं आंतरिक शांति का वातावरण पैदा होगा। हमारी शैक्षिक संस्थाएं मन में जागृत विविध विचारों के प्रति उन्मुक्त दृष्टिकोण के जरिए, विश्व स्तरीय बननी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय वरीयताओं में प्रथम दो सौ में स्थान प्राप्त करने वाले दो भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के द्वारा यह शुरुआत पहले ही हो गई है।

प्यारे देशवासियो,

पीढ़ी का परिवर्तन हो चुका है। युवा बागडोर संभालने के लिए आगे आ चुके हैं। 'नूतन युगेर भोरे' के टैगोर के इन शब्दों के साथ आगे कदम बढ़ाएं :

"चोलाय चोलाय बाजबे जायेर भेरी-

पायेर बेगी पॉथ केटी जाय कोरिश ने आर देरी।" आगे बढ़ो, नगाड़ों का स्वर तुम्हारे विजयी प्रयाण की घोषणा करता है शान के साथ कदमों से अपना पथ बनाएं; देर मत करो, देर मत करो, एक नया युग आरंभ हो रहा है।

धन्यवाद,

जय हिंद!

''औद्योगिकरण एवं उद्यमशीलता पर डॉ अम्बेडकर के विचार पर''

29 दिसम्बर 2015: विज्ञान भवन नई दिल्ली में डिक्की (दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज) एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों का राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सम्बोधन

मंत्रिपरिषद के मेरे साथी...और सभी महानुभाव,

आप सब ने मुझे खड़े हो करके सम्मानित किया। लेकिन मैं मानता हूं इस सम्मान का अगर कोई एक व्यक्ति अधिकारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर हैं और इसलिए आपने जो सम्मान दिया है वो सम्मान के जो हकदार हैं, उन बाबासाहेब के श्री चरणों में मैं समर्पित करता हूं।

अभी कुछ दिन पहले मैंने मन की बात में एक विषय का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि बाबासाहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया। लेकिन आजादी के 60 साल में हम ज्यादातर अधिकारों की चर्चा करते रहे हैं। देश में जहां भी जहां देखो अधिकार की चर्चा होती है। क्यों न इस 26 जनवरी को हम कर्तव्य की चर्चा करें, ऐसी एक बात मैंने मन की बात में रखी थी। लेकिन आज मुझे स्वीकार करना चाहिए, सर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए कि यह सभागृह और यहां उपस्थित लोग वे हैं जो सिर्फ कर्तव्य की चर्चा नहीं, कर्तव्य करके दिखाया है। अधिकार की चर्चा कर सकते थे, लेकिन उससे ऊपर उठ करके उन्होंने कर्तव्य के रास्ते को चुना है और आज आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर हो कर, बैठ करके यहां आज उपस्थित हुए हैं। इस अवसर का सबसे ज्यादा किसी को आनंद हुआ होगा तो बाबासाहेब अम्बेडकर की आत्मा को।

ये सभागृह politicians से खचाखच अगर भरा होता सभी Scheduled Caste & Scheduled Tribes से अगर भरा होता, मेरे जैसा पिछड़ा भी उसमें होता, तो भी शायद बाबासाहेब उतने प्रसन्न नहीं होते, जितने आज प्रसन्न होंगे। क्योंकि बाबासाहेब ने हमें क्या सिखाया? बाबासाहेब ने जो सिखाया इसी का रास्ता आपने चुना है। इस सभागृह में वो लोग हैं, जो हर वर्ष सरकार की तिजोरी में सैंकड़ों करोड़ों रुपयों का टैक्स देते हैं। ये वो लोग हैं जो सरकार की तिजोरी भरते हैं और ये वो लोग हैं, जो लाखों-लाखों नौजवानों को रोजगार देते हैं। ये वो लोग हैं जो सरकार की तिजोरी भी भरते हैं और गरीबों का पेट भी भरते हैं।

मैं मानता हूं, मुझे यहां आपके बीच आ करके आपके दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है, मैं मिलिंद का और उसके सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया कि ये जो delegates आए हैं वो अपनी जेब से 1500 रुपया delegation fees दे करके आए हैं। और ये delegates खुद के खर्चे से यहां होटलों में ठहरे हैं। हम जानते हैं देश का जमाना कैसा है, आने के लिए वो पूछता है क्या दोगे? और यही तो चीज है कि जिसके कारण पुरानी सोच को बदलने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जो नए सिरे से सोचने के लिए कारण बनने वाला है।

इस यात्रा को 10 वर्ष हुए हैं और ये सुखद संयोग है कि बाबासाहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती हम मना रहे हैं। बाबासाहेब को संविधान निर्माता के रूप में तो बहुत हम जानते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री के रूप में उतना ज्यादा परिचय नहीं हुआ है। बाबासाहेब के भीतर अगर झांकें तो भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के सारे रास्ते वहां से निकल

कर आते हैं।

कभी-कभी मैं सोचता हूं जिस रिजर्व बैंक की कल्पना बाबासाहेब ने की है और जिस के कारण रिजर्व बैंक की रचना हुई है, लेकिन दुख तब होता है कि बैंक में किसी दलित को loan चाहिए तो लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। ये स्थिति पलटनी है। इस देश का इतना बड़ा वर्ग और ये कसौटियों से निखरा हुआ वर्ग है। समाज का एक वर्ग है जिसे ठंडी क्या होती है, गर्मी क्या होती है, खुले पैर चलने से कंकड़ कैसे दबता है इसका पता तक नहीं है। वो तो बनी-बनाई अवस्था में चल पड़ा है। लेकिन ये वो लोग हैं जिसने जिंदगी के हर कष्ट झेले हैं, हर अपमान झेले हैं, मुसीबतों का सामना किया है और एक प्रकार से कसौटी से कसता-कसता अपनी जिंदगी को बनाता-बनाता उभर करके आया है, उसकी ताकत कितनी होगी उसका अंदाज मुझे भली-भांति है। लोहे का मूल्य कम होता है लेकिन स्टील का ज्यादा होता है क्योंकि वो प्रक्रिया से निकला हुआ है।

आप लोग आत्मनिर्भर हैं और आत्माभिमानी भी हैं। तीन हजार से ज्यादा दलित Entrepreneur इसकी सदस्यता है। लेकिन मैं मिलिंद को बता रहा था, मैं मिलिंद कहता हूं तो बुरा मत मानिए, मैं इसको विद्यार्थी काल से जानता हूं। तो समाज में तीन हजार से भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। हम उन तक कैसे पहुंचे? उनको इस प्रवाह से कैसे जोड़ें?

बहन कल्पना के नेतृत्व में 300 Women Entrepreneur का एक यूनिट बना है। Women Entrepreneur भी, आप देखिए मैंने कर्नाटक की बेटी को अभी सम्मानित किया है। जो लोग Environment की चर्चा करते हैं, पेरिस में बहुत बड़े-बड़े समारोह होते हैं, रास्ते कर्नाटक में कोई एक दलित कन्या खोज करके देती है। ये जब तक हम उजागर नहीं करते हैं, हम लोगों को परिचित नहीं करते हैं, मैं अपने रति भाई से तो भारी परिचित हूं, मेरे भावनगर के हैं तो किस प्रकार से उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया है मैं भलीभांति जानता हूं। समाज में ये शक्ति पड़ी है।

कुछ लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ एक आर्थिक और व्यावसायिक जगत की चर्चा का विषय है मैं जरा उससे हट करके बात करना चाहता हूं। इसका एक सामाजिक स्तंभ है सारी घटना का। और मैं चाहूंगा कि देश का इस तरफ ध्यान जाए। मुझे बताया गया कि ये सभागृह छोटा पड़ गया तो दूसरे सभागृह में सब लोग बैठे हैं। करीब पौने चार सौ नौजवान वहां बैठे हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूं।

कभी-कभार जब हम खबरें सुनते हैं, कि जीवन में घटित हो जाए, निराशा आ जाए, इंसान सोचता है जीना बेकार है। अब तो क्या करना कोई मेरे साथ नहीं है। आत्महत्या के रास्ते पर चल पड़ता है। अच्छे घर के नौजवान भी कभी-कभी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैं आज सभागृह में, जिनके भी मन में कभी आत्महत्या का विचार आता है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आत्महत्या करने के विचार आने से पहले एक बार कल्पना सरोज को फोन कर दीजिए। एक बार कल्पना को फोन कर दीजिए। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कल्पना ने अपनी जिंदगी को कहां से कहां ले गई है। कितने संकटों से ले गई है। जीवन और मृत्यु में से तय करने का था, उसने जीवन को जीना तय कर लिया और आज हमारे सामने बैठी हैं। यानि निराशा के माहौल में भी जीने की आस जगाने की ताकत अगर कोई दे सकता है तो ये पूरा समाज दे सकता है। और इस शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को पहचान करके राष्ट्र को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना, आर्थिक पहलुओं से भी ज्यादा कभी-कभी सामाजिक पहलू बहुत ताकतवर होते हैं। जिन सामाजिक पहलुओं ने, सदियों तक हमें बर्बादी के रास्ते पर ले गया वो ही चीज आज Opportunity में convert करके समाज की सदियों पुराने संकटों से बाहर लाने का ताकत भी बन सकती है। और इसलिए ऐसी शक्तियों पर हमारी नजर जानी चाहिए।

अभी सरकार ने एक first time जो first generation entrepreneur हैं उनके लिए venture capital fund की रचना की है। ये मूलतः Scheduled Caste, Schedule Tribes लोगों के लिए है। क्योंकि उसको तो विरासत में entrepreneurship कहां मिलेगी बेचारे को। उसको तो कभी विरासत में, उसके पिता, माता तो मजदूरी करके

जिंदगी गुजारी है। बस generation entrepreneur मैं बैंकों को भी कहता हूं कि आप Brown field project को तो loan देने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, मुझे green field को देना है। नई ताकत उससे उभरती है, नए लोग उससे आते हैं।

अभी सरकार की जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है – पीएमवाई। उस योजना के तहत समाज के इस प्रकार के तबके के लोग पिछले सात-आठ महीने में इस योजना को आगे बढ़ाया। करीब-करीब 80 लाख लोगों को एक भी रुपए की गारंटी के बिना बैंकों से लोन दिया गया। करीब 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपया दिया गया और ये लेने वाले कौन है? अधिकतम उसमें दलित है, ओबीसी है, एसटी है और कुछ महिलाएं हैं और वे छोटे-छोटे काम करते हैं। लेकिन उनको लगता है कि मैं कुछ और बढ़ाऊ। ब्याज लेकर के शराब को पैसे देता हूं उससे बाहर निकलूं और मैं अपना काम खोलू। और ये वो लोग हैं, कोई एक को रोजगार देता है, कोई दो को रोजगार देता है, कोई तीन को रोजगार देता है। इस देश में ऐसे लोग करीब 14 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, 14 करोड़ लोगों को। लेकिन वे बैंक के दायरे में थे ही नहीं, बैंक के हिसाब-किताब में ही नहीं थे। जो 300 लोगों को रोजगार देता है लेकिन बढ़ी हाई-फाई फैक्टरी बनाता है तो बैंक वाला उसके घर जाने को तैयार है। लेकिन एक गांव के दस लोग छोटा-छोटा काम करके 50 लोगों को रोजगार देते हैं उसकी तरफ नजर नहीं जाती। हमारी पूरी कोशिश यह है।

Inclusion, financial inclusion कभी-कभी हमारे देश में debate होता रहता है कि financial inclusion का जो मोह है वो देश की economy पर बोझ बन जाता है। मेरी अलग सोच है मैं मानता हूं कि पिरामिड की जो तह है वो जितनी मजबूत होगी उतना ही पिरामिड मजबूत होगा और इसलिए पिरामिड की सतह पर जो लोग है। सारी हमारी रचना है उसमें सतह पर जो लोग है, जो कोटि-कोटि जन है। उनकी अगर ताकत बढ़ती है, भारत की अर्थव्यवस्था के वो हिस्से बनते हैं और जैसे मिलिन्द ने कहा कि हम job seeker बनना नहीं चाहते, job creator बनना चाहते हैं। हम भारत की GDP में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। हम भारत की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो ताकत है, ये ताकत देश को आगे ले जाती है।

सरकार ने Skill development पर बल दिया है। भारत के पास 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 से कम आयु की है। उनको हम किस प्रकार से अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दे। उनका वो हौसला बुलंद करे कि वो खुद तो बढ़े, दो और लोगों को भी आगे बढ़ाएं और जब यह स्थिति बनती है तो देश फिर आगे अपने आप बढ़ता है। उसको बढ़ाने के लिए कोई नए प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप बढ़ पड़ता है। और इसलिए मैं इस दस साल की यात्रा से हमने जो पाया है, क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि आने वाले दो सालों में हम इन दस साल को भी आगे निकालकर के उससे भी डबल कर

दे और संभव है। संभव इसलिए है कि आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है वो आप की सरकार है। जिसके दिलों जान इसी चीजों से भरे हुए हैं।

मुझे किसी को समझाना नहीं पड़ता क्योंकि मैंने जिन्दगी जी है। अपमान क्या होता है मुझे मालूम है। हम तो जानते हैं पुराने जमाने से। अगर हम लोगों के यहां से कोई बारात भी निकले और घोड़े पर बैठा हो तो मौत भूल जाता था। अच्छे कपड़े पहन ले तो सामंती मानसिकता स्वीकार नहीं कर सकती है और वो आज भी है। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो? ये आज भी है। ऐसी अवस्था में आत्मनिर्भर आत्म-सम्मान के साथ आगे बढ़ना ये इस सरकार की भी जिम्मेवारी है और आप सबका हौसला है वो मुझे नई ताकत देता है और इसलिए आप ये मानकर चलिए कि दिल्ली में एक आप का साथी बैठा है जो इस बात को आगे बढ़ाना चाहता है और मैं जिस अधिकार से ज्यादा कर्तव्य पर बल देता हूं क्योंकि ये मेरी पसंद का काम है क्योंकि बाबासाहेब अम्बेडकर ने हमें यही रास्ता सिखाया था।

बाबासाहेब अम्बेडकर कहते थे, वो कहते थे कि भई दलित के पास जमीन नहीं है वो कहां जाएगा। दलित के लिए तो रोजी-रोटी का अवसर औद्योगीकरण ही है। देश में अगर industrialization होगा तो दलित को रोजगार मिलेगा, दलित को काम मिलेगा। खेती तो है नहीं उसके पास, जाएगा कहां। और इस देश में औद्योगीकरण का सबसे बड़ा benefit होता है तो निचले तबके के लोग जो कि रोजगार पाते हैं उनकी जिन्दगी में बदलाव आता है। बाबासाहेब अम्बेडकर के उन सपनों को हमें पूरा करना है।

बाबासाहेब ने कहा, शिक्षित बनो। हम कह रहे है 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।' ये कौन बेटी है जो अभी पढ़ना बाकी है जी। क्या अमीरों की बेटियां पढ़ना बाकी है? हमारे ही तो परिवार के बेटियां हैं जिसकी पढ़ाई बाकी रह गई और इसलिए जो सपना बाबासाहेब ने देखा था उन सपनों को हम सबको मिलकर के पूरा करना है और ये पूरे हो सकते हैं। आज का ये दृश्य देखकर के देश की अर्थरचना पर जो article लिखते हैं न, उनको भी नए सिरे से सोचकर के लिखना पड़ेगा। ये अगर, मैं कह तो नहीं सकता हूं कि लिखेंगे, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। ये बदलाव है। इस देश में एक तबका जिसको कभी मान-सम्मान तक मिलता नहीं था वो आज कहता है कि मैं ऐसा आगे बढ़ूं ताकि मैं किसी को सम्मान से जीने का अवसर दूं, मैं उसको रोजगार दूं। ये सोच जो है न वही शक्ति है और उस शक्ति के भरोसे आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं। आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर के चले, कदम से कदम मिलाकर के चले और मुझे ये भी खुशी है, अभी हमारे मिलिन्द जी ने वर्णन किया कि लंदन में बाबासाहेब अम्बेडकर का जो मकान था वहां स्मारक बनाया। लेकिन उसका credit पहले किसी को जाता है तो कल्पना को जाता है क्योंकि सबसे पहले आवाज उठाई थी कल्पना ने। उसने आवाज उठाई कि भई जागो ये मकान बिक रहा है और हम जागते थे हमारे कान पर आवाज आई और आज वो मकान प्रेरणा का एक केन्द्र बन जाएगा। देश की ये युवा पीढ़ी जब भी लंदन जाएगी वो देखेगी कि, इस जगह पर बाबासाहेब अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की और हिन्दुस्तान को एक नया जीवन देने का प्रयास किया। लेकिन फिर एक बार मैं कहता हूं आपने जो कर्तव्य का रास्ता चुना है देश को भी आप इस रास्ते की प्रेरणा देते रहिए, हम सबको प्रेरणा देते रहिए।

फिर एक बार आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ■

27 दिसम्बर, 2015 को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित

'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा उद्बोधन

मेरे प्यारे देशवासियो, आप सबको नमस्कार। 2015 - एक प्रकार से मेरी इस वर्ष की आख़िरी 'मन की बात'। अगले 'मन की बात' 2016 में होगी। अभी-अभी हम लोगों ने क्रिसमस का पर्व मनाया और अब नये वर्ष के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ है। त्योहारों की भी भरमार लगी रहती है। एक त्योहार गया नहीं कि दूसरा आयां। एक प्रकार से हर त्योहार दूसरे त्योहार की प्रतीक्षा को छोड़कर चला जाता है। कभी-कभी तो लगता है कि भारत एक ऐसा देश है, जहाँ पर 'त्योहार Driven Economy' भी है। समाज के ग़रीब तबक़े के लोगों की आर्थिक गतिविधि का वो कारण बन जाता है। मेरी तरफ़ से सभी देशवासियों को क्रिसमस की भी बहुत-बहुत शुभकामनायें और 2016 के नववर्ष की भी बहुत-बहुत शुभकामनायें। 2016 का वर्ष आप सभी के लिए ढेरों खुशियां ले करके आये। नया उमंग, नया उत्साह, नया संकल्प आपको नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाए। दुनिया भी संकटों से मुक्त हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे प्राकृतिक आपदायें हों, चाहे मानव सृजित संकट हो। मानव जाति सुखचैन की ज़िंदगी पाये, इससे बढ़कर के खुशी क्या हो सकती है।

आप तो जानते ही हैं कि मैं Technology का भरपूर प्रयोग करता रहता हूं उससे मुझे बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं। 'MyGov.' मेरे इस portal पर मैं काफी नज़र रखता हूं।

पुणे से श्रीमान गणेश वी. सावलेशवारकर, उन्होंने मुझे लिखा है कि ये season, Tourist की season होती है। बहुत बड़ी मात्रा में देश-विदेश के टूरिस्ट आते हैं। लोग भी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने जाते हैं। Tourism के क्षेत्र में बाकी सब सुविधाओं की तरफ़ तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जहां-जहां Tourist Destination है, Tourist place है, यात्रा धाम है, प्रवास धाम है, वहां पर स्वच्छता के संबंध में विशेष आग्रह रखना चाहिये। हमारे पर्यटन स्थल जितने साफ़-सुथरे होंगे, दुनिया में भारत की छवि अच्छी बनेगी। मैं गणेश जी के विचारों का स्वागत करता हूं और मैं गणेश जी की बात को देशवासियों को पहुंचा रहा हूं और वैसे भी हम 'अतिथि देवो भव' कहते हैं, तो हमारे यहां तो जब अतिथि आने वाला होता है तो घर में हम कितनी साज-सज्जा और सफाई करते हैं। तो हमारे पर्यटन स्थल पर, Tourist Destination पर, हमारे यात्रा धामों पर, ये सचमुच में एक विशेष बल देने वाला काम तो है ही है। और मुझे ये भी खुशी है कि देश में स्वच्छता के संबंध में लगातार ख़बरें आती रहती हैं। मैं Day one से इस विषय में मीडिया के मित्रों का तो धन्यवाद करता ही रहता हूं, क्योंकि ऐसी छोटी-छोटी, अच्छी-अच्छी चीजें खोज-खोज करके वो लोगों के सामने रखते हैं। अभी मैंने एक अखबार में एक चीज़ पढ़ी थी। मैं चाहूंगा कि देशवासियों को मैं बताऊं।

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भोजपुरा गांव में एक बुज़ुर्ग कारीगर दिलीप सिंह मालविया। अब वो सामान्य कारीगर हैं जो meson का काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं। उन्होंने एक ऐसा अनूठा काम किया कि अखबार ने उनकी एक कथा छापी। और मेरे ध्यान में आई तो मुझे भी लगा कि मैं इस बात को आप तक पहुचाऊं। छोटे से गांव के दिलीप सिंह मालविया, उन्होंने तय किया कि गांव में अगर कोई material provide करता है तो शौचालय बनाने की जो मज़दूरी लगेगी, वो नहीं लेंगे और वो मुफ्त में meson के नाते काम करते हुए शौचालय बना देंगे। भोजपुरा गांव में उन्होंने अपने परिश्रम से, मज़दूरी लिये बिना, ये काम एक पवित्र काम है इसे मान करके अब तक उन्होंने

100 शौचालयों का निर्माण कर दिया है। मैं दिलीप सिंह मालविया को हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं, अभिनन्दन देता हूं। देश के संबंध में निराशा की बातें कभी-कभी सुनते हैं। लेकिन ऐसे कोटि-कोटि दिलीप सिंह हैं इस देश में जो अपने तरीके से कुछ-न-कुछ अच्छा कर रहे हैं। यही तो देश की ताकत है। यही तो देश की आशा है और यही तो बातें हैं जो देश को आगे बढ़ाती हैं और तब 'मन की बात' में दिलीप सिंह का गर्व करना, उनका गौरव करना बहुत स्वाभाविक लगता है।

अनेक लोगों के अथक प्रयास का परिणाम है कि देश बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। कदम से कदम मिला करके सवा सौ करोड़ देशवासी एक-एक कदम खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बेहतर शिक्षा, उत्तम कौशल एवं रोज़गार के नित्य नए अवसर। चाहे नागरिकों को बीमा सुरक्षा कवर से लेकर बैंकिंग सुविधायें पहुंचाने की बात हो। वैश्विक फ़लक पर 'Ease of Doing Business' में सुधार, व्यापार और नये व्यवसाय करने के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना। सामान्य परिवार के लोग जो कभी बैंक के दरवाज़े तक नहीं पहुंच पाते थे, 'मुद्रा योजना' के तहत आसान ऋण उपलब्ध करवाना।

हर भारतीय को जब ये पता चलता है कि पूरा विश्व योग के प्रति आकर्षित हुआ है और दुनिया ने जब 'अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाया और पूरा विश्व जुड़ गया तब हमें विश्वास पैदा हो गया कि वाह, ये तो है न हिन्दुस्तान। ये भाव जब पैदा होता है न, ये तब होता है जब हम विराट रूप के दर्शन करते हैं। यशोदा माता और कृष्ण की वो घटना कौन भूलेगा, जब श्री बालकृष्ण ने अपना मुंह खोला और पूरे ब्रह्माण्ड का माता यशोदा को दर्शन करा दिये, तब उनको ताकत का अहसास हुआ। योग की घटना ने भारत को वो अहसास दिलाया है।

स्वच्छता की बात एक प्रकार से घर-घर में गूंज रही है। नागरिकों का सहभाग भी बढ़ता चला जा रहा है। आज़ादी के इतने सालों के बाद जिस गांव में बिजली का खम्भा पहुंचता होगा, शायद हम शहर में रहने वाले लोगों को, या जो बिजली का उपभोग करते हैं उनको कभी अंदाज़ नहीं होगा कि अंधेरा छंटता है तो उत्साह और उमंग की सीमा क्या होती है। भारत सरकार का और राज्य सरकारों का ऊर्जा विभाग काम तो पहले भी करता था लेकिन जब से गांवों में बिजली पहुंचाने का 1000 दिन का जो संकल्प किया है और हर दिन जब ख़बर आती है कि आज उस गांव में बिजली पहुंची, आज उस गांव में बिजली पहुंची, तो साथ-साथ उस गांव के उमंग और उत्साह की ख़बरें भी आती हैं। अभी तक व्यापक रूप से मीडिया में इसकी चर्चा नहीं पहुंची है लेकिन मुझे विश्वास है कि मीडिया ऐसे गांवों में ज़रूर पहुंचेगा और वहां का उत्साह-उमंग कैसा है उससे देश को परिचित करवाएगा और उसके कारण सबसे बड़ा तो लाभ ये होगा कि सरकार के जो मुलाज़िम इस काम को कर रहे हैं, उनको एक इतना satisfaction मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो किसी गांव की, किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला है। किसान हो, ग़रीब हो, युवा हो, महिला हो, क्या इन सबको ये सारी बातें पहुंचनी चाहिये कि नहीं पहुंचनी चाहिये? पहुंचनी इसलिये नहीं चाहिये कि किस सरकार ने क्या काम किया और किस सरकार ने काम क्या नहीं किया! पहुंचनी इसलिये चाहिए कि वो अगर इस बात का हकदार है तो हक जाने न दे। उसके हक को पाने के लिए भी तो उसको जानकारी मिलनी चाहिये न! हम सबको कोशिश करनी चाहिये कि सही बातें, अच्छी बातें, सामान्य मानव के काम की बातें जितने ज्यादा लोगों को पहुंचती हैं, पहुंचानी चाहिए। यह भी एक सेवा का ही काम है। मैंने अपने तरीके से भी इस काम को करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं तो कुछ मुझे भी करना चाहिये न। एक सामान्य नागरिक भी अपने मोबाइल

अनेक लोगों के अथक प्रयास का परिणाम है कि देश बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। कदम से कदम मिला करके सवा सौ करोड़ देशवासी एक-एक कदम ख़ुद भी आगे बढ़ रहे हैं, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बेहतर शिक्षा, उत्तम कौशल एवं रोज़गार के नित्य नए अवसर। चाहे नागरिकों को बीमा सुरक्षा कवर से लेकर बैंकिंग सुविधायें पहुंचाने की बात हो। वैश्विक फ़लक पर 'Ease of Doing Business' में सुधार, व्यापार और नये व्यवसाय करने के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना। सामान्य परिवार के लोग जो कभी बैंक के दरवाज़े तक नहीं पहुंच पाते थे, 'मुद्रा योजना' के तहत आसान ऋण उपलब्ध करवाना।

फ़ोन पर 'Narendra Modi App' को download करके मुझसे जुड़ सकता है। और ऐसी छोटी-छोटी बातें, मैं उस पर शेयर करता रहता हूं। और मेरे लिए खुशी की बात है कि लोग भी मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं। आप भी अपने तरीक़े से ज़रूर इस प्रयास में जुड़िये, सवा सौ करोड़ देशवासियों तक पहुंचना है। आपकी मदद के बिना मैं कैसे पहुंचूंगा। आइये, हम सब मिलकर के सामान्य मानव की हितों की बातें, सामान्य मानव की भाषा में पहुंचाएं और उनको प्रेरित करें, उनके हक की चीजों को पाने के लिए।

मेरे प्यारे नौजवान साथियो, 15 अगस्त को लाल किले से मैंने 'Start-up India, Stand-up India' उसके संबंध में एक प्राथमिक चर्चा की थी। उसके बाद सरकार के सभी विभागों में ये बात चल पड़ी। क्या भारत 'Start-up Capital' बन सकता है? क्या हमारे राज्यों के बीच नौजवानों के लिए एक उत्तम अवसर के रूप में नये-नये Start-ups, अनेक with Start-ups, नये-नये Innovations! चाहे manufacturing में हो, चाहे Service Sector में हो, चाहे Agriculture में हो। हर चीज़ में नयापन, नया तरीका, नयी सोच। दुनिया Innovation के बिना आगे बढ़ती नहीं है। 'Start-up India, Stand-up India' युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आयी है। मेरे नौजवान साथियो, 16 जनवरी को भारत सरकार 'Start-up India, Stand-up India' उसका पूरा action-plan launch करने वाली है। कैसे होगा? क्या होगा? क्यों होगा? एक ख़ाका आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में देशभर की IITs, IIMs, Central Universities, NITs, जहां-जहां युवा पीढ़ी है, उन सबको live-connectivity के द्वारा इस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा।

Start-up के संबंध में हमारे यहां एक सोच बंधी-बंधाई बन गयी है। जैसे digital world हो या IT profession हो ये start-up उन्हीं के लिए है! जी नहीं, हमें तो उसको भारत की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव लाना है। ग़रीब व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, उसको शारीरिक श्रम करना पड़ता है, लेकिन कोई नौजवान Innovation के द्वारा एक ऐसी चीज़ बना दे कि ग़रीब को मज़दूरी में थोड़ी सुविधा हो जाये। मैं इसको भी Start-up मानता हूं। मैं बैंक को कहूंगा कि ऐसे नौजवान को मदद करो, मैं उसको भी कहूंगा कि हिम्मत से आगे बढ़ो। Market मिल जायेगा। उसी प्रकार से क्या हमारे युवा पीढ़ी की बुद्धि-संपदा कुछ ही शहरों में सीमित है क्या? ये सोच गलत है। हिन्दुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिये। ये 'Start-up India, Stand-up India' कुछ शहरों में सीमित नहीं रहना चाहिये, हिन्दुस्तान के हर कोने में फैलना चाहिये। और इसे मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह कर रहा हूं कि इस बात को हम आगे बढाएं। 16 जनवरी को मैं ज़रूर आप सबसे रूबरू हो करके विस्तार से इस विषय में बातचीत करूंगा और हमेशा आपके सुझावों का स्वागत रहेगा।

प्यारे नौजवान साथियो, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जन्म-जयंती है। मेरे जैसे इस देश के कोटि-कोटि लोग हैं जिनको स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा मिलती रही है। 1995 से 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती को एक National Youth Festival के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष ये 12 जनवरी से 16 जनवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाला है। और मुझे जानकारी मिली कि इस बार की उनकी जो theme है, क्योंकि उनका ये event theme based होता है, theme बहुत बढ़िया है 'Indian Youth on development skills and harmony'। मुझे बताया गया कि सभी राज्यों से, हिंदुस्तान के कोने-कोने से, 10 हज़ार से ज्यादा युवा इकट्ठे होने वाले हैं। एक लघु भारत का दृश्य वहां पैदा होने वाला है। युवा भारत का दृश्य पैदा होने वाला है। एक प्रकार से सपनों की बाढ़ नज़र आने वाली है। संकल्प का एहसास होने वाला है। इस Youth Festival के संबंध में क्या आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं? मैं ख़ास कर के युवा दोस्तों से आग्रह करता हूं कि मेरी जो 'Narendra Modi App' है उस पर आप directly मुझे अपने विचार भेजिए। मैं आपके मन को जानना-समझना चाहता हूं और जो ये National Youth Festival में reflect हो, मैं सरकार में उसके लिए उचित सुझाव भी दूंगा, सूचनाएं भी दूंगा। तो मैं इंतज़ार करूंगा दोस्तो, 'Narendra Modi App' पर Youth Festival के संबंध में आपके विचार जानने के लिए।

अहमदाबाद, गुजरात के दिलीप चौहान, जो एक visually challenged teacher हैं, उन्होंने अपने स्कूल में 'Accessible India Day' उसको मनाया। उन्होंने मुझे फ़ोन कर के अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं: -

"Sir, we celebrated 'Accessible India Campaign' in my school. I am a visually challenged teacher and I addressed 2000 children on the issue of disability and how we can spread awareness and help differently abled people. And the students' response was fantastic. We enjoyed in the school and the students were inspired and motivated to help the disabled people in the society. I think it was a great initiative by you."

दिलीप जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप तो स्वयं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप भली-भांति इन बातों को समझते हैं और आपने तो बहुत सारी कठिनाइयां भी झेली होंगी।

कभी-कभी समाज में इस प्रकार के किसी व्यक्ति से मिलने का अवसर आता है, तो हमारे मन में ढेर सारे विचार आते हैं। हमारी सोच के अनुसार हम उसे देखने का अपना नज़रिया भी व्यक्त करते हैं। कई लोग होते हैं जो हादसे के शिकार होने के कारण अपना कोई अंग गवां देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जन्मजात ही कोई क्षति रह जाती है। और ऐसे लोगों के लिए दुनिया में अनेक-अनेक शब्द प्रयोग हुए हैं, लेकिन हमेशा इन शब्दों के प्रति भी चिंतन चलता रहा है। हर समय लोगों को लगा कि नहीं-नहीं, ये उनके लिए ये शब्द की पहचान अच्छी नहीं लगती है, सम्मानजनक नहीं लगती है। और आपने देखा होगा कि कितने शब्द आ चुके हैं। कभी Handicapped शब्द सुनते थे, तो कभी Disable शब्द सुनते थे, तो कभी Specially Abled Persons - अनेक शब्द आते रहते हैं। ये बात सही है कि शब्दों का भी अपना एक महत्व होता है। इस वर्ष जब भारत सरकार ने 'सुगम्य भारत अभियान' का प्रारंभ किया, उस कार्यक्रम में मैं जाने वाला था, लेकिन तमिलनाडु के कुछ ज़िलों में और ख़ास कर के चेन्नई में भयंकर बाढ़ के कारण मेरा वहां जाने का कार्यक्रम बना, उस दिन मैं उस कार्यक्रम में रह नहीं पाया था। लेकिन उस कार्यक्रम में जाना था तो मेरे मन में कुछ-न-कुछ विचार चलते रहते थे। तो उस समय मेरे मन में विचार आया था कि परमात्मा ने जिसको शरीर में कोई कमी दी है, कोई क्षति दी है, एकाध अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है - हम उसे विकलांग कहते हैं और विकलांग के रूप में जानते हैं। लेकिन कभी-कभी उनके परिचय में आते हैं तो पता चलता है कि हमें आंखों से उसकी एक कमी दिखती है, लेकिन ईश्वर ने उसको कोई extra power दिया होता है। एक अलग शक्ति का उसके अन्दर परमात्मा ने निरूपण किया होता है। जो अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब उसे देखते हैं काम करते हुए, उसे अपने काबिलियत की ओर तो ध्यान जाता है। अरे वाह! ये कैसे करता है? तो फिर मेरे मन में विचार आया कि आंख से तो हमें लगता है कि शायद वो विकलांग है, लेकिन अनुभव से लगता है कि उसके पास कोई extra power, अतिरिक्त शक्ति है। और तब जाकर के मेरे मन में विचार आया, क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर "दिव्यांग" शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं, जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मेरे देशवासी हम आदतन विकलांग की जगह पर "दिव्यांग" शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या? मैं आशा करता हू कि इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे।

उस दिन हमने 'सुगम्य भारत' अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत हम physical और virtual - दोनों तरह के Infrastructure में सुधार कर उन्हें "दिव्यांग" लोगों के लिए सुगम्य बनायेंगे। स्कूल हो, अस्पताल हो, सरकारी दफ्तर हो, बस अड्डे हों, रेलवे स्टेशन में ramps हो, accessible parking, accessible lifts, ब्रेल लिपि; कितनी बातें हैं। इन सब में उसे सुगम्य बनाने के लिए Innovation चाहिए, technology चाहिए, व्यवस्था चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। इस काम का बीड़ा उठाया है। जन-भागीदारी भी मिल रहीं है। लोगों को अच्छा लगा है। आप भी अपने तरीके से ज़रूर इसमें जुड़ सकते हैं।

उस दिन हमने 'सुगम्य भारत अभियान' की शुरुआत की है। इसके तहत हम physical और virtual - दोनों तरह के Infrastructure में सुधार कर उन्हें "दिव्यांग" लोगों के लिए सुगम्य बनायेंगे। स्कूल हो, अस्पताल हो, सरकारी दफ्तर हो, बस अड्डे हों, रेलवे स्टेशन में ramps हो, accessible parking, accessible lifts, ब्रेल लिपि; कितनी बातें हैं। इन सब में उसे सुगम्य बनाने के लिए Innovation चाहिए, technology चाहिए, व्यवस्था चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। इस काम का बीड़ा उठाया है। जन-भागीदारी भी मिल रहीं है। लोगों को अच्छा लगा है। आप भी अपने तरीके से ज़रूर इसमें जुड़ सकते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियो, सरकार की योजनायें तो निरंतर आती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक होता है कि योजनायें हमेशा प्राणवान रहनी चाहियें। योजनायें आखिरी व्यक्ति तक जीवंत होनी चाहियें। वो फाइलों में मृतप्राय नहीं होनी चाहियें। आखिर योजना बनती है सामान्य व्यक्ति के लिए, ग़रीब व्यक्ति के लिए। पिछले दिनों भारत सरकार ने एक प्रयास किया कि योजना के जो हक़दार हैं उनके पास सरलता से लाभ कैसे पहुंचे। हमारे देश में गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जाती है।

करोड़ों रुपये उसमें जाते हैं लेकिन ये हिसाब-किताब नहीं था कि जो लाभार्थी है उसी के पास पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। सही समय पर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव किया। जन-धन एकाउंट हो, आधार कार्ड हो, इन सब की मदद से विश्व की सबसे बड़ी, largest 'Direct Benefit Transfer Scheme' के द्वारा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी पहुंचना। देशवासियों को ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि अभी-अभी 'गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में इसे स्थान मिल गया कि दुनिया की सबसे बड़ी 'Direct Benefit Transfer Scheme' है, जो सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है। 'पहल' नाम से ये योजना प्रचलित है और प्रयोग बहुत सफल रहा है। नवम्बर अंत तक करीब-करीब 15 करोड़ LPG उपभोक्ता 'पहल' योजना के लाभार्थी बन चुके हैं, 15 करोड़ लोगों के खाते में बैंक एकाउंट में सरकारी पैसे सीधे जाने लगे हैं। न कोई बिचौलिया, न कोई सिफ़ारिश की ज़रूरत, न कोई भ्रष्टाचार की सम्भावना। एक तरफ़ आधार कार्ड का अभियान, दूसरी तरफ़ जन-धन एकाउंट खोलना, तीसरी तरफ़ राज्य सरकार और भारत सरकार मिल कर के लाभार्थियों की सूची तैयार करना। उनको आधार से और एकाउंट से जोड़ना। ये सिलसिला चल रहा है। इन दिनों तो मनरेगा जो कि गांव में रोजगार का अवसर देता है, वो मनरेगा के पैसे, बहुत शिकायत आती थी। कई स्थानों पर अब वो सीधा पैसा उस मजदूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में जमा होने लगे हैं। Students को Scholarship में भी कई कठिनाइयां होती थीं, शिकायतें भी आती थीं, उनमें भी अब प्रारंभ कर दिया है, धीरे-धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब तक करीब-करीब 40 हज़ार करोड़ रूपये सीधे ही लाभार्थी के खाते में जाने लगे हैं अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से। एक मोटा-मोटा मेरा अंदाज़ है, करीब-करीब 35 से 40 योजनायें अब सीधी-सीधी 'Direct Benefit Transfer' के अंदर समाहित की जा रही हैं।

मेरे प्यारे देशवासियो, 26 जनवरी - भारतीय गणतंत्र दिवस का एक सुनहरा पल। ये भी सुखद संयोग है कि इस बार डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, हमारे संविधान के निर्माता, उनकी 125वीं जयंती है। संसद में भी दो दिन संविधान पर विशेष चर्चा रखी गई थी और बहुत अच्छा अनुभव रहा। सभी दलों ने, सभी सांसदों ने संविधान की पवित्रता, संविधान का महत्व, संविधान को सही स्वरुप में समझना - बहुत ही उत्तम चर्चा की। इस बात को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। गणतंत्र दिवस सही अर्थ में जन-जन को तंत्र के साथ जोड़ सकता है क्या और तंत्र को जन-जन के साथ जोड़ सकता है क्या? हमारा संविधान हमें बहुत अधिकार देता है और अधिकारों की चर्चा सहज रूप से होती है और होनी भी चाहिए। उसका भी उतना ही महत्व है। लेकिन संविधान कर्तव्य पर भी बल देता है। लेकिन देखा ये गया है कि कर्तव्य की चर्चा बहुत कम होती है। ज्यादा से ज्यादा जब चुनाव होते हैं तो चारों तरफ़ advertisement होते हैं, दीवारों पर लिखा जाता है, hoardings लगाये जाते हैं कि मतदान करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। मतदान के समय तो कर्तव्य की बात बहुत होती है लेकिन क्यों न सहज जीवन में भी कर्तव्य की बातें हों। जब इस वर्ष हम बाबासाहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं तो क्या हम 26 जनवरी को निमित्त बना करके स्कूलों में, colleges में, अपने गांवों में, अपने शहर में, भिन्न-भिन्न societies में, संगठनों में - 'कर्तव्य' इसी विषय पर निबंध स्पर्द्धा, काव्य स्पर्द्धा, वक्तृत्व स्पर्द्धा ये कर सकते हैं क्या? अगर सवा सौ करोड़ देशवासी कर्तव्य भाव से एक के बाद एक कदम उठाते चले जाएं तो कितना बड़ा इतिहास बन सकता है। लेकिन चर्चा से शुरू तो करें। मेरे मन में एक विचार आता है, अगर आप मुझे 26 जनवरी के पहले ड्यूटी, कर्तव्य - अपनी भाषा में, अपनी भाषा के उपरांत अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में, अंग्रेज़ी में लिखना है तो अंग्रेज़ी में कर्तव्य पर काव्य रचनाएं हो, कर्तव्य पर ऐसे राइटिंग हो, निबंध लिखें आप। मुझे भेज सकते हैं क्या? मैं आपके विचारों को जानना चाहता हूं। 'My Gov.' मेरे इस पोर्टल पर भेजिए। मैं ज़रूर चाहूंगा कि मेरे देश की युवा पीढ़ी कर्तव्य के संबंध में क्या सोचती है।

एक छोटा सा सुझाव देने का मन करता है। 26 जनवरी जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्या हम नागरिकों के द्वारा, स्कूल-कॉलेज के बालकों के द्वारा हमारे शहर में जितनी भी महापुरुषों की प्रतिमायें हैं, statues लगे हैं, उसकी सफाई, उस परिसर की सफाई, उत्तम से उत्तम स्वच्छता, उत्तम से उत्तम सुशोभन 26 जनवरी निमित्त कर सकते हैं क्या? और ये मैं सरकारी राह पर नहीं कह रहा हूँ। नागरिकों के द्वारा, जिन महापुरुषों का statue लगाने के लिए हम इतने emotional होते हैं, लेकिन बाद में उसको संभालने में हम उतने ही उदासीन होते हैं। समाज के नाते, देश के नाते, क्या ये हम अपना सहज़ स्वभाव बना सकते हैं क्या, इस 26 जनवरी को हम सब मिल के प्रयास करें कि ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाओं का सम्मान, वहां सफाई, परिसर की सफाई और ये सब जनता-जनार्दन द्वारा, नागरिकों द्वारा सहज रूप से हो।

प्यारे देशवासियो, फिर एक बार नव वर्ष 2016 की ढेर सारी शुभकामनायें। बहुत-बहुत धन्यवाद। ■

कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया

■ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

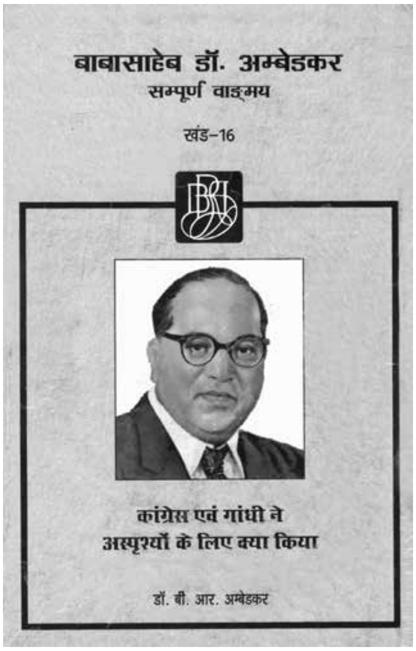

अध्याय : 3

तुच्छ चालें

कांग्रेस द्वारा अपने अधिकार त्यागने से इंकार

I

भारत सरकार के अधिनियम, 1919 में एक प्रावधान के अन्तर्गत यह अनिवार्य कर दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, संविधान की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए, एक रॉयल कमीशन नियुक्त करेगी, जो संविधान में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों के लिए भी अपनी रिपोर्ट देगा। इस प्रकार 1928 में सर जॉन साईमन की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया। भारतीयों को आशा थी कि कमीशन में उन्हें भी सम्मिलित किया जाएगा, परंतु लार्ड बर्किनहेड ने, जो उस समय भारत के राज्य सचिव थे, कमीशन में भारतीयों के सम्मिलित किए जाने का विरोध किया और उसे पूर्णतया संसदीय आयोग (पार्लियामेंटरी कमीशन) बनाने पर बल दिया। उस पर कांग्रेस तथा उदारपंथियों ने इसे अपना अपमान समझकर उसका विरोध किया। उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चला कर कमीशन का बहिष्कार किया। विरोध की उस भावना को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार को यह घोषणा करनी पड़ी कि कमीशन का कार्य पूरा हो जाने के बाद भारत के लिए संविधान लागू करने से पहले भारतीय प्रतिनिनियों को विचार-विमर्श के लिए बुलाया जाएगा। इस घोषणा के अनुसार संसद के प्रतिनिधियों तथा ब्रिटिश सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधियों को बुलाया गया।

12 नवंबर 1930 को स्वर्गीय सम्राट जार्ज पंचम ने भारतीय गोलमेज सम्मेलन का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। उस गोलमेज सम्मेलन का महत्व इस बात से है कि इस में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संविधान निर्माण में भारतीयों से परामर्श करने के लिए उनके अधिकार को मान्यता दी। अस्पृश्यों के लिए इतिहास में यह बात महत्वपूर्ण घटना थी। यह पहला अवसर था, जब अस्पृश्यों को उसमें अपने दो प्रतिनिधि अलग से भेजने की अनुमति मिली, जिनमें एक मैं तथा दूसरे दीवान बहादुर आर. श्रीनिवासन थे। इसका अर्थ यह था कि अस्पृश्यों का हिंदुओं से अलग अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि वे इतना महत्व रखते हैं कि भारत के लिए संविधान बनाने में भी उन्हें अपनी राय देने का अधिकार है।

इस गोलमेज सम्मेलन का कार्य नौ समितियों में विभाजित था। उसमें से एक अल्पसंख्यक समिति (माइनारिटिज कमेटी) थी, जिसे सांप्रदायिक प्रश्नों का हल निकालने का अत्यंत कठिन कार्य सौंपा गया था। महत्वपूर्ण समिति होने के कारण, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय रेमसे मैक्डोनाल्ड स्वयं उसके अध्यक्ष बने। अल्पसंख्यक समिति के सभी कार्य अस्पृश्यों के लिए बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि उसमें कांग्रेस तथा अस्पृश्यों के मध्य जो बात घटित हुई और दोनों के बीच जो कटुता आई, वह समिति के कार्यवाही वृत्तांत से प्राप्त हो जाएगी।

जब गोलमेज सम्मेलन की बैठक हुई, तब अस्पृश्यों की मांगों के अतिरिक्त अन्य सभी संप्रदायों की राजनीतिक मांगे सबको ज्ञात थीं। वास्तव में 1919 के संविधान में अस्पृश्यों को सांविधिक अल्पसंख्यक माना गया था और उनकी मांगों के लिए संरक्षण एवं सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। अब उन प्रावधानों को और विस्तृत करने तथा उनकी रूपरेखा में परिवर्तन करने का प्रश्न था। जहां तक दलित वर्गों (डिप्रेस्ड क्लासेस) का प्रश्न था, उनकी स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में, जिस पर 1919 का भारत सरकार का अधिनियम आधारित था, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संविधान में अस्पृश्यों की सुरक्षा का प्रावधान अवश्य किया जाए। परंतु दुर्भाग्यवश जब संविधान का मसविदा तैयार किया गया तब संविधान में भारत सरकार को विधानसभाओं में नामजदगी से नाममात्र का प्रतिनिधित्व देने में बड़ी कठिनाई हुई। पहली बात

यह थी कि हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यों पर, जो अमानवीय अत्याचार हो रहे थे, उनसे उनकी सुरक्षा करने के लिए प्रावधान करना नितांत आवश्यक था। गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक समिति में एक ज्ञापन देकर मैंने उस कार्य को पूरा किया। उनकी सुरक्षा के लिए मैंने जो ज्ञापन दिया था मैं उसका पाठ प्रस्तुत कर रहा हूं:-

"स्वायत्तशासी भारत के भावी संविधान में दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था - जिसे भारत के गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया।"

स्वायत्तशासी भारत में बहुमत वाले शासन में शामिल होने के लिए दलित वर्ग निम्नलिखित शर्तों पर अपनी सहमति देंगे:-

शर्त संख्या - 1

समान नागरिकता

वर्तमान परिस्थिति में दलित वर्ग सदा गुलाम बनाए रखने वाले बहुमत के शासन का समर्थन नहीं कर सकता। बहुमत का शासन स्थापित होने से पहले अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। यह बहुमत की इच्छा पर नहीं छोड़ना चाहिए। दलित वर्गों के लोगों को स्वतंत्र नागरिकों के वे सभी अधिकार मिलने चाहिए जो साधारणतया स्वतंत्र देश के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं।

(क) अस्पृश्यता उन्मूलन तथा समान नागरिकता की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान का अंग बनाने का प्रस्ताव है।

मूल अधिकार

भारत राज्य के सभी व्यक्ति कानूनी रूप से एक समान हों और उन्हें समान नागरिक अधिकार प्राप्त हों। कोई वर्तमान अधिनियमन, विनियमन, आदेश, रूढ़ि या विधि की व्याख्या- जिसके द्वारा अस्पृश्यता के आधार पर किसी प्रकार का दंड असुविधा, अयोग्यता, आरोपित की जाती है अथवा राज्य के किसी नागरिक से किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, वह उस दिन से समाप्त हो जाएगा, जब से भारत का संविधान लागू होगा।

वर्तमान परिस्थिति में दलित वर्ग सदा गुलाम बनाए रखने वाले बहुमत के शासन का समर्थन नहीं कर सकता। बहुमत का शासन स्थापित होने से पहले अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। यह बहुमत की इच्छा पर नहीं छोड़ना चाहिए। दलित वर्गों के लोगों को स्वतंत्र नागरिकों के वे सभी अधिकार मिलने चाहिए जो साधारणतया स्वतंत्र देश के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। (क) अस्पृश्यता उन्मूलन तथा समान नागरिकता की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान का अंग बनाने का प्रस्ताव है। भारत राज्य के सभी व्यक्ति कानूनी रूप से एक समान हों और उन्हें समान नागरिक अधिकार प्राप्त हों। कोई वर्तमान अधिनियमन, विनियमन, आदेश, रूढ़ि या विधि की व्याख्या- जिसके द्वारा अस्पृश्यता के आधार पर किसी प्रकार का दंड असुविधा, अयोग्यता, आरोपित की जाती है।

[संयुक्त राज्य अमरीका संविधान संशोधन 14 तथा आयरलैंड सरकार अधिनियम 1920 10 तथा 11 जि.यो. V अध्याय, 67 धारा 5(2)]

(ख) भारत सरकार के अधिनियम 1919 की धारा 110 तथा 111 के अंतर्गत, जो छूट और सुविधाएं कार्यपालिका को अब प्राप्त है, उन्हें समाप्त करना तथा कार्यपालिका के कृत्यों में उनके उत्तरदायित्व को यूरोपियन ब्रिटिश नागरिक के उत्तरदायित्व के समान बनाना।

सभी संविधान में ऐसी स्थिति है देखें-प्रो. कीथ की टिप्पणी, सी एन डी 207, पृष्ठ 56

शर्त संख्या - 2

समान अधिकारों का अबाध उपयोग

दलित वर्गों के लिए अधिकारों की घोषणा मात्र से कोई लाभ नहीं होगा। यदि दलित वर्ग समान नागरिक अधिकारों का उपयोग करेंगे तो निस्संदेह उन्हें रूढ़िवादी पूरे हिंदू समाज को प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दलित वर्ग के लोग यह अनुभव करते हैं कि अधिकारों की ऐसी घोषणाएं केवल घोषणाएं बन कर ही न रह जाएं बल्कि दैनिक व्यवहार में आनी चाहिए। उन घोषित अधिकारों के प्रयोग में उठने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए उचित दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(क) अत: दलित वर्ग यह प्रस्ताव करता है कि 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के भाग 11 में अपराध, प्रक्रिया और दंड का प्रावधान करने वाली निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए।

(1) नागरिकता के नियम का उल्लघंन पर दंड का प्रावधान

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कानून के अलावा अस्पृश्यता

के आधार पर आवास, लाभ, सुविधाओं, का उपभोग करने, सरायों में ठहरने, शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश करने, सड़कों पर चलने, तालाबों और पानी भरने के अन्य स्थानों, कुओं का प्रयोग करने, सड़क मार्ग या जल मार्गो के आवागमन के साधनों का उपयोग करने, सिनेमाघरों, लोक मनोरंजन के स्थानों जिनका प्रयोग सार्वजनिक रूप से होता हो, पर जाने से रोकेगा तो वह दंड का भागी होगा, जिसे, अपराध के अनुसार, अधिक से अधिक पांच वर्ष का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है।

(अमरीका में नीग्रो लोगों की स्वतंत्रता के बाद उन के हितों की सुरक्षा के लिए पास किए गए अप्रैल 1866 तथा 1 मार्च 1875 के सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट्स।)

(ख) दलित वर्गो द्वारा अपने अधिकारों के शांतिपूर्वक उपभोग करने में हिंदू केवल बाधाएं ही नहीं डालते। उनका सबसे अधिक प्रचलित तरीका सामाजिक बहिष्कार है। यदि दलित वर्गो के अधिकार कट्टर हिंदुओं को नहीं पचते हैं, तो सामाजिक बहिष्कार उनका अचूक शस्त्र है। सामाजिक बहिष्कार किस प्रकार और किन अवसरों पर किया जाता है उसका वर्णन बम्बई सरकार द्वारा वर्ष 1928 में गठित एक समिति की रिपोर्ट में विस्तार से किया गया है। बंबई प्रेसीडेंसी में दलित वर्गो के बारे में जांच करने और उनके उत्थान के उपायों, का सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशों के कुछ अंश इस प्रकार हैं :-

दलित वर्ग तथा उसका सामाजिक बहिष्कार

"102 - यद्यपि सभी सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने के अधिकार दलित वर्गो को दिलाने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के उपचार सुझाए हैं, तथापि हमें डर है कि उन वर्गो को उन अधिकारों का उपयोग करने में भविष्य में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना होगा। पहली कठिनाई कट्टर हिंदुओं द्वारा दलित वर्गो पर खुलेआम हिंसा बरपाने की हैं। यह ध्यान देने की बात है कि गावों में दलित वर्गो की संख्या बहुत कम होती है जबकि कट्टर हिंदू बहुत अधिक संख्या में होते है, जो हर कीमत पर दलितों से अपने स्वार्थो और हितो की रक्षा करने में सक्षम हैं। दलित वर्गो पर कट्टर हिंदुओं की हिंसा पुलिस की कार्यवाही के भय से कम हो गई है और परिणामस्वरूप ऐसे बहुत कम मामले प्रकाश में आते है।

"दलित वर्गो में आजकल भयानक आर्थिक समस्याएं हैं। प्रेसीडेंसी के अधिकतर भागों में दलित वर्ग के लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। कुछ रूढ़िवादी हिंदुओं के खेत जोतते-बोते हैं, तो कुछ उनके यहां मजदूरों के तौर पर काम करते है। अन्य बहुत से लोग रूढ़िवादी हिंदुओं के खेतिहर मजदूर बन कर अपनी जीविका चलाते हैं और कुछ अस्पृश्यों को उन हिंदुओं के यहां नौकरी करके जो अनाज मिलता है उसी से गुजर-बसर करते है। बहुत से उदाहरण सुनने में आए है, जहां पर सनातनी हिंदुओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को अपने गांवों के दलितों को दबाने के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया। जब दलितों ने अपने प्राप्त अधिकारों का उपयोग करना चाहा तो कट्टर हिंदुओं ने उनसे खेत छीन लिए उनको काम से हटा दिया। इस प्रकार उनके बहिष्कार की योजना इस हद तक बनाई जाती है कि उन्हें सार्वजनिक मार्गो पर चलने भी नहीं दिया जाता। गांव के बनिए से जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुए खरीदने के बहिष्कार की घोषणा कर दी जाती है। प्राय: दलितों को सामान्य कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता। ऐसी बातें भी सामने आई है कि कुछ दलितों के जनेऊ धारण कर लेने पर कुछ भूमि खरीद लेने पर कुछ साफ कपड़े और गहने पहन लेने पर सार्वजनकि मार्ग से दूल्हे को घोड़े पर चढ़ाकर बारात में ले जाने पूरी तरह रोक लगी होती है।

"हम नहीं समझते कि अस्पृश्यों को कुचलने के लिए इस प्रकार सामाजिक बहिष्कार से बढ़कर कोई और हथियार हो सकता है। लाठी डंडा चलाने की बात भी इसके सामने कुछ नहीं बचती, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार बहुत ही भयंकर हथियार है यह और भी घातक है, क्योंकि यह घुलमिल कर रहने की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर ही वार करता है। हम इस बात से सहमत है कि बहुसंख्यको के इस प्रकार के अत्याचार की वारदातें बहुत सख्ती के साथ दबाई जाएं, यदि हम दलितों के बोलने की स्वतंत्रता और उनके उत्थान की आवश्यकता समझते है तो हमें इसकी गारंटी देनी होगी।"

दलित वर्ग के विचार से उनकी स्वतंत्रता तथा अधिकारो पर कुठाराघात करने वाली मुसीबतों से छुटकारा दिलाने का केवल एक ही उपाय है कि सामाजिक बहिष्कार कानूनी रूप से दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। इसलिए दलित वर्ग के लोग भारतीय संविधान के 1919 के भाग 11 में यह जोड़ने पर जोर देते हैं कि सामाजिक बहिष्कार पर दंड की व्यवस्था अवश्य की जाए।

1. बहिष्कार के अपराध को परिभाषित करना

(1) इसे बहिष्कार माना जाए जब कोई मनुष्य दूसरे को:

(क) किसी भी घर में नहीं रहने देता, भूमि पर कब्जा लेने से रोकता है, बेगार कराता है, किसी मनुष्य को व्यापार करने में बाधा डालता है या किसी से दासता कराता है अथवा उन्हें उक्त सार्वजनिक कार्यो में से किसी को करने से रोकता है, अथवा-

(ख) सामाजिक और व्यावसायिक अथवा व्यापारिक कार्यो में रोक लगाकर ऐसे रिवाज थोपता है जो संविधान में घोषित नागरिकता संबंधी मूल अधिकारों के विपरीत हैं।

(ग) किसी भी प्रकार से आघात पहुंचाता है, किसी प्रकार के कष्ट देता है अथवा संविधान प्रदत्त अधिकारों का

उपयोग करने में कोई बाधा उत्पन्न करता है।

(यह और निम्नलिखित विधिक उपबंध बर्मा ऐंटी बायकाट एक्ट 1922 से लेकर मामले की आवश्यकतानुसार कुछ आवश्यक परिवर्तन के साथ उद्धत किए गए हैं।)

2. बहिष्कार करने पर सजा

यदि कोई किसी को संविधान सम्मत कार्य करने से रोकता है और बरबस वह कार्य कराता है, जिन्हें कानूनन वर्जित कर दिया गया है, कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी से वह कार्य कराना चाहता है, जिसके लिए वह वैधानिक रूप से मजबूर नहीं किया जा सकता, अथवा कोई किसी के कानूनसम्मत कार्य कराने पर उसके शारीरिक, मानसिक, मानमर्यादा, संपत्तिहरण का इरादा रखता है, उसके व्यापार अथवा जीविकोपार्जन से वंचित करता है तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। दोनों मामलों की गंभीरता को देखकर सात वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अन्यथा दोनों ही किया जा सकता है।

न्यायालय यदि इस बात से संतुष्ट है कि अभियुक्त ने किसी के भड़काने पर अथवा किसी साजिश के तहत अपराध नहीं किया अथवा सामूहिक रूप से बहिष्कार करने में शामिल नहीं है तो उपरोक्त धारा के अंतर्गत कोई कार्य अपराध की सीमा में नहीं आता।

3. बहिष्कार करने के लिए भड़काने अथवा बढ़ावा देने पर दंड

जो व्यक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के बहिष्कार के लिए

(क) सार्वजनिक रूप से कोई प्रस्ताव रखता है या प्रकाशित करता है या परिचालित करता है अथवा

(ख) उक्त आशय से कोई वक्तव्य देता है या अफवाह फैलाता है या उसे प्रकाशित या परिचालित करता है अथवा

(ग) किसी और तरीके से उक्त बहिष्कार के लिए भड़काता है या बढ़ावा देता है, वह पांच वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों के दंड का भागी होगा।

व्याख्या- उपरोक्त रीति से किये गये किसी कार्य से प्रभावित व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसके प्रभावित होने की संभावना हो, का नाम या किसी प्रकार का उल्लेख न भी किया गया हो, परंतु उसके कार्यो का परोक्ष उल्लेख किया गया हो, तो भी इस धारा के अधीन अपराध किया गया समझा जाएगा।

यदि कोई किसी को संविधान सम्मत कार्य करने से रोकता है और बरबस वह कार्य कराता है, जिन्हें कानूनन वर्जित कर दिया गया है, कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी से वह कार्य कराना चाहता है, जिसके लिए वह वैधानिक रूप से मजबूर नहीं किया जा सकता, अथवा कोई किसी के कानूनसम्मत कार्य कराने पर उसके शारीरिक, मानसिक, मानमर्यादा, संपत्तिहरण का इरादा रखता है, उसके व्यापार अथवा जीविकोपार्जन से वंचित करता है तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। दोनों मामलों की गंभीरता को देखकर सात वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अन्यथा दोनों ही किया जा सकता है।

4. बहिष्कार करने की धमकी दंडनीय

कोई मनुष्य जो कोई कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत है और वह उसे करता है अथवा ऐसे किसी काम को जिसके लिए वह बाध्य नहीं है, तो उससे जो व्यक्ति जोर-जबरदस्ती अनाधिकृत कार्य कराएगा अथवा अधिकृत कार्य से वंचित करेगा या बहिष्कार करने की धमकी देगा तो उसे कैद की सजा मिलेगी, जो पांच वर्ष तक की होगी या उसे जुर्माना देना होगा अथवा सजा और जुर्माना दोनों भुगतने होंगे।

अपवाद - उसे बहिष्कार नहीं माना जाएगा।

(1) मान्यताप्राप्त श्रम विवाद पर कार्रवाई।

(2) व्यापारिक प्रतियोगिता के दौरान की गई कार्रवाई।

टिप्पणी - ये सभी अपराध संज्ञेय समझे जाएंगे।

शर्त संख्या - 3

भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण

दलित वर्गो के लोग भविष्य में व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाने अथवा कार्यपालिका द्वारा भेदभावमूलक आदेश जारी करने के बारे में आशंकित हैं। इसलिए वे बहुसंख्यक शासन को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक कि संवैधानिक रूप से व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन में दलितों के विरुद्ध भेदभावमूलक नियम बनाने या आदेश जारी करने को असंभव नहीं बना दिया जाता।

इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि भारत के सांविधिक कानून में निम्नलिखित स्थाई प्रावधान कर दिए जाएं-

"सारे भारत में कोई भी व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका कोई भी ऐसे कानून नहीं बना सकती अथवा आदेश पारित नहीं कर सकती अथवा कोई नियम अथवा विनियम नहीं बना सकती, जिनसे राज्य की जनता के अधिकारों का उल्लंघन

होता हो तथा भारत भूमि पर कहीं भी पूर्व प्रचलित विषमता अथवा अस्पृश्यतामूलक रीतियों की झलक मिलती हो। इसमें-

(1) ठेके लेना-देना, मुकदमें दायर करना, पक्षकार बनना, गवाही देना, पैतृक संपत्ति प्राप्त करना, जायदाद बेचना, खरीदना, पट्टे पर जमीन लेना आदि का प्रावधान किया जाये।

(2) सिवाय उन हालात के जहां किसी को वंचित रखना आवश्यक हो दलितों को नागरिक एवं सैनिक सेवाओं में भर्ती, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, की व्यवस्था की जाए।

(3) सराय होटलों में ठहरना, शैक्षिक संस्थाओं में भर्ती, नदियों के जल का उपयोग करना, झरनों, कुओं, तालाबों, सामान्य सड़कों, गलियों, सभी प्रकार की सवारियों चाहे वह धरती, जल अथवा आसमान पर हों, का उपयोग करना, सिनेमा, थियेटर आदि सभी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करना और सभी प्रकार के अधिकार अन्य नागरिकों की भांति जाति, रंग, धर्म अथवा वर्ग का भेदभाव किए बिना पूर्ण अधिकार प्राप्त हों।

(4) बिना किसी प्रकार के भेदभाव किए सभी धार्मिक स्थानों - जो उस धर्म के लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से खुले होंगे, अछूतों के लिए भी खुले रहेंगे।

(5) अन्य लोगों के समान अस्पृश्यों को न्यायालय में समान अधिकार, अन्य अधिकारों तथा उनकी जायदाद की सुरक्षा की गारंटी बिना पूर्व शर्त के दी जाएगी, जिससे उन्हें दंड देने, सताए जाने या जुर्माने की आशंका हो।

शर्त संख्या - 4

विधानमंडलों में समुचित प्रतिनिधित्व

दलित वर्गों को अपने कल्याण के लिए विधायिका एवं कार्यपालिका पर प्रभाव डालने के लिए समुचित राजनीतिक शक्ति प्रदान की जाए। इस विचार से वे मांग करते है कि चुनाव नियम में निम्नलिखित प्रावधान किए जाए:-

(1) प्रांतीय तथा केंद्रीय विधायिका में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।

(2) उनको अपने ही वर्ग से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए जिसके लिए-

(क) वयस्क मताधिकार, और

(ख) प्रथम दस वर्षो के लिए पृथक मतदान द्वारा और उसके बाद संयुक्त चुनाव प्रणाली द्वारा उनके लिए सुरक्षित सीटों पर चुनाव का प्रावधान हो। यह भी जरूरी है कि संयुक्त चुनाव प्रणाली उन पर जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध तब तक नहीं थोपी जाए, जब तक संयुक्त चुनाव प्रणाली में पूर्ण वयस्क मताधिकार का विधान न हो।

टिप्पणी - दलित वर्गो के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व तब तक नहीं समझा जा सकता, जब तक कि अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व परिभाषित न हो। परंतु अवश्य समझ लेना चाहिए कि दलित वर्ग इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि किसी अन्य समुदाय के प्रतिनिधित्व को उनसे बेहतर सुविधाए दे दी जाएं। इस दिशा में दलित वर्ग के लोग किसी प्रकार की अलाभकर स्थिति में रहना पंसद नहीं करेंगे। किसी भी हालत में बम्बई और मद्रास के दलित वर्ग अपनी जनसंख्या के आधार पर अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए विशेष स्थान चाहेंगे, भले ही अन्य समुदायों को उन प्रांतों में कितना ही प्रतिनिधित्व मिले।

शर्त संख्या - 5

नौकरियों में यथोचित प्रतिनिधित्व

सरकारी नौकरियों पर सवर्णो ने एकाधिकार जमा रखा है। इस कारण दलित वर्गो की भारी उपेक्षा हो रही है। सवर्ण लोगों ने न्याय और समानता को बता कर सवर्ण हिंदुओं को लाभ पहुंचाने के लिए कानून की अनदेखी कर अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है। सरकारी नौकरियों में सवर्ण हिंदुओं के एकाधिकार को समाप्त करने और इस प्रकार का नियम बनाने की जरूरत है कि नौकरी में भर्ती इस प्रकार की जाए जिससे सभी संप्रदायों को उनका उचित भाग मिले। तभी हिंदुओं की चालाकी से बचा जा सकता है। इसके लिए दलित वर्गों को संवैधानिक विधि के अंग के रूप में सांविधिक व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव करने हैं-

(1) भारत में तथा प्रत्येक प्रांत में सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के लिए तथा नौकरियों पर नियंत्रण रखने के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

(2) लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया नहीं जा सकता, केवल विधायिका ही प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकती है। उसे सेवानिवृत्ति के बाद किसी सरकारी नौकरी पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) इसी आयोग का यह भी कर्त्तव्य होगा कि वह निर्धारित योग्यता के लिए परीक्षाओं का आयोजन करके,

(क) इस प्रकार की नौकरियों में भर्ती की व्यवस्था करे जिसमें सभी समुदायों को उनका समुचित प्रतिनिधित्व मिला हो, और

(ख) किन्हीं विशेष नौकरियों में विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए युक्तिसंगत प्राथमिकता देने की समय-समय पर व्यवस्था करें।

शर्त संख्या - 6

पक्षपात अथवा हितों की उपेक्षा को दूर करना

इस बात को देखते हुए कि भविष्य में जब शासन बहुसंख्यक पुरातनपंथी हिंदुओं के हाथ में होगा, दलित वर्गो को आशंका है कि बहुसंख्यक सवर्ण हिंदू उनसे कोई सहानुभूति नहीं दिखाएगें और संभवत: उनके हितों के प्रति पूर्वाग्रह बरतेंगे तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की उपेक्षा करेंगे-जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। संविधान में प्रावधान अवश्य कर दिए गए हैं। विधायिका में दलित वर्ग के लोग अल्पसंख्यक रूप में ही रहेंगे। दलित वर्ग के लोग यह नितांत आवश्यक समझते है कि संविधान में उनके हितों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए।

इसलिए प्रस्तावित किया जाता है कि संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएं:-

(1) भारत की केंद्रीय विधायिका तथा प्रत्येक प्रांतीय विधानसभा और कार्यपालिका अथवा कानून द्वारा गठित अन्य संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे दलित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वच्छता, नौकरियों में रखने हेतु उचित कानून बनाएं और कोई ऐसा कार्य न करें जो दलितों के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

(2) जब कभी किसी भी प्रान्त में अथवा भारत में इन प्रावधानों का उल्लंघन होगा तो काउंसिल के गवर्नर जनरल को प्रान्तीय व्यवस्था तथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को केन्द्रीय व्यवस्था के लिए अपील की जा सकेगी।

(3) ऐसे प्रत्येक मामले में जहां गवर्नर जनरल अथवा सेक्रेटरी आफ स्टेट को यह प्रतीत हो कि प्रांतीय अथवा केंद्रीय सरकारें इस प्रावधान को लागू करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाती, तब ऐसे प्रत्येक मामले में गवर्नर जनरल तथा भारत सरकार अपील सुनने वाले प्राधिकरण होने के नाते इस प्रावधान के पालन के लिए कुछ समय निर्धारित करें और प्रांतीय और केंद्रीय सरकार इस विषय ने उनसे मनवाने को बाध्य हो।

शर्त संख्या - 7

विशेष विभागीय सुरक्षा

बेबस, बेसहारा और बेकस दलितों की दुर्दशा का मुख्य कारण समस्त हिंदुओं की हठधर्मी हैं जिसने कभी दलित वर्ग को बराबरी का स्थान नहीं दिया और नहीं समानता का व्यवहार किया। उनकी आर्थिक स्थिति के विषय में केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है कि वे गरीबी के मारे हुए हैं अथवा वे भूमिहीन मजदूर वर्ग से हैं। वैसे तो ये दोनों बातें सही हैं तब भी यह ध्यान देने की बात है कि दलित वर्गों की गरीबी की जड़ अधिकांश रूप से सामाजिक पूर्वाग्रह हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे जीविकोपार्जन के सभी साधनों से वंचित हैं। यह एक सत्य है, जो दलित वर्गों तथा साधारण सवर्ण हिंदू मजदूरों के बीच अंतर पैदा करता है और प्राय: उनकी मुसीबतों की जड़ हैं यह भी ध्यान देने की बात है कि दलितों के उत्पीड़न तथा उनके दमन का कुचक्र विभिन्न प्रकार का है और उन मुसीबतों और अत्याचारों से अपनी रक्षा करने की उनकी क्षमता बहुत सीमित है। अस्पृश्यों पर जो अत्याचारों की घटनाएं साधारणतया सारे देश में घटित होती हैं, उनका वर्णन मद्रास सरकार के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दिनांक 5 नवंबर 1892 के कार्यवाही सार संख्या 723 में किया गया है जिसका एक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है-

बेबस, बेसहारा और बेकस दलितों की दुर्दशा का मुख्य कारण समस्त हिंदुओं की हठधर्मी हैं जिसने कभी दलित वर्ग को बराबरी का स्थान नहीं दिया और नहीं समानता का व्यवहार किया। उनकी आर्थिक स्थिति के विषय में केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है कि वे गरीबी के मारे हुए हैं अथवा वे भूमिहीन मजदूर वर्ग से हैं। वैसे तो ये दोनों बातें सही हैं तब भी यह ध्यान देने की बात है कि दलित वर्गों की गरीबी की जड़ अधिकांश रूप से सामाजिक पूर्वाग्रह हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे जीविकोपार्जन के सभी साधनों से वंचित हैं। यह एक सत्य है, जो दलित वर्गों तथा साधारण सवर्ण हिंदू मजदूरों के बीच अंतर पैदा करता है और प्राय: उनकी मुसीबतों की जड़ हैं यह भी ध्यान देने की बात है।

"134-दमन के बहुत से तरीके हैं जिनकी ओर संक्षेप में सकेत किया गया है। पेरियाओं द्वारा आदेश न मानने पर उनके मालिक उन्हें दंड देने के लिए-

(क) गांव पंचायत में अथवा फौजदारी अदालत में उनके विरुद्ध झूठे मामले दायर करते हैं।

(ख) पेरिया लोगों की बस्ती के चारों ओर जो परती जमीन हैं सरकार से प्राप्त कर लिया जाता है और पेरियाओं के जानवरों को घेर लिया जाता है तथा उन्हें मंदिरों में जाने से रोक दिया जाता है।

(ग) पेरिया लोगों के विरुद्ध सरकारी कागजात में छलकपट से मिरासियों के नाम लिखवा देते हैं।

(घ) उनकी झोंपड़ियां गिरा कर नष्ट कर देते हैं और उन्हें ढकेल कर पीछे कर देते हैं।

(ड.) बहुत पुराने समय से चली आई शिकमी काश्तकारी के अधिकार से उन्हें वंचित कर देते हैं।

(च) पेरिया की खेती जबरदस्ती काट लेते हैं और उनके एतराज करने पर उन पर चोरी तथा दंगो का इलजाम लगाते हैं।

(छ) गलतबयानी करके उनके पुश्तैनी अधिकारों को समाप्त कर उन्हें बरबाद करते हैं।

(ज) उनके खेतों को जाने वाले पानी को रोक कर फसल सुखा देते हैं।

(झ) जमीदारों द्वारा लगान बाकी होने पर बिना कानूनी नोटिस दिए उनकी जमीन से उन्हें बेदखल कर देते हैं।

"135-सभी माल एवं फौजदारी मामलों को निपटाने के लिए भारत में न्यायालय हैं, परन्तु उनसे गांव वालों की समस्याएं भी हल नहीं होती। न्यायालय में जाने की हिम्मत होनी चाहिए, कानूनी जानकारी में धन खर्च होता है। कानूनी खर्च की क्षमता होनी चाहिए और मुकदमों तथा अपीलों के दौरान जीवनयापन का साधन होना चाहिए। अधिकांश लोग निचली अदालतों के फैसले पर ही निर्भर करते हैं। जिन अधिकारियों के अधीन ये न्यायालय होते हैं, वे प्राय: भ्रष्ट होते हैं अथवा सामान्यतया वे धनाढयों तथा भूस्वामियों के वर्ग से संबंधित होते हैं।

136-ऐसे धनाढ्यों और जमीदारों के वर्ग के होने के कारण, वे अपने ही देश के लोगों को नहीं प्रभावित करते, बल्कि यूरोपवासियों को भी प्रभावित करते हैं। प्रत्येक कार्यालय ऊपर से नीचे तक उन्हीं धनाढ्यों और भूस्वामियों प्रतिनिधियों से भरा हुआ है। उनकी मर्जी के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता। शासन में उनका बहुत दबदबा है।''

इन परिस्थितियों में निस्संदेह दलित वर्गों का उत्थान उस समय तक केवल स्वप्न बन कर रह जाएगा, जब तक शासन की समस्त कार्य-प्रणाली की अग्रिम पंक्ति में उनके उत्थान को वरीयता नहीं दी जाएगी और जब तक शासन स्तर से सबको समान अवसर प्रदान करने की नीति नहीं अपनाई जाती। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दलित वर्गों का यह प्रस्ताव है कि शासन संविधान प्रदत्त नियम स्थायी रूप से लागू करने के लिए एक विभाग बनाए, जो नियमों को लागू करके उनकी समस्याएं हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में निम्नलिखित धारा को भी जोड़ लें-

1. संविधान लागू करने के साथ-साथ एक मंत्री के अधीन ऐसा विभाग भी बने, जो दलित वर्गों के हितों और उनके कल्याण कार्यों की देखरेख करे।

2. उस विभाग का मंत्री अपने पद पर तभी तक रहेगा जब तक केंद्रीय व्यवस्थापिका का उस पर विश्वास हो।

3. उस मंत्री को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्त्तव्यों का पालन ऐसे करना पड़ेगा कि उसको दलित वर्गों के दमन और उनके प्रति सामाजिक अन्याय उसे उनकी सुरक्षा करते हुए सारे देश में उनके लिए कल्याणकारी कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए।

4. गवर्नर जनरल निम्नलिखित नियम बनाने के लिए सक्षम हो :-

(क) दलित वर्गों के कल्याण के संबंध में मंत्री को सभी अथवा कुछ ऐसे अधिकार अथवा कर्तव्य सौंपना, जिससे वह मंत्री उनकी शिक्षा एवं स्वच्छता आदि के संबंध में नियम बना सके।

(ब) दलित वर्गों के कल्याण के लिए प्रत्येक प्रान्त में ब्यूरो स्थापित करना, जो मंत्री के अधीन रह कर कार्य करें और मंत्री को सहयोग करें।

शर्त संख्या - 8

दलित वर्ग और मंत्रिमंडल

यह आवश्यक है कि सरकारी कार्यकलाप पर प्रभाव डालने हेतु व्यवस्थापिका में उन्हें प्रतिनिधित्व मिले, जिससे कि दलित वर्गों को सरकार की सामान्य नीति निर्धारण करने का अवसर प्रदान किया जा सके। यह तभी संभव है, जब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। दलित वर्गों के लोग इसीलिए यह दावा करते हैं कि वे साधारणतया अन्य अल्पसंख्यकों के साथ-साथ मंत्रिमंडल में उन्हें भी शामिल करने का नैतिक अधिकार सुनिश्चित किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों के लोग प्रस्ताव करते हैं कि गवर्नर-जनरल तथा सभी प्रांतों के गवर्नरों को आवश्यक निर्देश दे दिए जाएं कि वे अपने मंत्रिमंडल में दलित वर्गों को यथोचित प्रतिनिधित्व दें।

II

अस्पृश्यों की उपरोक्त मांगों के संबंध में क्या हुआ और अल्पसंख्यक समिति के सदस्यों की ओर से क्या प्रतिक्रिया हुई, इन सबके संबंध में अल्पसंख्यक समिति में गोलमेज सम्मेलन को जो रिपार्ट दी थी उसका अध्ययन कर उसे समझाया जा सकता है। मैं उस समिति की रिपार्ट के कुछ उद्धरण रख रहा हूं:-

5. सभी समितियों ने अपने दावे पेश किए कि सीटों की संख्या प्रत्येक सम्प्रदाय के अनुपात में निर्धारित की जाए। इस बात पर भी बल दिया गया कि उनके प्रतिनिधियों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में किसी भी प्रकार कम नहीं चाहिए। अल्पसंख्यकों को विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व देने के संबंध में (1) नामजदगी, (2) सामान्य चुनाव और (3) पृथक चुनाव प्रणाली के तीन विकल्प अपनाए जा सकते हैं।

6. नामजदगी को सर्वसम्मति से अनुपयुक्त ठहराया गया।

7. संयुक्त निर्वाचन प्रणाली इस प्रतिबंध के साथ प्रस्तावित की गई कि विभिन्न समुदायों के लिए सीटे सुरक्षित की जाएं। इस प्रकार चुनावों को लोकतांत्रिक रूप दिया जा सकेगा। तभी चुनाव प्रणाली का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। इस विषय में संदेह व्यक्त किया गया था कि क्या इस प्रकार अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की गारंटी नहीं होगी, वह युक्तिसंगत होगा। या तो उन्हें मनोनीत किया जाएगा अथवा उसमें बहुसंख्यक की इच्छानुसार ही अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिल पाएगा।

इस ओर भी संकेत किया गया था कि वास्तव में यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का रूप होगा। साप्रदायिक चुनाव के प्रति एतराज उठाए गए थे।

8. विचार-विमर्श से यह निष्कर्ष निकला कि केवल एक ही ऐसी मांग थी, जो सामान्यतया लोगों को स्वीकार हो सकती थी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। बहुत पहले से इस एतराज पर विचार हुआ। इन कठिन समस्याओं का हल ढूंढ निकालना भी इसमें समाहित था, जैसे कि प्रांतों तथा केंद्र में कितना कितना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यदि विधानसभाओं की समस्त सीटे समुदायों को दे दी जाए, तो स्वतंत्र

राजनैतिक विचार स्पष्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी और दलित वर्गों की प्रतिनिधित्व की मांग उलझन में पड़ जाएगी। अतः चुनाव कराने के विचार से उन्हें हिंदू प्रतिनिधित्व में से काट कर प्रतिनिधित्व दे देना चाहिए और उन्हें मतदाता माना जाए।

9. यह सुझाव दिया गया कि विभिन्न समुदायों से सीटों के बंटवारे में जो ऐतराज होगा उसका सामना करने के लिए केवल ऐसा अनुपात निर्धारित किया जाए कि 80 अथवा 90 प्रतिशत सीटें पृथक निर्वाचन से भरी जाएं और शेष सीटें आम चुनाव द्वारा। यह कुछ समुदायों द्वारा मनोवांछित गारंटी न मिलने के कारण मान्य नहीं था।

10. उप-समिति के सदस्य, मौलाना मुहम्मद अली की योजना पर, जिनकी मृत्यु पर हमें खेद है, विचार-विमर्श में यह प्रस्ताव किया गया था कि जहां तक संभव हो कोई सांप्रदायिक अभ्यर्थी तब तक चुना हुआ न माना जाए, जब तक कि व्यवस्था के अनुसार दूसरे समुदायों के 40 प्रतिशत मत वह प्राप्त न कर ले। यद्यपि इस संबंध में कहा गया था कि जैसा कि उस योजना के लिए सांप्रदायिक रजिस्टर बनाना आवश्यक है, अतः जो लोग पृथक निर्वाचन के विरुद्ध थे उनके समान ऐतराज करने की छूट थी।

11. महिलाओं को जिन्हें चुनावों में पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाता था, उनकी ओर से संयुक्त निर्वाचन पृथक मतदान अथवा सीट संरक्षण का कोई दावा नहीं किया गया था। परंतु राजनैतिक जीवन में पुरुषों के समान सक्रिय भाग ले सकें इस विचार से जनता को अवगत कराने के लिए कहा गया कि प्रथम तीन काउंसिलों में महिलाओं को 5 प्रतिशत स्थान दिया जाए और उनकी पूर्ति निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार नियमित करके की जाए।

12. उप समिति संख्या 2 (प्रांतीय संविधान) की इस सिफारिश पर आम सहमति थी कि नए संविधान के सफल कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक व्यावहारिक महत्व रखता था। इस बात पर भी सहमति थी कि उस आधार पर मुसलमानों को संघीय कार्यपालिका में भी प्रतिनिधित्व मिले। छोटे अल्पसंख्यकों की ओर से प्रांतीय और संघीय कार्यपालिकाओं में उनके प्रतिनिधित्व के लिए दावा पेश किया गया था, वह चाहे व्यक्तिगत हों अथवा सामूहिक रूप से हो अथवा यदि ऐसा करना संभव हों, तो प्रत्येक मंत्रिमंडल में एक मंत्री को मुख्यतया उन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाए।

जहां तक प्रशासन का संबंध है – यह आम सहमति थी कि प्रांतीय तथा केंद्रीय नौकरियों में भर्ती का कार्य लोक सेवा आयोगों को सौप दिया जाए जिन्हें निर्देश हो कि वे नौकरियों में विभिन्न समुदायों के उम्मीदवारों की योग्यता तथा नौकरियों के मापदंड का ध्यान रखते हुए यथोचित प्रतिनिधित्व प्रदान करें। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रिटिश सरकार किसी सहमति से समुदायों पर कोई ऐसा चुनाव सिद्धांत अपनी ओर से नहीं थोप सकती, जिसकी किसी प्रकार का कोई विरोध हो। इसलिए यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कमियों एवं कठिनाइयों के होते हुए भी समझौता न होने पर नए संविधान के अंतर्गत पृथक मतदान प्रणाली को ही चुनाव व्यवस्था का आधार रखना होगा। इससे अनुपात का प्रश्न उठेगा।

(डाक्टर अम्बेडकर तथा सरदार उज्जल सिंह उपर्युक्त पैरा 12 में "मुसलमान" शब्द के बाद "और महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक" शब्द जोडेंगे)।

उस योजना के अंतर्गत उत्तरदायी कार्यपालिका को संयुक्त रूप में कार्य करने में जो कठिनाई होती उसकी ओर भी संकेत किया गया था।

13. जहां तक प्रशासन का संबंध है – यह आम सहमति थी कि प्रांतीय तथा केंद्रीय नौकरियों में भर्ती का कार्य लोक सेवा आयोगों को सौप दिया जाए जिन्हें निर्देश हो कि वे नौकरियों में विभिन्न समुदायों के उम्मीदवारों की योग्यता तथा नौकरियों के मापदंड का ध्यान रखते हुए यथोचित प्रतिनिधित्व प्रदान करें।

16. यह भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रिटिश सरकार किसी सहमति से समुदायों पर कोई ऐसा चुनाव सिद्धांत अपनी ओर से नहीं थोप सकती, जिसकी किसी प्रकार का कोई विरोध हो। इसलिए यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कमियों एवं कठिनाइयों के होते हुए भी समझौता न होने पर नए संविधान के अंतर्गत पृथक मतदान प्रणाली को ही चुनाव व्यवस्था का आधार रखना होगा। इससे अनुपात का प्रश्न उठेगा। ऐसी परिस्थितियों में दलित वर्गों के दावों पर समुचित विचार करना होगा।

18. अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों

के लोग इस बात पर अटल थे कि भारत के लिए किसी स्वायत्तशासी संविधान के लिए अपनी सहमति तब तक नहीं देगें जब तक कि उसमें उनकी मांगों को यथार्थ रूप में नहीं मान लिया जाएगा।

गोलमेज सम्मेलन द्वारा दूसरी समिति "संघीय ढांचा समिति" से जो केंद्रीय सरकार के कार्यक्रमों पर विचार करने हेतु नियुक्त की गई थी, उसे संघीय विधायिका से संबंधित अस्पृश्यों के प्रश्न पर भी विचार करना था। गोलमेज सम्मेलन को दी गई रिपोर्ट में कहा गया था–

"उप-समिति में सर्व सम्मति से यह विचार प्रकट किया गया था। दलित वर्गों, ईसाइयों, यूरोपियनों, एग्लोइंडियनों, जमीनदारों, व्यापारियों (यूरोपीय एवं भारतीय) और श्रमिकों को जहां तक संभव हो, दो सदनों में मुख्यतया निम्न सदन (लोअर चैम्बर) में प्रतिनिधित्व दिया जाए।"

III

गोलमेज सम्मेलन का प्रथम सत्र समाप्त होने से पहले ही उपरोक्त दोनों समितियों की रिपोर्ट गोलमेज सम्मेलन को प्रस्तुत कर दी गई और उसे पारित कर दिया गया। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि यद्यपि रिपोर्ट को विस्तृत रूप में संपूर्ण सहमति प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु राजनैतिक एवं संवैधानिक मामलों में अस्पृश्यों का पृथक अस्तित्व आम सहमति से स्वीकार कर दिया गया था।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समाप्त होने से पहले इस निर्णय पर राजनीतिक दलों में से केवल कांग्रेस का रवैया स्पष्ट नहीं था। इसका कारण यह था कि कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था और सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने में लगी थीं कुछ समय पश्चात दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी आरंभ होने का समय आ गया। ब्रिटिश सरकार तथा कांग्रेस में समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था और सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने में लगी थी। कुछ समय पश्चात दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी आरंभ होने का समय आ गया। ब्रिटिश सरकार तथा कांग्रेस में समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई और गोलमेज सम्मेलन के सामने जो समस्याएं उठी, उनका हल ढूंढ निकालने में कांग्रेस भी अपना योगदान करने पर सहमत हो गई। गोलमेज सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में प्रतिनिधियों की भागीदारी और उस समय के सद्भाव के वातावरण से चाहत और राहत देने की भावना देखी थी, उससे यह भावना प्रकट हुई कि एक के बाद अगले सम्मेलन में प्रगति की आशा है। वास्तव में सम्मेलन में कांग्रेस के मित्रों का यही कहना था कि प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस की अनुपस्थिति किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाने का एकमात्र कारण थी।

इसलिए गोलमेज सम्मेलन में और सफलता के लिए सबकी निगाहें कांग्रेस पर थीं। दुर्भाग्यवश सभा के लिए कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि श्री गांधी जैसे पात्र को नहीं चुनना चाहिए था। एकजुटता लाने की शक्ति में वह असफल रहे। उन्होंने अपने आपकों नम्रता की मूर्ति दिखाने का प्रयत्न किया। परंतु गोलमेज सम्मेलन में उनके व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है कि श्री गांधी विजय के मुहाने पर कितने संकुचित हो सकते थे। सरकार से समझौते के बाद जैसे श्री गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया, उन्होंने संपूर्ण गैर-कांग्रेसियों के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया। जब कभी देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर आया तो श्री गांधी ने यह कह कर दूसरों का अनादर किया कि उन लोगों की कोई हस्ती नहीं है, केवल वही उस कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, जो सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल को एकताबद्ध करने के बजाए श्री गांधी ने उनमें वैमनस्य की खाई और चौड़ी कर दी। यदि प्रस्तुत विषयों को जानकारी की दृष्टि से देखा जाए, तो उसमें श्री गांधी न अपने आपको अति अल्पज्ञ प्रमाणित किया। जिन संवैधानिक तथा सांप्रदायिक प्रश्नों पर गोलमेज सम्मेलन में विचार हुआ वहां श्री गांधी रचनात्मक सुझाव न दे सके और व्यर्थ की बातें कहीं। उन्होंने अपने आपको एक मतिभ्रम व्यक्ति के रूप में प्रकट किया, ताकि कोई समझौता न हो सके। उन्होंने मूलभूत सिद्धांत को भी काटा।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यों की मांगों पर श्री गांधी का रूख उनके अजीबो गरीब चरित्र का द्योतक है। जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए सभी प्रतिनिधि एकत्र हुए तब संघीय ढांचा समिति (फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी) की प्रथम बैठक हुई। संघीय ढांचा समिति में दिनांक 15 सितंबर, 1931 को श्री गांधी ने अपना जो प्रथम भाषण दिया उसमें उन्होंने अस्पृश्यों की समस्या पर इस प्रकार कहा –

''कांग्रेस ने अस्तित्व में आते ही तथाकथित अस्पृश्यों की समस्या अपने हाथों में ले ली है। कोई समय था जबकि सामाजिक सम्मेलन कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों का प्रमुख अंग हुआ करता था जिसके लिए स्व. रानाडे ने अपनी शक्ति लगा दी थी। अस्पृश्यों से संबंधित सुधार के विषय को प्रमुख स्थान दिया गया था। परंतु 1920 में कांग्रेस ने अस्पृश्यता निवारण के प्रश्न के लिए बड़ा कदम उठाया, जिससे कि अस्पृश्यता निवारण कांग्रेस मंच का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन जाए। कांग्रेस ने सभी वर्गो में एकता लाने के लिए हिंदू और मुस्लिम एकता को स्वराज प्राप्त करने के लिए जितना आवश्यक समझा, उतना ही सभी वर्गो में एकता और अस्पृश्यता निवारण पर बल दिया था। कांग्रेस की अस्पृश्यों के हित में जो स्थिति 1920 में थी वहीं आज भी है। इस प्रकार आप देखेंगे कि कांग्रेस ने शुरू से ही राष्ट्रीय हित के प्रश्नों पर कार्य किया।"

जिस किसी ने इस विषय पर अध्ययन किया होगा, उसे ज्ञात होगा कि वर्ष 1922 में कांग्रेस ने बारदोली कार्यक्रम में अस्पृश्योद्वार की जिस योजना को स्वीकार किया था, कांग्रेस कितनी विफल रही और वह कार्य उसने किस प्रकार हिंदू महासभा के मत्थे मढ़ दिया। किसी को भी यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि गांधी जी ने ऊपर जो कुछ कहा, बिल्कुल झूठ था। श्री गांधी के भाषण से यह संकेत नहीं मिलता कि श्री गांधी अस्पृश्यों की मांगों पर क्या करने वाले थे, यद्यपि मैं उनका अभिप्राय समझ गया था।

परंतु अधिक समय तक लोगों को वह यह सोचने से न रोक सके कि इस दिशा में उनकी क्या स्थिति होने जा रही है। सितंबर 17, 1931 को संघीय ढांचा समिति की जो बैठक हुई, उसमें श्री गांधी के हाथ में एक अवसर था। बैठक की कार्यसूची में संघीय ढांचा समिति के सदस्यों के चुनाव का प्रश्न भी शामिल था। इस विषय में श्री गांधी के निम्नलिखित विचार थे –

"मैं इस उप-शीर्ष (पांच) – विशेष हितों में विशेष निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व पर आता हूं। मैं कांग्रेस के पक्ष में बोलूगा। कांग्रेस ने हिंदू, मुसलमान, सिख एकता पर विशेष जोर दिया है। इसके लिए ठोस ऐतिहासिक कारण हैं परंतु कांग्रेस किसी भी रूप में इस सिद्धांत को जारी नहीं रखेगी। मैंने विशेष हितों की सूची सुनी है। जहां तक अस्पृश्यों का संबंध है, मैं पूरी तरह से सही समझ गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहना चाहते हैं, परंतु अस्पृश्यों के हित में उसके प्रतिनिधि त्व के लिए कांग्रेस डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हैं अस्पृश्यों के हित कांग्रेस के सामने उतने ही स्पष्ट हैं, जितने पूरे देश के किसी अन्य व्यक्ति को स्पष्ट हो सकते हैं। अत: किसी और विशेष प्रतिनिधित्व का मैं पूरी ताकत से विरोध करूंगा।

यह श्री गांधी द्वारा अछूतों के विरुद्ध कांग्रेस की युद्ध घोषणा के अतिरिक्त कुछ नहीं था। इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस और अस्पृश्यों में संघर्ष शुरू हो गया । श्री गांधी की घोषणा से मुझे मालूम हो गया कि श्री गांधी उस अल्पसंख्यक समिति में क्या करेंगे जिसमें इस मुख्य विषय पर विचार होना था। श्री गांधी की योजना थी कि हिंदू, मुसलमान और सिखों में समझौता करा कर सांप्रदायिक समस्या का पटाक्षेप करते हुए अस्पृश्यों को अलग छोड़ दिया जाए। अल्पसंख्यक समिति की बैठक से पहले ही श्री गांधी स्वयं अकेले ही मुसलमानों से समझौता करने में जुट गये। परंतु कोई समझौता न हो सका। अंतत: दिनांक 28 सितंबर 1931 को जब अल्पसंख्यक समिति की बैठक हुई उसमें श्री अली इमाम ने मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में बोलते हुए कहा–

"मैं इस उप-शीर्ष (पांच) – विशेष हितों में विशेष निर्वाचनक्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व पर आता हूं। मैं कांग्रेस के पक्ष में बोलूगा। कांग्रेस ने हिंदू, मुसलमान, सिख एकता पर विशेष जोर दिया है। इसके लिए ठोस ऐतिहासिक कारण हैं परंतु कांग्रेस किसी भी रूप में इस सिद्धांत को जारी नहीं रखेगी। मैंने विशेष हितों की सूची सुनी है। जहां तक अस्पृश्यों का संबंध है, मैं पूरी तरह से सही समझ गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहना चाहते हैं, परंतु अस्पृश्यों के हित में उसके प्रतिनिधित्व के लिए कांग्रेस डॉक्टर अम्बेडकर के साथ है। अस्पृश्यों के हित कांग्रेस के सामने उतने ही स्पष्ट हैं, जितने पूरे देश के किसी अन्य व्यक्ति को स्पष्ट हो सकते हैं।

"मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता कि मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से कोई समझौता वार्ता चल रही है। मुझे यह जानने का अवसर नहीं मिला कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव चल रहा है। ऐसा हो सकता है, जैसा कि मैंने सुना है कि शायद कोई समझौता हो जाए। पर मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। यदि आप मुस्लिम राष्ट्रवादी का विचार मुझसे जानने के इच्छुक हैं, तो मैं उसे बतलाने को तैयार हूं। इसके लिए मैं आपसे थोड़े समय की अनुमति चाहता हूं।"

"चेयरमैन – मुख्य बात यह है कि इस समिति का विचारणीय विषय केवल अल्पसंख्यक समस्या तक ही सीमित है।

चेयरमैन सर अली ईमाम–इसी दृष्टि से मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं।

चेयरमैन – यदि इसमें अन्य किसी को कोई आपत्ति न हो तो, मैं सर अली इमाम को अनुमति देता हूं।

महामहिम आगा खां ने निम्नलिखित बात कही –

"मुझे विश्वास है कि आज रात को महात्मा गांधी मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से मिलने जा रहे हैं। हमें आशा है कि अपने उस मित्र से आज मित्रतापूर्ण वातावरण में बात होगी। जहां तक किसी समझौता वार्ता का संबंध है, मैं इस बारे में यही कह सकता हूं।" ■

(शेष अगले अंक में)

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

सत्यमेव जयते

बाबासाहेब बीसवीं शताब्दी के एक महान राष्ट्रीय नेता थे। वे बुद्धिजीवी, विद्वान तथा राजनीतिज्ञ थे। देश के निर्माण में उनका महान योगदान है। उन्होंने दलितों व शोषितों को अन्य लोगों के समान ही कानूनी अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया और समाज के दलित वर्ग के लाखों लोगों को उनके मानवाधिकार दिलाए। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी। वे सामाजिक न्याय के संघर्ष के प्रतीक हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर शताब्दी समारोह समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अमल में लाने के लिए की गई थी।

प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य देश-विदेश में लोगों के बीच बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना तथा उसके प्रचार के लिए कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को लागू करना है। प्रतिष्ठान को भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शताब्दी समारोह के दौरान् चिह्नित किए गए कार्यक्रमों तथा योजनाओं का प्रबंधन, प्रशासन तथा उन्हें आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है।

योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं :-

- **डॉ. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस/जन्म दिवस के अनुपालन/ समारोह :**

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को और महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसम्बर को संसद भवन के उद्यान में समारोहपूर्वक मनाया जाता है। इस गरिमापूर्ण दिवस पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति राष्ट्र की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। साधारणतया समारोह में महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं अन्य उच्च पदाधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में साधारण जन भी बाबासाहेब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

- **विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में डॉ. अम्बेडकर पीठ :**

इस योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। इसका उद्देश्य विद्वानों, विद्यार्थियों तथा अकादमियों को सभी प्रकार से सुसज्जित अध्ययन केन्द्र उपलब्ध कराना है, जिससे वे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के विचारों एवं आदर्शों को समझने, उनका मूल्यांकन करने तथा उनका प्रचार-प्रसार करने के लिए आवश्यक उच्च अध्ययन एवं शोध कार्य कर सकें। अब तक कुल दस अम्बेडकर पीठ विभिन्न महत्त्व वाले क्षेत्रों जैसे विधिक अध्ययन, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, सामाजिक नीति एवं सामाजिक कार्य, समाज कार्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव-विज्ञान, दलित आन्दोलन एवं इतिहास, अम्बेडकरवाद एवं सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय में स्थापित किए जा चुके हैं।

- **डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना**

यह योजना मूलरूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु. 1,00,000/- से कम हो और उसे गम्भीर बीमारियों जैसे

किडनी, दिल, यकृत, कैंसर, घुटना और रीढ़ की सर्जरी सहित कोई अन्य खतरनाक बीमारी हो, जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत हो।

संशोधित योजना-2014 के अनुसार, आवेदन पत्र को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की सत्यापित प्रतियों और संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित अनुमानित लागत प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ जमा करना पड़ता है। आवेदन पत्र का अनुमोदन और अग्रसारण डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की आमसभा के सदस्यों या स्थानीय वर्तमान सांसद (लोकसभा या राज्यसभा) या संबंधित जिला के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, आयुक्त द्वारा या संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा किया जाता है। इलाज के लिए अनुमानित लागत का 100 प्रतिशत सर्जरी से पहले ही सीधे संबंधित अस्पतालों को एक किस्त में जारी कर दिया जाता है। विभिन्न बीमारियों के लिए अधिकतम राशि को निश्चित कर दिया गया है जैसे हृदय शल्य चिकित्सा के लिए रुपये 1.25 लाख, किडनी सर्जरी/डाइलिसिस के लिए रुपये 3.50 लाख, कैंसर सर्जरी/कीमोथिरेपी/रेडियोथिरेपी के लिए रुपये 1.75 लाख, मस्तिष्क सर्जरी के लिए रुपये 1.50 लाख, किडनी/अंग प्रत्यारोपण के लिए रुपये 3.50 लाख, रीढ़ की सर्जरी हेतु रुपये 1.00 लाख और अन्य जीवन घातक बीमारियों के लिए रुपये 1.00 लाख। अस्पताल को यह भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है।

- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक (दसवीं कक्षा) परीक्षा हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना**

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित योग्य विद्यार्थियों को एकमुश्त नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देश में प्रत्येक बोर्ड के लिए चार पुरस्कार निर्धारित हैं। तीन सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 60,000/-, रु. 50,000/- और रु. 40,000/- प्रदान किए जाते हैं। यदि इन तीन विद्यार्थियों में से कोई लड़की नहीं होती है, तो इसके अतिरिक्त सर्वाधिक अंक पाने वाली लड़की को रु. 40,000/- का विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है। योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, प्रत्येक के लिए, 10,000 एकमुश्त राशि की 250 विशेष योग्यता पुरस्कारों की परिकल्पना भी की गई है, जो उन छात्रों को प्रदान किए जाते हैं जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के बाद सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं।

- **उच्च माध्यमिक परीक्षाओं (12वीं कक्षा) में अनुसूचित जाति से संबद्ध योग्य विद्यार्थियों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना :**

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने 2007-08 के दौरान् कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों की पहचान करने, उन्हें बढ़ावा देने और उनकी सहायता करने के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को योग्यता पुरस्कार प्रदान करने की योजना तैयार की। पुरस्कार में, किसी भी शैक्षणिक बोर्ड/परिषद द्वारा आयोजित 12वीं स्तर की परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में तीन सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः चार वर्गों अर्थात् कला, विज्ञान (गणित के साथ), विज्ञान (जीव विज्ञान और या गणित के साथ) तथा वाणिज्य में रु. 60,000/-, रु. 50,000/- तथा रु. 40,000/- के प्रदान किए जाते हैं। योग्यता श्रेणी के प्रथम तीन स्थानों के बाद प्रत्येक वर्ग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली अगली तीन लड़कियों को प्रत्येक को रु. 20,000/- की दर से विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस तरह प्रत्येक बोर्ड के लिए कुल 12 पुरस्कार होते हैं।

- **अनुसूचित जाति के अत्याचार-पीड़ितों हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना**

इस योजना की प्रकृति आकस्मिक व्यवस्था के तौर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के तहत अपेक्षाकृत जघन्य अपराधों के पीड़ितों को तात्कालिक

मौद्रिक सहायता प्रदान करने की है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता राशि सीधे पीड़ित या उसके पारिवारिक सदस्यों या आश्रितों को प्रतिष्ठान द्वारा तब प्रदान की जाती है, जबकि उपर्युक्त अधिनियम के तहत अपराध की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा इस संबंध में सूचित कर दिया जाता है। परिवार के कमाऊ सदस्य की हत्या/मृत्यु पर रु. 5.00 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है, गैर कमाऊ सदस्य की मृत्यु/हत्या पर सहायता राशि रु. 2.00 लाख, कमाऊ सदस्य के स्थायी विकलांगता पर सहायता राशि रु. 3.00 लाख, गैर कमाऊ सदस्य के स्थायी विकलांगता पर सहायता राशि रु. 1.50 लाख तथा बलात्कार के लिए सहायता राशि रु. 2.00 लाख है तथा ऐसी आगजनी, जिससे कोई परिवार पूर्णत: बेघर हो जाए तो सहायता राशि रु. 3.00 लाख निर्धारित की गई है।

- **डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता योजना**

प्रतिष्ठान की इस वार्षिक निबंध प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना तथा मूलभूत सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर डॉ. अम्बेडकर के विचारों के प्रति उनकी रुचि को जगाना है। यह प्रतियोगिता मान्यता प्राप्त स्कूलों (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक अर्थात् 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक)/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु है। विद्यालयों से प्राप्त हिन्दी और अंग्रेजी में सबसे अच्छे तीन निबंधों के लिए पुरस्कार की राशि रु. 10,000 से रु. 25,000 तक है और महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए यह राशि रु. 25,000/- से रु. 1,00,000 तक है।

- **महान संतों के जन्म दिवस/पुण्य तिथि समारोह हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना**

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/ गैर सरकारी संगठनों को, महान संतों जैसे- संत कबीर, गुरु रविदास, गुरु घासीदास, चोखामेला, नंदनार, नारायणा गुरु, नामदेव, भगवान बुद्ध, महर्षि बाल्मीकि, महात्मा फूले, सावित्री बाई फूले आदि का जन्म दिवस समारोह मनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए अधिकतम अनुदान राशि रुपये 5.00 लाख तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए रुपये 2.00 लाख की राशि निर्धारित की गई है। इस वर्ष से इस योजना के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर की जयंती/महापरिनिर्वाण के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

- **सामाजिक परिवर्तन हेतु डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार**

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा भारत और मानवीय परिवार के प्रति की गई वृहद् विलक्षण सेवाओं के पुण्य स्मरण में इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। यह पुरस्कार असमानता, अन्याय और शोषण के कारणों के विरुद्ध सख्ती से मामले उठाने और सुलझाने के उदाहरणीय योगदान तथा सामाजिक समूहों के बीच सामंजस्य, सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक सौहार्द और मानवीय गरिमा के आदर्शों की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति(यों) या समूह(ों) को प्रदान किया जाता है।

प्रति वर्ष एक पुरस्कार, जिसमें रु. 15.00 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

- **कमजोर वर्गों के उत्थान तथा सामाजिक समझ हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार**

इस राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी और इस पुरस्कार हेतु चयन किसी प्रकाशित पुस्तक या फिर जन आंदोलन के आधार पर होता है, जिसने समाज के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। प्रति वर्ष एक पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें रु. 10.00 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

- **अंतर्जातीय विवाहों के द्वारा सामाजिक एकता हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना**

इस योजना का उद्देश्य, अंतर्जातीय विवाह जैसे सामाजिक रूप से साहसिक कदम उठाने वाले, नए विवाहित दम्पति को उनके वैवाहिक जीवन के शुरुआती दौर को सही ढंग से चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। विधिसम्मत अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन हेतु राशि रु. 2.50 लाख प्रति विवाह है। योग्य दम्पति को प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत उनके संयुक्त नाम के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि उनके संयुक्त नाम में पांच वर्ष की अवरुद्धता अवधि के साथ सावधि जमा में रखा जाता है।

- **सामाजिक न्याय संदेश**

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का प्रकाशन दिसम्बर 2002 से हो रहा है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के 'संदेश' को आम नागरिकों तक पहुंचाने में 'सामाजिक न्याय संदेश' की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन तथा फाउन्डेशन के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम बखूबी कर रहा है। इसकी एक प्रति का मूल्य रु. 10/- है। एक वर्ष के लिए चंदे की दर रु. 100/-, दो वर्ष के लिए रु. 180/- और तीन वर्ष के लिए रु. 250/- है। सामाजिक न्याय संदेश प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर भी उपलब्ध है।

- **डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र**

''डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र'' राष्ट्रीय महत्त्व के एक विश्व स्तरीय बहुआयामी अध्ययन के प्रति समर्पित होगा। यह केन्द्र जनपथ और डॉ. आर.पी. रोड के प्रतिच्छेदन पर एक महत्त्वपूर्ण अवस्थिति पर 3.25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जो लुटियन दिल्ली की महत्त्वपूर्ण इमारतों से घिरा होगा। केन्द्र की मुख्य सुविधाओं में शोध एवं प्रसार केन्द्र, मीडिया सह इंटरप्रेटेशन केन्द्र, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, सम्मेलन केन्द्र और प्रशासनिक स्कंध शामिल होंगे।

- **डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक**

डॉ. अम्बेडकर ने 6 दिसंबर, 1956 को अपने निवास 26, अलीपुर रोड, दिल्ली में अंतिम सांसें ली थीं। इस स्थल को महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में पवित्र माना जाता है और तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 2 दिसंबर, 2002 को डॉ. अम्बेडकर के जीवन और लक्ष्यों पर फोटो गैलरी की स्थापना कर सरकार ने इसी जगह एक अच्छी तरह अभिकल्पित और पूर्ण रूप से विकसित डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की।

- **बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संकलित कार्य (सी.डब्ल्यू.बी.ए.) परियोजना**

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित बाबासाहेब अम्बेडकर के संकलित कार्यों के अनुवाद और प्रकाशन का कार्य डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा हिन्दी एवं 8 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं-मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, उर्दू एवं गुजराती में करवाया जा रहा है। हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले 360 खंडों (प्रत्येक भाषा के 40 खंड) में से 197 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। शेष के 163 खंड अभी मुद्रण और अनुवाद की प्रक्रिया में हैं।

प्रतिष्ठान ने बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संकलित कार्यों के खंडों को अंग्रेजी में भी पुनः प्रकाशित किया है तथा अंग्रेजी के 10 खण्डों का प्रकाशन ब्रेल लिपि में किया है। शेष खंड ब्रेल लिप्यंतरण की प्रक्रिया में हैं।■

भारतीय संविधान में राजभाषा हिन्दी

■ डॉ. प्रभुलाल चौधरी

हिन्दी भाषा मूलतः एक ही है, लेकिन सामाजिक-सांस्कृतिक कारणो से इसमें पर्याप्त विविधता आई है। समाज में इसके प्रयोग के वैविध्य के कारण ही ऐसा हुआ है। विभिन्न रूपों, स्तरों और भूमिकाओं में भाषा के विभिन्न नाम हो जाते हैं और इनसे कुछ हद तक विविधता भी पैदा हो जाती है। हिन्दी का अखिल भारतीय रूप वास्तव में यह रूप होगा, जिसे हिन्दुस्तानी कहा जा सकता है। वर्तमान युग में हर आधुनिक भाषा को ज्ञान-विज्ञान की भाषा, के रूप में एक अहम भूमिका है। विज्ञान की भाषा, विधि की भाषा प्रायः कठिन हुआ करती है; क्योंकि इसकी शब्दावली पारिभाषिक होती है और इसकी वाक्य संरचना में बहुत से रूढ़ तत्व आ जाते हैं लेकिन आधुनिक भाषाएं इसे बोलचाल से भिन्न अलग भाषा रूप नहीं मानती।

राजभाषा के रूप में-

राजभाषा सम्पर्क भाषा का ही एक औपचारिक रूप है। हिन्दी भारत की राजभाषा है, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। राजभाषा की भूमिका में हिन्दी केन्द्र सरकार के कार्यालयों की भाषा है, राज्यों के विधानमंडलों और संसद को अभिलेखों (रिकॉर्डस) के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है, देश के कानून की भाषा है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय को अभिलेखों के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है। राजभाषा विशिष्ट कार्य क्षेत्र की भाषा है। इसलिए इसकी शब्दावली भी भिन्न होती है। यह लिखित कार्यक्रमों की भाषा है इसलिए इसकी भाषा रूढ़ उक्तियां आती हैं।

हिन्दी को राजभाषा के रूप में विकसित करने के दौरान राजभाषा हिन्दी का स्वरूप भी विकसित किया गया। प्रशासन, विधि आदि क्षेत्रों के माध्यम नियम पुस्तिकाएं तैयार की गयीं। अपने इस नये स्वरूप के कारण राजभाषा हिन्दी लोगों को कठिन लगी और लोगों ने यह अनुभव किया कि यह बोलचाल की भाषा से भिन्न कोई भाषा है। यहां यह ध्यात्व्य है कि उपयोग के साथ-साथ राजभाषा निखरेगी और लोगों को इस भाषा में काम करने की आदत पड़ेगी तो यह उतनी कठिन नहीं लगेगी, लेकिन राजभाषा हिन्दी नाम की कोई अलग कृत्रिम भाषा नहीं है।

राजभाषा हिन्दी से अभिप्राय

सन् 1947 तक ब्रिटिश शासन के दौरान देश की राजभाषा अंग्रेजी थी। उस समय हिन्दी तथा देश के अन्य भाषाओं का राज कार्यों में प्रयोग लगभग शून्य था। सन् 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान का यह उल्लेख था कि हिन्दी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हो, इस देश की राजभाषा है, लेकिन राजभाषा के प्रकार्य के निर्वाह में हिन्दी भाषा की तैयारी को देखते हुए भी उल्लेख था कि अंग्रेजी 1965 तक राजभाषा के रूप में पूर्ववत् काम में आती रहेगी और इस अवधि में हिन्दी भाषा में साहित्य-निर्माण के साथ-साथ किन्हीं क्षेत्रों में उसके प्रयत्न किये जाते रहेंगे। 1963 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिन्दी को एक मात्र राजभाषा घोषित किया गया था। लेकिन भारत के किन्हीं प्रदेशों में

अंग्रेजी को हटाने के विरोध में उठ खड़े आंदोलन के कारण इस अधिनियम में 1967 में संशोधन किया गया और अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में आगे तक बनाये रखने की नीति अपनाई गई।

राजभाषा का प्रकार्य यह स्पष्ट करता है कि राज-काज के समस्त कार्य उसी माध्यम से हों। राजभाषा घोषित किये जाने के कारण हम सरकार से सिर्फ दो स्वीकृत राजभाषाओं अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में पत्राचार कर सकते हैं, लेकिन एक गणतंत्र होने के नाते व्यक्तियों के भाषा स्वातंत्र्य पर भी अंकुश नहीं होना चाहिए। लोगों को यथा संभव अपनी भाषा में काम करने की सुविधा और छूट मिलनी चाहिए। इस कारण राजभाषा के इस देश में दो स्तर गिनाए जाते हैं। प्रदेशों की राजभाषा या राजभाषाएं निश्चित करने का दायित्व प्रदेश की विधायिका का है। इस तरह कोई तमिल भाषा अपने प्रदेश की सरकार के अधीन प्रदेश के राजभाषा में पत्राचार कर सकता है। इसके लिए यह भी कहीं अनिवार्य नहीं है कि वह अंग्रेजी या हिन्दी का प्रयोग करें। हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित करने का एक आधार यही है कि इस बहुभाषी देश में विभिन्न बोलने वाले व्यक्तियों का सम्पर्क सूत्र है। हिन्दी गणतंत्र की अधिसंख्यक आबादी की भाषा है। इसलिए इस भाषा से देश को मानसिक रूप से जोड़ने को यह दायित्व दिया गया है।

राजभाषा का तात्पर्य राज्य के तीन प्रमुख अंगों की भाषा से है। ये प्रमुख अंग हैं-संसद, अदालतें और प्रशासन या सरकार। इन तीनों अंगों का संबंध पूरे देश से है। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है और प्रदेशों के विभिन्न मंडल अपने-अपने स्तर पर अपनी भाषा में काम करते हैं। न्यायपालिकाओं का समन्वित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रदेश का सबसे बड़ा न्यायालय (उच्च न्यायालय) और देश का उच्चतम न्यायालय अपने समस्त कार्य देश की राजभाषा से ही करें। इसी तरह भारत सरकार के कार्यालय (डाक-तार रेल, आयकर विभाग आदि) पूरे देश में काम करते हैं। यहां भी आवश्यक है कि उनका काम देश की राजभाषा में हों जिससे सम्पर्क न टूटे। इस दृष्टि से राष्ट्र में समन्वय स्थापित करने का या सम्पर्क कायम करने का दायित्व देश की राजभाषा पर है और यह इसका प्रमुख प्रकार्य है।

आज, परिवेश, परिस्थितियां एव अपेक्षाएं हिन्दी के नाम पर पढ़े-पढ़ाए जाने वाले साहित्य से हटकर मासिक अध्ययन तथा उसके व्यवहारिक या कामकाजी रूप पर भी गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित कर रही है। केवल हिन्दी-साहित्य की कविताएं, कहानियां, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्करण, रिपोर्ताज, जीवनी, डायरी, साक्षात्कार, आलोचना-समीक्षा तथा आत्म कथा आदि के लेखन-पठन मात्र से अब इस दिन-प्रतिदिन, व्यावसायिक एवं प्रतियोगी हो रहे समाज-संसार में काम नहीं चल सकता। 'नैतिक शिक्षा' के विषय में विचार-चिंतन जितना आवश्यक समझा जाता है 'शिक्षा की नैतिकता' के विषय में भी उतनी ही गंभीरता से विचार करना अब अनिवार्य बन गया है। किसी भी भाषा में लिखे जा रहे साहित्य पर तथा उसके पाठकों पर जो आक्रमण पुस्तक-प्रकाशन की मंहगाई ने, संचार-माध्यमों की स्वेच्छारिता ने इस आज के मशीनी-युग में दिन-रात धनार्जन की भाग-दौड़ के कारण पैदा हो रहे समयाभाव ने किया है, वह तो चिंतनीय है ही साथ ही हिन्दी पठन-पाठन एवं लोन करने वालों के लिए दिन-प्रतिदिन समिति होते जा रहे रोजगार-अवसरों ने भी समस्त हिन्दी समाज के सम्मुख एक संकट पैदा कर दिया है।

हिन्दी समाज की लम्बी उदासीनता तथा अकर्मण्यता का दुष्परिणाम यह हुआ कि हिन्दी के प्रति रुचि-रुझान रखने वाले तो विमुख होने ही लगे, साथ ही जो हिन्दी-सेवा और सृजन में जुटे थे उनके भीतर भी एक हीनता का बोध घर करता चला गया। प्रगति के अवसर पर आयाम खुलते न देखकर हिन्दी के प्रबल पक्षकारों ने भी अपने बच्चों को 'केक-चॉकलेट' और आईस्क्रीम कल्चर' वाले पब्लिक स्कूलों की अंग्रेजीयत का शिकार होने के लिए भेजना प्रारंभ कर दिया। परिणामतः हिन्दी के और हिन्दी वालों के प्रति समाज में एक नकारात्मक उदासी तथा कहीं-कहीं हास्यात्मक परिवेश बनता चला गया।

प्रतियोगी समाज में अब धीरे-धीरे जागृति आई है और हिन्दी के प्रति यह सौतेला व्यवहार देखकर विद्वत समाज चिंतित होने लगा है। जब परिस्थितियों और अपेक्षाओं ने बाध्य किया तथा ऐसे में हिन्दी भाषा, हिन्दी साहित्य तथा हिन्दी सृजन को रोजागारोन्मुख करने का संकल्प लिया गया।

शिक्षा एवं समाज के इस नवीन दृष्टिकोण ने शिक्षण एवं साहित्य का माध्यम मात्र बनी रहने वाली हिन्दी भाषा के मासिक अध्ययन-विवेचन के साथ-साथ उसके प्रयोग एवं व्यवहारमूलक द्वार भी खोले। हालांकि भाषा तथा भाषा-विज्ञान का अध्ययन-अध्यापन विषय के रूप में बहुत पहले से हो रहा था किन्तु भाषा के कामकाजी रूपों पर उसके व्यवहारिक व्यवसायिक एवं प्रशासनिक आयोमों पर ध्यानाकर्षण की आवश्यकता महसूस की गई। सरकारी या गैर-सरकारी कार्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक संस्थाओं या केन्दों में हिन्दी का प्रयोग किए जाने पर समस्त कार्यालयी कार्यों को हिन्दी में ही किए जाने और निपटाने पर बल दिया जाने लगा। परिणामतः हिन्दी राज-काज के समस्त कार्यो के निपटाने का माध्यम बनी और कार्यालयी हिन्दी के कई रूप तथा प्रकार उभर कर सामने आ गए। जन-जन में सम्पर्क स्थापित होने वाली, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध ने वाली 'राष्ट्रभाषा हिन्दी' इसी आधार पर 'राजभाषा हिन्दी' बन गई। संसद में,

सभी सरकारी अर्द्ध-सरकारी, अनुदान प्राप्त, गैर-सरकारी कार्यालयों में, बैंक, रेलवे, बीमा कम्पनियों में, विधि, चिकित्सा विज्ञान, पत्रकारिता तथा दूर-संचार केन्द्रों में हिन्दी का प्रयोग किया जाने लगा।

4. राजभाषा हिन्दी के लिए किये गये संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 26 जनवरी 1965 तक सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का यथावत् प्रयोग होता रहेगा। अंग्रेजी भाषा में लम्बे समय से काम-काज करने कराने वाले प्रशासकों, कर्मचारियों आदि के नये भाषा माध्यम हिन्दी को अपनाने के लिए पर्याप्त समय देना उचित समझा गया। यहां यह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया है कि वे पन्द्रह वर्षो की कालावधि में संघ के किसी राजकीय प्रयोग के लिए हिन्दी भाषा एवं भारतीय अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 343 (3) में संसद को यह अधिकार भी दे दिया गया कि पन्द्रह वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह चाहे तो अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत् रखने के विधि द्वारा कोई उपबंध कर सकेगी। इस प्रकार के प्रावधान से हिन्दी को राजभाषा का गौरव प्रदान करने के पश्चात् भी अवरोधात्मक संवैधानिक उपबंधों का सामना करना पड़ा। ऐसी विचित्र-सी व्यवस्था ने अप्रत्यक्ष रूप से राजभाषा हिन्दी के रूप में संघीय प्रयोग एवं व्यवहार के सम्मुख अनिश्चय की स्थिति बन गई और दूसरी तरफ अंग्रेजी के पक्षधरों के लिए अंग्रेजी निर्बाध प्रयोग का लम्बा रास्ता खोल दिया। ऐसे में हिन्दी को सुदीर्घ अनिश्चितता मिली और अंग्रेजी को सुनहरा भविष्य। वास्तव में संविधान बनाने वालों ने अनुच्छेद 343 (1) के अन्तर्गत हिन्दी को राजभाषा का जो पद-गौरव दिया उसे इसी अनुच्छेद की तीसरी धारा के द्वारा निष्प्राण कर दिया।

संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 26 जनवरी 1965 तक सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का यथावत् प्रयोग होता रहेगा। अंग्रेजी भाषा में लम्बे समय से काम-काज करने कराने वाले प्रशासकों, कर्मचारियों आदि के नये भाषा माध्यम हिन्दी को अपनाने के लिए पर्याप्त समय देना उचित समझा गया। यहां यह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया कि वे पन्द्रह वर्षों की कालावधि में संघ के किसी राजकीय प्रयोग के लिए हिन्दी भाषा एवं भारतीय अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 344 के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को यह आदेश दिया गया कि संविधान के प्रथम पांच वर्ष तथा दस वर्ष के पश्चात् राजभाषा आयोग को नियुक्ति करें। इस आयोग का मुख्य सांविधिक अभिप्राय यह था कि वे राष्ट्रपति को संघ के सरकारी कार्यों के लिए हिन्दी के प्रयोग के सुनिश्चित अथवा सीमित करने या उसे प्रतिबंध लगाने के लिए संस्तुति करें। इन आयोगों की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तथा अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रदान करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति की स्थापना का भी प्रावधान इसी अनुच्छेद में किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 345 में यह प्रावधान है कि राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा एक या एकाधिक प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिन्दी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 346 में यह साफ-साफ आदेश है कि एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य एवं संघ के मध्य पत्राचार में संघ की राजभाषा का ही प्रयोग होगा। अनुच्छेद 346 के अनुसार यदि किसी राज्य अभिज्ञात करना चाहे तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा देने का अधिकारी है।

संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों इत्यादि की भाषा का भी प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तक विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों एवं आदेशों तथा नियमों-विनियमों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही होंगे।

संविधान के अनुच्छेद 349 में यह व्यवस्था है कि संविधान के शुरू के पन्द्रह वर्षों की कालावधि तक अंग्रेजी के स्थान पर किसी अन्य भाषा का पाठ प्राधिकृत पाठ नहीं माना जाएगा, किन्तु किसी अन्य भाषा के प्राधिकृत पाठ के लिए राष्ट्रपति, भाषा आयोग की संस्तुतियों एवं संसदीय समिति की प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद अपनी स्वीकृति दे सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी शिकायत के समाधान के लिए संघ या संबद्ध राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है। इस व्यवस्था में भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारी पूरी तरह सुरक्षित किए गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 351 अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके अनुसार संघ सरकार का कर्तव्य है कि यह हिन्दी को एक ऐसी सर्वमान्य राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करें जिसका पूरे राष्ट्र में गर्व सहित प्रयोग किया जा सके और वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त कर सके। इसके लिए हिन्दी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों का ग्रहण कर उसे समृद्ध किए जाने का भी सुझाव है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संघ भाषा के रूप में अथवा अष्टम अनुसूची में उल्लिखित हिन्दी के स्वरूप तथा प्रकृति को किसी प्रकार स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अष्टम अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाएं भारतीय भाषाएं है न कि प्रादेशिक। जैसे संस्कृति किसी राज्य की भाषा विशेष न होकर भी भारतीय भाषा है। अतएव हिन्दी के स्वरूप, प्रकृति एवं संदर्भ में विचार करते समय उसके किसी प्रादेशिक रूप को प्राधान्य न देकर उसके सार्वदेशिक रूप का निर्माण करना ही श्रेयस्कर है।

अनुच्छेद 343 : संघ की राजभाषा हिन्दी

1. संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।
2. खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिसके लिए ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले यह प्रयोग की जाती थी, परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि में आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में किसी के लिए अंग्रेज भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।
3. अनुच्छेद में किसी बात को होते हुए भी संसद उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा-

(क) अंग्रेजी भाषा, अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसा कि ऐसी विधि में उल्लिखित हो।

अनुच्छेद 344 : राजभाषा के लिए राजभाषा का आयोग और संसदीय समिति

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलाकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करें और आदेश से आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।
2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को-

क. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा अधिकाधिक प्रयोग,

ख. संघ के सभी या किन्हीं शासकी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बधनों,

ग. अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

घ. संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

ङ. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करें।

3. खण्ड (2) के अधीन अपनी सिफारिश करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा।
4. एक समिति गठित की जाएगी और तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोकसभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दें।
6. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खण्ड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस सम्पूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा।

अनुच्छेद 345 : प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के निमित्त उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक

को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा, परन्तु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इससे अन्यथा उपबंध न कर तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।

अनुच्छेद 347 : किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

एतद् विषय की मांग किये जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र, अथवा उसके किसी भाग में प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करें, राजकीय मान्यता दी जाए।

अनुच्छेद 348 : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा:

इस भाग के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें, तब तक

क. उच्चतम न्यायालय में प्रत्येक उच्च न्यायालयों में सब कार्यवाहियां,

ख. जो -

1. विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किए जाने वाले संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाएं उन सबके प्राधिकृत पाठ,
2. अधिनियम संसद द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाएं तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाएं, उन सबके प्राधिकृत पाठ, तथा
3. आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्यों के विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन निकाले जाए, उन सबके प्राधिकृत पाठ, अंग्रेजी भाषा में होंगे।
4. खण्ड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के राज्य पालन या राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाले किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस समय में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय में की गई कार्यवाही के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, परन्तु इस खण्ड की कोई बात वैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञाप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी।
5. खण्ड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखण्ड की खंडिका (3) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि के प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग के विहित किया हैं, वहां उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में अनुवाद उस खण्ड के अभिप्रायों के लिए उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छे 349 : भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना न तो पुनः स्थापित और न प्रस्तावित किया जाएगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुनः स्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित की जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर तथा अनुच्छेद के खण्ड (5) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही राष्ट्रपति देगा।

अनुच्छेद 350:

किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।

अनुच्छेद 351 : हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश

हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उनकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा।

उसके पश्चात्, इसी प्रतिवेदन के आधार पर संसद ने 'राजभाषा अधिनियम पारित' किया जिसके अन्तर्गत वर्तमान स्थिति यह है कि संघ की सह-राजभाषा भी है। व्यावहारिक स्तर पर अभी तक अंग्रेजी का प्रमुख राजभाषा के रूप में अब भी वर्चस्व कायम है। किन्तु संविधान और विधान हिन्दी को संघ की राजभाषा की मान्यता देता है। उसके अनुपालन की जिम्मेदारी हम भारत के लोगों पर है। क्या हम इस स्थिति के प्रति सचेत होंगे? इक्कीसवीं शदी का सूर्य हमारे जागरण की प्रतीक्षा में प्राचीर में अपनी लालिमा बिखेर रहा है।

(लेखक सम्पादक मंडल के सदस्य हैं)

जीवन चरित - अठाहरवीं किस्त

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर - जीवन चरित

■ **धनंजय कीर**

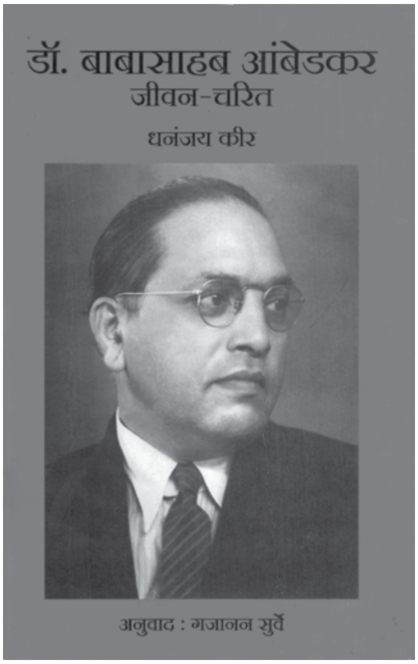

उसी समय गांधी जी के परिवार में अम्बेडकर के इस नए पैतरें से बड़ी खलबली मच गयी थी। यह देखकर सेठ वालचंद हीराचंद ने अम्बेडकर के पास यह आग्रह रखा कि वे तुरन्त गांधी जी से मिलें। तदनुसार अम्बेडकर सेवाग्राम में गांधी जी से मिले। परन्तु अस्पृश्यता निवारण के मार्ग के बारे में परस्पर मतैक्य नहीं हुआ। हिंदुस्तान और लंदन के अनेक प्रतिष्ठित लोगों के अम्बेडकर के पीछे होने की वजह से अस्पृश्यता की समस्या ने व्यापक रूप धारण किया है, ऐसी गांधी जी ने अपनी गलत धारणा बना ली थी। अम्बेडकर वापस लौटते समय वर्धा स्नातक पर अस्पृश्य वर्ग ने उनका उत्साह से स्वागत किया। सेठ वालचंद हीराचंद और जमनालाल बजाज इन लखपति गांधी भक्तों ने अम्बेडकर से पूछा कि, 'आप गांधी जी से मिलते क्यों नहीं? उनसे आप मिल जाते तो आपको अस्पृश्यों की उन्नति के लिए अपरिमित साधन सामग्री प्राप्त हो जाती।' उस पर अम्बेडकर ने उत्तर दिया, 'उनके साथ अनेक महत्त्व के मुद्दों पर मेरे मतभेद है।' 'जवाहरलाल नेहरू जी के भी गांधी जी के साथ वैसे ही मतभेद हैं। उन दिनों लखपतियों ने अम्बेडकर से पूछा कि कुछ समय के लिए खुद के मत दूर रखकर आप नेहरू जी के आदर्श का अनुसरण क्यों नहीं करते?' उस पर अम्बेडकर ने कहा, 'नेहरू जी का उदाहरण मुझे लागू हो ऐसा इन्सान मैं नहीं हूं। तात्कालिक यश के लिए खुद की विवेक बुद्धि को बलि देने वाला इंसान मैं नहीं हूं।' अम्बेडकर का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ अस्पृश्यों का प्रचण्ड समूह देखकर वे लखपति अचरज में पड़ गए। उन्होंने यह भी कहा कि हम जिनके लिए इतना अपरिमित पैसा खर्च करते हैं, वे हमारे साथ इस तरह की भावना से बर्ताव नहीं करते। अम्बेडकर ने उन्हें तुरंत उत्तर दिया, 'मां और दायी में जो फर्क होता है, वही फर्क मुझमें और आप में है, यह भूलकर कैसे चलेगा?

अम्बेडकर ने जाति-पांति-भंजक मंडल के लिए अपने अध्यक्षीय भाषण की एक पुस्तिका 'जातियों का निर्मूलन' (ॲनाइलेशन ऑफ कास्ट) नाम से प्रकाशित की। परिषद् की मृत्यु के बाद पैदा हुआ यह बच्चा जाति-पांति-भंजक प्रबंध के रूप में मशहूर हुआ। इस प्रबंध से अम्बेडकर के अपरिमित वाचन, सूक्ष्म निरीक्षण और मनोवृत्तियों का प्रत्यय भी मिलता है। उन्होंने श्रुति, स्मृति ग्रंथों को तर्कशास्त्र की प्रखर कसौटी पर कसा था। वह प्रबंध जैसा चुभने वाला धारदार और तीखा है, वैसा ही उग्र और प्रक्षोभक है। फैलते हुए जख्म को जैसा नमक चर्राता है, वैसे ही वह स्पृश्य हिंदुओं के मन को चर्रा गया।

इस प्रबंध का निचोड़ यह था कि, हिंदू समाज प्रारंभ में चार वर्णो में विभाजित था। वर्ण मनुष्य के सत्व पर आधारित रहता था। कालान्तर में वर्ण जाति पर अधिष्ठित हुआ। चार वर्णो का रूपांतर चार जातियों में हुआ। जातिभेद व्यवस्था एक ही वंश के लोगों का सामाजिक विभाजन है। वह केवल श्रम का विभाजन करती है, ऐसी बात नहीं। वह श्रमिकों का भी विभाजन करती है। किसी मनुष्य को जो धंधा पसंद नहीं आता उसे वह धंधा करने के लिए वह विवश करती है, हिंदू समाज की चातुर्वर्ण्य की नींव पर पुनर्रचना करना असंभव और अपमानजनक है। क्योंकि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में यह दोष है कि उसका अपकर्ष अलग-अलग जातियां बनाने में ही होता है। चातुर्वर्ण्य के नियमों के अनुसार शूद्र को ज्ञान प्राप्त करना मना है। वह आर्थिक उत्पादन का धंधा नहीं कर सकता है। वह अपने पास शास्त्र नहीं रख सकता। इसलिए वे कभी भी विद्राह नहीं कर सके। शूद्रों ने अपनी यह समझ कर ली कि निरंतर दासता में सड़ते रहना अपना पूर्वसंचित है। जाति-व्यवस्था मनुष्य के कर्तृत्व को लूला, दुर्बल, पंगु करती है। समाज के लिए उपर्युक्त कर्तृत्व से वह वंचित करती है।

जाति-व्यवस्था का उद्गम प्रजोत्पादन शास्त्र में हैं, ऐसा कहा जाए तो वैसी भी बात नहीं। जिस व्यवस्था में ऊंचे

स्तर के लोग अपनी सत्ता निम्न वर्ग पर लादने तक बलवान हैं, ऐसे हिंदू समाज के छोटे से दुराग्रही गुट के अहंकार और स्वार्थ से भरी हुई यह सामाजिक संरचना है। आर्थिक व्यवहार की दृष्टि से जाति-व्यवस्था कार्यक्षम नहीं होती। क्योंकि उसमें मनुष्य को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार काम धंधा करने की इजाजत नहीं।

जाति-व्यवस्था का दुष्परिणाम हिंदुओं की नीति कल्पना पर भी हुआ है। उसने सार्वजनिक हितबुद्धि विनष्ट की है। धर्मादाय बुद्धि का विनाश किया है। जनमत का क्षेत्र संकुचित किया है। मनुष्य की निष्ठा जाति तक ही मर्यादित रहती है। मनुष्य के सद्गुण और नीति भी जाति के बंधनों से जकड़े रहते हैं। अन्य जाति के मनुष्य के गुणों की प्रशंसा करने के लिए जाति बाधा उत्पन्न करती है।

जातियों की वजह से शुद्धि का आंदोलन व्यर्थ ठहरता है; क्योंकि शुद्धि होकर हिंदू धर्म में आए मनुष्य की जाति नहीं होती। इसलिए जाति और शुद्धि विसंगत है। जाति-व्यवस्था ने हिंदू धर्म प्रसार की प्रवृत्ति ही मार डाली है। पहले हिंदू धर्म धर्मप्रसार का कार्य करता था। जहां जाति है वहां शुद्धि नहीं। जब तक संगठन नहीं, जब तक हिंदू दीन और दुर्बल रहेंगे, तब तक वे अपमान और अन्याय चुपचाप सहते रहेंगे। अगर हिंदूओं को खेद और पछतावा न लगने उन्होंने आदिवासी लोगों को उनकी मूल जंगली अवस्था में ही रखा और अगर अहिंदुओं ने उन्हें अपने समूह में खींचा तो हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या असीम बढ़ जाएगी।

यद्यपि समूचे विश्व में कहीं पर भी सारा का सारा समाज पूर्णतया किसी एक ही वर्ण का नहीं बना है, और प्रत्येक समाज में वर्ग होते हैं, फिर भी अन्य समाज के वर्ग मूलत: ही भिन्न होते है। यातायात, सहयोग और एकता की दृष्टि से हिंदुओं की जातियां वैसी नहीं हैं। हिंदू समाज के प्रत्येक जाति का खुद का अस्तित्व होता है। यद्यपि हिंदुओं के रीति-रिवाज, धर्म श्रद्धा और विचार में साम्य दिखायी देता है, तो वे संगठित नहीं बने हुए हैं। सही माने में राष्ट्र अभियान के लिए वे पात्र नहीं है। हिंदू समाज जातियों का समूह है। हिंदुओं की हानि का मूल जातिभेद में हैं। जाति हिंदुओं की अवनति का कारण है। जाति-व्यवस्था हिंदुओं के अखण्ड पराभव का कारण बनी है। जातिभेद की वजह से हिंदू हिंदुस्तान के रोग ग्रस्त लोग सिद्ध हुए हैं। जाति-व्यवस्था ने हिंदू वंश का पूरा नाश किया है। उसने हिंदू समाज को नीति भ्रष्ट और दुर्बल बना रखा है। उनका विनाश किया है।

हिंदू समाज को इस परिस्थिति से बाहर निकालने का एक ही मार्ग है, और वह है अंतर्जातीय विवाह। सहभोज से जाति-जातियों के अलगाव की वृत्ति और समझ नहीं बन पाई है। खून में अभिन्नता आने से एकता और बंधुता निर्माण हो सकेगी। सजातीयता की यह भावना बलवती हुए बिना जाति-व्यवस्था की वजह से निर्माण हुआ जाति-जातियों का दूजाभाव नष्ट नहीं होगा। यह कैसे होगा? जाति एक तरह की भावना है। वह मन की एक अवस्था है। उसका नाश करने का मतलब है भावनात्मक फर्क कार्यान्वित करना। ऐसी बात नहीं कि हिंदू अमानुष और सरफिरे लोग हैं, इसलिए वे जांति-पांति मानते हैं। वे जाति-पांति मानते हैं इसका प्रमुख कारण वे धार्मिक रूढ़ि के अभिमानी हैं, यही है। यह बात नहीं कि जाति-पांति मान कर वे गलती करते हैं। अगर गलत है, तो वह उनका धर्म वह उनके मन में जातिभेद की भावना भरता है। जाति-पांति मानने का धर्म सिखाने वाले हिंदुओं के धर्म शास्त्र विषयक ग्रंथ ही उनके सच्चे दुश्मन हैं। धर्म शास्त्रों की पवित्रता पर जो श्रद्धा है, उसे नष्ट करो। उनकी सत्ता उखाड़ फेंको। वे ईश्वर प्रणीत है, यह समझ छोड़ दो। हिंदू स्त्री और पुरुष को शास्त्रों की मानसिक गुलामी से मुक्त करो; फिर वह पुरुष या वह स्त्री आपकी सलाह के बिना अंतर्जातीय विवाह करेंगे।

ब्राह्मण खुद को बुद्धिमान और

हिंदू समाज को इस परिस्थिति से बाहर निकालने का एक ही मार्ग है, और वह है अंतर्जातीय विवाह। सहभोज से जाति-जातियों के अलगाव की वृत्ति और समझ नहीं बन पाई है। खून में अभिन्नता आने से एकता और बंधुता निर्माण हो सकेगी। सजातीयता की यह भावना बलवती हुई बिना जाति-व्यवस्था की वजह से निर्माण हुआ जाति-जातियों का दूजाभाव नष्ट नहीं होगा। यह कैसे होगा? जाति एक तरह की भावना है। वह मन की एक अवस्था है। उसका नाश करने का मतलब है भावनात्मक फर्क कार्यान्वित करना। ऐसी बात नहीं कि हिंदू अमानुष और सरफिरे लोग हैं, इसलिए वे जांति-पांति मानते हैं। वे जाति-पांति मानते हैं इसका प्रमुख कारण वे धार्मिक रूढ़ि के अभिमानी हैं, यही है।

जन्मसिद्ध नेता मानते हैं। पुरोहित वर्ग की सत्ता और प्रतिष्ठा नष्ट करने के लिए शुरू किए आंदोलन का नेतृत्व ब्राह्मण वर्ग नहीं करेगा। एक शरीर के दो अवयव एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। इसलिए जन्मत: पौरोहित्य की पद्धति बंद कर पुरोहितों का धंधा सभी हिंदुओं के लिए खोल देना चाहिए। जो हिंदू उपाध्याय की परीक्षा उर्तीण होगा उसे पुरोहित की सनद देनी चाहिए। इससे ब्राह्मणी धर्म का अंत होकर हिन्दू धर्म का उद्धार होगा। हिंदू समाज को नैतिक पुनरुज्जीवन की आवश्यकता है। वह नैतिक पुनरुज्जीवन का कार्य आगे धोखादायी है।

इसका अर्थ यह कि हिंदू समाज को नवीन तात्विक अधिष्ठान देना चाहिए। वह अधिष्ठान स्वतंत्रता, समता और बंधुता के अनुरूप होना चाहिए। संक्षेप में, वह लोकतंत्र के साथ तादात्म्य रखने वाला हो। जीवन विषयक मूलभूत कल्पनाओं, जीवन मूल्यों, व्यष्टि और समाष्टि की ओर देखने के दृष्टिकोण में फर्क पड़ना चाहिए।

अम्बेडकर का निर्णय है कि हिंदू हिंदुस्तान के रोगी है। अगर हिंदू समाज एकवर्णी समाज बनेगा, तो ही उसमें अपनी रक्षा करने की शक्ति निर्माण होगी। इस आंतरिक शक्ति के अभाव में स्वराज्य हिंदुओं की स्वतंत्रता की सीढ़ी न बनकर गुलामी की एक सीढ़ी सिद्ध होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि 'जाति-पांति-भंजक मंडल' का कार्य राष्ट्रीय हित बात होने से उसे सफलता प्राप्त हो।

उस प्रबंध की मांग इतनी बढ़ गयी कि अंग्रेजी संस्करण दो महीने में ही समाप्त हो गया। उस प्रबंध का गुजराती, मराठी, पंजाबी और तमिल भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हुआ।

हिंदू समाज की पुनर्रचना के लिए जातियों का निर्मूलन करना चाहिए, यह उपदेश देने वाले अम्बेडकर ही पहले विचारक नहीं। महात्मा जोतीराव फुले, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपतराय, राममोहन रॉय, भाई परमानंद, आचार्य पी. सी. रे, आर.सी. दत्त, बिपिनचन्द्र पाल, जदुनाथ सरकार, लाला हरदयाल, वीर सावरकर महानुभावों ने भी यही उपदेश दिया है। जातिभेद की वजह से हिंदू एक-राष्ट्रीयत्व की भावना से वंचित हुए हैं, देशभक्ति और एकता की भावना से वे दूर गए हैं, जातिभेद राष्ट्रीय एकता का दुश्मन है। यह इतिहासकार जदुनाथ सरकार का मत है। लाला हरदयाल कहते थे, 'जाति-व्यवस्था भारत के लिए शाप है। हिंदुस्तान का विनाश न मुस्लिम धर्म ने किया है, न इंग्लैंड ने। हमारा दुश्मन हममें ही निवास कर रहा है। ब्राह्मण्य और जातिभेद ने हमारा विनाश किया है। जब तक हम जातिभेद का पालन करते हैं तब तक भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित करना या उसे स्थायी रूप देना असंभव है। आप व्याख्यान दें, प्रस्ताव पारित करें, दीर्घकाल तक राष्ट्रकुल विधेयक पर सम्मति दर्शक हस्ताक्षर करते रहें; जातिभेद की वजह से हिंदू एकत्रित काम नहीं कर सकते।' भारत के महान इतिहासकारों, समाज-शास्त्रज्ञों, विचारकों और समाजसुधारकों ने यह निर्णय दिया है कि जातिभेद की वजह से हिंदुओं का विनाश हुआ है।

यूरोपियन लोग वंश का अभिमान रखते हैं, मुसलमान अपने धर्म का और हिंदू अपनी जातियों का अभिमान रखते हैं ऐसा जो कुछ आलोचना कहते हैं वह झूठ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

पुणे के अस्पृश्य युवकों की परिषद् से अम्बेडकर का समाधान नहीं हुआ। अपनी धर्मान्तरण की घोषणा को कितनी मात्रा में समर्थन है, इसकी जांच-पड़ताल करने के लिए उन्होंने अपनी महार जाति की एक परिषद् 30 और 31 मई को दादर में बुलायी। उस दिन विशेष आमंत्रण पर स्टैन्ले जोन्स नामक यूरोपियन पादरी और भास्करराव जाधव आदि नेता उपस्थित थे। व्यासपीठ पर अनेक सिख और मुसलमान नेता और धर्म प्रचारक, अस्पृश्यों के संकल्पित धर्मान्तरण की दिशा या संकेत का अनुभव करने के लिए चौकन्ने होकर बैठे थे। येवला के धर्मान्तरण का प्रस्ताव कृति में कैसा लाया जाए, इस संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए ही यह परिषद् आयोजित की गई थी। रेवजी डोलस ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। हैदराबाद के अस्पृश्य वर्गीय नेता बी.एस. व्यंकटराव परिषद् के अध्यक्ष थे।

अम्बेडकर का भाषण प्रतिनिधि और लोग बड़ी तन्मयता से सुन रहे थे। वह छपा हुआ भाषण पचास पृष्ठों का था। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि, 'महार समाज का धर्मान्तरण के बारे में क्या मत है? यह जानने के लिए ही हमने केवल महारों की ही परिषद् बुलायी है। दूसरी कुछ जातियों का धर्मान्तरण को समर्थन होगा, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं बुलाया गया है कि वे अलग-अलग परिषद् बुलाकर अपना धर्मान्तरण के आंदोलन के खिलाफ हैं, उन्हें परिषद् के लिए न बुलाने के बारे में बुरा लगने की कोई वजह नहीं है।

अस्पृश्य वर्ग को जो भयानक शारीरिक कष्ट भुगतने पड़ते हैं, उनका वर्णन करते हुए अम्बेडकर ने कहा कि, जब तक अस्पृश्य वर्ग हिंदू समाज में समाविष्ट है, तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उनको हिंदू समाज छोड़ देना चाहिए। इससे उन्हें कपड़े बनाना, खाना-पीना, नौकरी करना, शिक्षा लेना, सुसंस्कृत समाज में रहना आदि की स्वतंत्रता मिल जाएगी। उन्होंने आगे कहा, 'तुम्हारे पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ अपनी बेड़ियों को ही गंवाने वाले हो। धर्मान्तरण से तुम्हें अनेक लाभ होने वाले हैं। सामाजिक दृष्टि से धर्मान्तरण की समस्या की ओर देखा जाए, तो यह संघर्ष ऊपरी तौर से भले ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दिखाई पड़े; तो भी वह प्राय: वर्गीय संघर्ष ही है। हकदार और बेरोजगार में जो निरंतर संघर्ष चल रहा है, उसका वरिष्ठों का जुल्म एक हिस्सा

है ही। संघर्ष फलदायक करने के लिए आवश्यक तीन शक्तियों की अस्पृश्यों में कमी हैं, वे शक्तियां हैं- मनुष्य-शक्ति, द्रव्य-शक्ति और बौद्धिक-शक्ति। ये तीनों शक्तियों जब तक तुम हिंदू समाज में रहोगे तब तक तुम्हें प्राप्त नहीं होगी।

'आध्यात्मिक दृष्टि से धर्मान्तरण की समस्या की ओर देखा जाए, तो कहा जा सकता है कि वैयक्तिक विकास सच्चे धर्म का उद्देश्य है। मुझे धर्म की यह परिभाषा स्वीकार है कि जिससे सारी प्रजा की धारणा होती है। उसके लिए धर्म को बंधुता, समता और स्वतंत्रता इन सद्गुणों की सीख देनी चाहिए। हिंदू धर्म ये सद्गुण नहीं सिखाता और इसलिए अस्पृश्यों के लिए हितकारी वातावरण वह निर्माण नहीं कर सका। अस्पृश्यों के विकास के लिए विद्या, वित्त और शास्त्र का वैयक्तिक स्वतंत्रता के नकारे जाने से उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर अपनी उन्नति के लिए जो धर्म अनुकूल परिस्थिति निर्माण करेगा, उस धर्म की खोज करनी पड़ रही है। अस्पृश्यता के कारण तुम्हारे गुण व्यर्थ साबित हुए। तुम्हारे बौद्धिक और शारीरिक गुण कौड़ी के हुए हैं। अस्पृश्यता की वजह से तुम्हें सेना में, पुलिस विभाग में या नाविक दल में प्रवेश नहीं मिलता। अस्पृश्यता तुम्हारे लिए शाप है। अस्पृश्यता ने तुम्हें जगत के सही जीवन से, सम्मान से और प्रतिष्ठा से वंचित किया है। अस्पृश्यों के लिए कानूनी स्वतंत्रता की अपेक्षा सामाजिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है।'

अम्बेडकर ने हिंदू समाज सुधारकों के बारे में अपना अभिप्राय बड़ी निर्भीकता से व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि 'हिंदू समाज सुधारक जाति में जीवन व्यतीत करते हैं, जाति में विवाह करते हैं और जाति में मरते हैं। गांधी जी भी अस्पृश्यों की ओर से स्पृश्य हिंदुओं से संघर्ष नहीं कर सकते।' 'कुछ लोग कहते हैं, धर्मान्तरण करने से तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? उसका उत्तर है कि स्वराज्य से भारत को क्या लाभ होगा? हिंदुस्तान को जितनी स्वराज्य की आवश्यकता है, उतनी ही अस्पृश्यों को धर्मान्तरण की। धर्मान्तरण और स्वराज्य का अंतिम प्रयोजन है स्वतंत्रता प्राप्ति।'

राजनीतिक दृष्टि से अस्पृश्यों पर धर्मान्तरण के कारण दुष्परिणाम नहीं होंगे।

अम्बेडकर ने हिंदू समाज सुधारकों के बारे में अपना अभिप्राय बड़ी निर्भीकता से व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि 'हिंदू समाज सुधारक जाति में जीवन व्यतीत करते हैं, जाति में विवाह करते हैं और जाति में मरते हैं। गांधी जी भी अस्पृश्यों की ओर से स्पृश्य हिंदुओं से संघर्ष नहीं कर सकते।' 'कुछ लोग कहते हैं, धर्मान्तरण करने से तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? उसका उत्तर है कि स्वराज्य से भारत को क्या लाभ होगा? हिंदुस्तान को जितनी स्वराज्य की आवश्यकता है, उतनी ही अस्पृश्यों को धर्मान्तरण की। धर्मान्तरण और स्वराज्य का अंतिम प्रयोजन है स्वतंत्रता प्राप्ति।'

जिस समाज में वे प्रवेश करेंगे उस समाज का आधार उन्हें प्राप्त होगा, यह कहकर अम्बेडकर ने आगे आवेश से कहा, 'हिंदू धर्म छोड़ने का मैंने ठोस निर्णय किया है। मेरे धर्मान्तरण का उद्देश्य ऐहिक उन्नति साध्य करना नहीं हैं। मैं भले ही अस्पृश्य के रूप में जिंदा रहूं, तो भी मुझे कोई भी बात असंभव नहीं है। आध्यात्मिक भावना के अतिरिक्त मेरे धर्मांतरण में दूसरी कोई भी भावना नहीं। मेरी विवेक बुद्धि को हिंदू धर्म नहीं जंचता। मेरे स्वाभिमान को हिंदू धर्म अच्छा नहीं लग सकता। लेकिन तुम्हें धर्मान्तरण ऐहिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यकता है। ऐहिक उन्नति के लिए तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, ऐसी उलाहना देने वाले मूर्खों की बातों की ओर तुम ध्यान मत दो। जो धर्म मनुष्य की मृत्यु के बाद के परलोकवास के बारे में कहता है, वह धर्म किस काम का? अमीर आदमी को उसकी फुरसत के समय इस कल्पना से प्रसन्नता मिलती होगी। इस जगत में जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और जिनकी ऐहिक उन्नति हो रही है वे परलोक के बारे में जरूरत हो तो चिंतन करें; लेकिन जिस धर्म ने तुम्हें सम्मान, वित्त, अन्न और आश्रय से वंचित किया है, उस धर्म की छत के नीचे तुम क्यों रहे?

मैं तुम्हें बताता हूं, धर्म मनुष्य के लिए नहीं। इस विश्व में अगर तुम्हें संगठन करना है, समाज इकट्ठा करना है और इस विश्व में यश प्राप्ति करनी है; तो हिंदू धर्म का त्याग करो। जो धर्म तुम्हें शिक्षा प्राप्त नहीं कराता; वह 'धर्म' संज्ञा के लिए अपात्र है। जो धर्म तुम्हें शिक्षा प्राप्त नहीं कराता, तुम्हारी ऐहिक उन्नति के मार्ग में बाधा बनकर प्रस्तुत होता है; वह 'धर्म' संज्ञा के लिए पात्र नहीं। जो धर्म अपने अनुयायियों को अपने धर्म बांधवों के साथ इन्सानियत से बर्ताव करना नहीं सिखाता है, परंतु मनुष्य का स्पर्श अमंगल मानता है, वह धर्म न होकर रोग है। जो धर्म अपने अनुयायियों को अमंगल जानवरों का स्पर्श सहना सिखाता है, परंतु मनुष्य का स्पर्श अमंगल मानता है, वह धर्म न होकर शुद्ध पागलपन है। जो धर्म कुछ वर्गों को शिक्षा से दूर रखता

है, उन्हें धन-संचय नहीं करने दे, शस्त्र हाथ में लेने से मना करता है, वह धर्म न होकर मनुष्य के जीवन की विडम्बना है। जो धर्म अज्ञानियों को अज्ञानी, निर्धनों को निर्धन रहने के लिए कहता है, वह धर्म न होकर सजा है।

मरणोन्मुख बुद्ध के मुंह से निकले शब्दों द्वारा अपना भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, 'तुम अपनी बुद्धि का शरण लो।' बुद्ध के शब्द अम्बेडकर के मुंह में देखते ही कुछ लोगों को लगा कि अम्बेडकर बौद्ध धर्म की ओर झुके हैं। उन्होंने किस धर्म को चुन लिया है, यह उन्होंने धूर्तता से नहीं बताया। इलियट, बर्नाड शॉ,[1] शॉपेनहोबर, मैक्समूलर, एमर्सन, कार्लाईल, श्लेगल, थोरो, वॉल्टेयर जैसे इतिहासकारों, विचारकों और दार्शनिकों ने हिंदू समाज की महिमा गाई थी। उन्हें अम्बेडकर का धर्म पर किया गया हमला देखकर कब्र में भी सदमा पहुंचा होगा। जिसने रोमन कैथोलिक धर्म का वर्णन, 'हजारों निंद्य बर्तावों से कलंकित वेश्या के रूप में किया है, उस जॉन नॉक्स का हमला अम्बेडकर के हिंदू धर्म के इस हमले के सामने फीका ही पड़ गया। अम्बेडकर का हमला बहुत ही विदारक और मर्मभेदक था। इतना ही नहीं, प्रतिद्वंद्वी के मतों का कत्ल करते धज्जियां उड़ाने वाला था।

सामूहिक रूप से धर्मान्तरण करने की हमारी तैयारी है ऐसा एक प्रस्ताव के द्वारा परिषद् ने जाहिर किया। उस दृष्टि से उनका पहला कदम यह था कि हिंदुओं के देवताओं की पूजा अस्पृश्य लोग न करें, हिंदुओं के त्यौहारों को न मनाएं, हिंदुओं के तीर्थाटन के क्षेत्रों में न जाएं, इस तरह महार समाज के लिए साग्रह आवाहन किया गया।

उपर्युक्त परिषद् का काम समाप्त होते ही अम्बेडकर ने उस मंडप में आयोजित महार बैरागियों की सभा में भाषण किया। उन बैरागियों ने भी हिंदू धर्म का त्याग करने का फैसला किया। अम्बेडकर के प्रभावी भाषण का यह असर था कि वे बैरागी भी अपने पूर्वजों के धर्म-बंधन तोड़ने के लिए राजी हुए। यह उनके मन पर पड़े हुए अम्बेडकर के प्रभाव का द्योतक है। हिंदू धर्म-निदर्शक जो निशान उनके पास थे, उनको उन्होंने जला दिया। वे देवलोक के निवासी, उन्हें जगत शून्यवत् लगता था; परन्तु वे बैरागी पुनश्च भूलोक के व्यवहार में उतरे।

इस घटना के कुछ दिन पहले अम्बेडकर ने सिख धर्म स्वीकृति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया था। उन्होंने अपने बेटे यशवंत और भतीजे मुकुंद को अमृतसर के गुरुद्वारे में भेजा था। वे दोनों युवक एक-दो महीने वहां आतिथ्यपूर्ण वातावरण में मजे में रहे। सिख लोगों ने बड़े लालच से उनका आदर सत्कार किया।

अस्पृश्य नेताओं की धर्मान्तरण-घोषणा से अन्य धर्मों के अधिपतियों के मुंह से लार टपकने लगी। उनकी धार्मिक भूख भी बढ़ गई। अपने धर्म में अम्बेडकर प्रवेश करें इसलिए वे उनकी विनती करने लगे। अपने धर्म में प्रवेश करने से उन्हें समता और स्वतंत्रता का लाभ होगा, ऐसा वे भरोसा देने लगे। हैदराबाद रियासत के निजाम की प्रेरणा से कुछ मुस्लिम नेता अम्बेडकर को मुस्लिम धर्म के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अम्बेडकर से मिलने का प्रयास किया, लेकिन सारा दिन अम्बेडकर शहर में मोटर से घूमते रहे। आखिर में उनको झांसा देकर महाड़ के नजदीक साव नामक एक कर्म झरने के गांव गए। तथापि, वे बंबई के अंजुमन इस्माईल हाई स्कूल नामक इस्लामी स्कूल में संपन्न एक समारोह में उपस्थित थे। वहां वे एक शब्द भी नहीं बोले। मेरे गले में दर्द है, ऐसा उन्होंने बहाना किया। मगर मुसलमानों के मीठे-मीठे भाषण उन्होंने सुन लिए।

बौद्ध धर्मी भी कैसे निष्क्रिय रहते? उन्होंने भी अम्बेडकर पर अपनी मोहिनी डालने की कोशिश की। रे. लोकनाथ नामक एक इटालियन बौद्ध भिक्षु अम्बेडकर से 10 जून, 1936 को दादर के 'राजगृह' में आकर मिले। उनके शरीर पर झगा, एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में छाता था। अपनी भेंट में उन्होंने अम्बेडकर बौद्ध धर्म का स्वीकार करें, इसलिए उनका मन परिवर्तन करने का प्रयास किया। इस भेंट के बाद संवाददाताओं के साथ हुई मुलाकात में लोकनाथ ने उन्हें बताया कि, 'अम्बेडकर के मन पर बौद्ध धर्म का असर दिखाई देता है। वे धर्मान्तरण की समस्या पर सोच-विचार कर रहे हैं। अम्बेडकर ने निश्चित कोई उत्तर नहीं दिया है।' इस लोकनाथ का इटालियन नाम साल्हेडोर अर्थात् 'रक्षणकर्ता' था। इस 'रक्षणकर्ता' ने आगे कहा, 'अम्बेडकर हमारे मतों को स्वीकार करेंगे इसका मुझे विश्वास है। और सभी हरिजनों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने की मेरी अपनी महत्त्वाकांक्षा है।' तत्पश्चात् यह 'रक्षणकर्ता' सिलोन गया।

अपने लोग किस धर्म को स्वीकार करें, इसके बारे में अम्बेडकर ने सभी विभागों के अस्पृश्य वर्गीय नेताओं के साथ चर्चा की। सिख धर्म स्वीकार करना उन्होंने खुद तय किया था। अम्बेडकर के कुछ मित्रों और चहेतों का यह मत बना कि सिख धर्म स्वीकारने के कार्य में अम्बेडकर को हिंदू महासभा के नेताओं का समर्थन मिलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि सिख धर्म विदेशी धर्म नहीं, यह हिंदू महासभा के नेताओं की धारणा थी। हिंदू धर्म का ही वह एक पंथ है ऐसी उनकी मनोधारणा थी। इसलिए ही हिंदू और सिख के बीच विवाह होते थे। सिख हिंदू महासभा के सदस्य होते थे।

तद्नुसार हिंदू महासभा के एक प्रवक्ता डॉ. मुंजे को बंबई निमंत्रित किया गया। अन्य दो मित्रों के साथ डॉ. मुंजे अम्बेडकर से 18 जून, 1936 को सायंकाल मिले। अम्बेडकर ने सभी मुद्दों का स्पष्टीकरण किया। चर्चा खुले दिल से हुई दूसरे दिन अम्बेडकर के कथन के बारे में एक निवेदन तैयार किया गया। उसे

डॉ. मुंजे ने व्यक्तिश: स्वीकृति दी। डॉ. मुकुंदराव जयकर और डॉ. नारायणराव सावरकर से साथ चर्चा पर 22 जून को डॉ. मुंजे अन्य हिंदू नेताओं का अम्बेडकर के धर्मान्तरण को समर्थन दिलाने के लिए बंबई से निकले। उन्होंने अम्बेडकर का निवेदन सभी नेताओं को भेज दिया। जिन्होंने इस धर्मान्तरण के विचार का समर्थन किया, उनमें बैरिस्टर जयकर, सेठ जुगल किशोर बिड़ला, विजय राघवाचारियर और राजा नरेन्द्रनाथ शामिल थे। 30 जून, 1936 को डॉ. मुंजे ने एम.सी. राजी नामक अस्पृश्य नेता को इस संबंध में एक पत्र भेजा। अम्बेडकर को उनके पद से हराने का यह स्वर्ण मौका है, यह सोचकर राजा ने गांधी जी और मदनमोहन मालवीय जी को उस संबंध में पत्र लिखा और उनकी सलाह मांगी।

इस समय कांग्रेस दल के एक नेता गोविंद वल्लभ पंत ने राष्ट्रसभा के विचार व्यक्ति किए। उन्होंने कहा, 'हरिजनों को दोनों बातों का लाभ नहीं होगा। वे हिंदू के रूप में विशेष अधिकारों का उपभोग करें या अहिन्दू बनकर उनका त्याग करें।' पंत को उत्तर देते समय अम्बेडकर ने कहा, 'कांग्रेस दल की यह चाल है कि हरिजन और मैं घबराकर आने वाले चुनाव में न लड़ें। अम्बेडकर और उनके अनुयायियों को हिंदू समाज में रहने के लिए विवश किया जाए, ऐसा यह खास प्रयत्न है।'

अम्बेडकर के कहने का आशय यह था कि अस्पृश्य वर्ग को जो सीटें मिली हैं, वे हिंदुओं के हिस्से में से न होकर आम चुनाव क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। अस्पृश्यों का जो वर्गीकरण अस्पृश्य वर्गीय रूप में किया गया है, वह धार्मिक दृष्टि से न होकर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जब तक दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया है, तब तक केवल उनके कहने 'हमारा हिंदू धर्म से लगाव नहीं अथवा हमने उस धर्म का त्याग किया है,' के आधार पर उन्होंने धर्मान्तरण किया है, ऐसा अर्थ निकालना गलत है। अपना यह दृष्टिकोण हिंदू धर्म की दृष्टि से तटस्थता का समझा जाए, दूसरे धर्म को स्वीकार किया है ऐसा न माना जाए और हमें 'कानूनन हिंदू' समझा जाए, ऐसा उन्होंने अंत में कहा।

अम्बेडकर के कहने का आशय यह था कि अस्पृश्य वर्ग को जो सीटें मिली हैं, वे हिंदुओं के हिस्से में से न होकर आम चुनाव क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। अस्पृश्यों का जो वर्गीकरण अस्पृश्य वर्गीय रूप में किया गया है, वह धार्मिक दृष्टि से न होकर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जब तक दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया है, तब तक केवल उनके कहने 'हमारा हिंदू धर्म से लगाव नहीं अथवा हमने उस धर्म का त्याग किया है,' के आधार पर उन्होंने धर्मान्तरण किया है, ऐसा अर्थ निकालना गलत है। अपना यह दृष्टिकोण हिंदू धर्म की दृष्टि से तटस्थता का समझा जाए, दूसरे धर्म को स्वीकार किया है ऐसा न माना जाए और हमें 'कानूनन हिंदू' समझा जाए, ऐसा उन्होंने अंत में कहा।

गोविंद वल्लभ पंत और अम्बेडकर के बीच के इस वाद-विवाद के बारे में 'संडे स्टेट्समैन' पत्र ने कहा कि, अम्बेडकर संवैधानिक कानून के विषय में हस्तक्षेप करने वाले कोई उठल्लू व्यक्ति नहीं। उन्हें संविधान-विज्ञान का कानून विशारद कहा जाए तो भी उचित है। किसी समय किसी मुद्दे का वे बहुत आग्रह रखेंगे, लेकिन उनके पास बुद्धि की बड़ी पूंजी है, इसलिए वे निरंतर वाद-विवाद करने की सिद्धि में रहते हैं। अपना अभिप्राय देते समय 'संडे स्टेट्समैन ने कहा, 'बौद्ध, जैन अथवा अन्य सर्वसाधारण गिने जाने वाले किसी समाज में अस्पृश्य वर्गीय लोग गए, तो उनकी आरक्षित सीटें और दोहरे चुनाव के अधिकार नष्ट होंगे; और उन्हें सर्वसाधारण समाज में से एक के रूप में अन्यों के साथ जो कुछ अवसर प्राप्त होगा वही प्राप्त होगा। इसके विपरीत जिनके लिए जातिनिष्ठ सीटें आरक्षित हैं। ऐसे मुस्लिम, ईसाई या पंजाब के सिख में वे समाविष्ट हुए, तो आम चुनाव क्षेत्र में चुनाव के लिए वे खड़े नहीं रह सकेंगे। अगर धर्मान्तरण बहुत बड़ी मात्रा में घटित हुआ, तो उससे जातीय निर्णय के क्रमांक उलट-पुलट होंगे और शायद जातीय निर्णय पर फिर से विचार करना पड़ेगा। हिंदू धर्म के बारे में केवल ऊब दर्शाना धर्मान्तरण के बराबर नहीं है। इसलिए कोई भी उपर्युक्त अधिकार के लिए अपात्र नहीं ठहरता। उस संबंध में डॉक्टर साहब का कहना उचित ही है।

गांधी जी, मालवीय और राजगोपालाचारि ने राजा को सूचित किया कि अम्बेडकर और डॉ. मुंजे के विचार से उनका विरोध है। राजा पर भरोसा रखकर डॉ. मुंजे ने पत्र लिखा था। लेकिन गांधी जी ने राजा को वह पत्र प्रकाशित करने के लिए विवश किया।

गांधी जी ने डॉ. मुंजे को विनती की कि राजा और डॉ. मुंजे के बीच हुआ पत्राचार प्रकाशित करने के लिए संमति मिले। परन्तु डॉ. मुंजे के नेताओं को संमति प्राप्त करने के लिए दौरे पर होने की वजह से गांधी जी को पत्र उन्हें उचित समय पर प्राप्त नहीं हुआ। राजा से गुप्त पत्राचार प्रकाशित करवाने का गांधी जी के उद्देश्य सरल नहीं था। राजा की असंतुष्ट वृत्ति का उपयोग कर मुस्लिमों, ईसाइयों और सरकार को अम्बेडकर के खिलाफ उठाने, अम्बेडकर को पथभ्रष्ट करने के लिए गांधी जी प्रयास कर रहे थे। राजा उनके दांव-पेच की बलि चढ़ गए। इसलिए उन्होंने डॉ. मुंजे की संमति के बिना सारा गुप्त पत्राचार समाचारपत्रों में प्रकाशित किया।

अम्बेडकर ने अपने निवेदन से कहा था कि अगर अस्पृश्य वर्ग ने मुस्लिम और ईसाई धर्म का स्वीकार करने की अपेक्षा सिख धर्म को स्वीकार किया, तो पुणे-करार के अनुसार दिए गए अधिकार नवसिख के रूप में चालू रखवाने में हिंदू महासभा का विरोध नहीं था। तथापि उन्हें हिंदू और सिख के साथ सहयोग करके अस्पृश्यों को मुस्लिम धर्म की दीक्षा देने वाले मुस्लिम आंदोलन का बड़े मनोयोग से मुकाबला करना चाहिए।

अम्बेडकर का पत्र डॉ. मुंजे ने अपने पत्र के साथ जोड़ दिया था। अम्बेडकर के पत्रक का आशय विचारणीय था। दूर तक सोच-विचार कर ही उन्होंने कहा कि, 'राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से इस्लाम धर्म अस्पृश्यों को उनके पास उपलब्ध चीजें दे सकता है, ऐसा लगता है। ईसाई धर्म के पास उस धर्म को समर्थन देने वाले अमरीका, इंग्लैंड जैसे ईसाई राष्ट्रों से सहज प्राप्त होने वाले अपरिमित साधन हैं और भारत में ईसाइयों को सरकार का समर्थन प्राप्त है। सिख धर्म के पास विशेष ऐसा कोई आकर्षण नहीं और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सिख धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म इन दो धर्मों के समान अस्पृश्यों को सहायक नहीं होगा। फिर भी अम्बेडकर ने खुद हिंदू हित की दृष्टि से सिख धर्म को ही चुना। इसलिए हिन्दू नवसिखों के मार्ग में जो आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयां हैं, उन्हें दूर करने के लिए सिखों की सहायता करें, यह उनका कर्तव्य है।'

मैंने सिख धर्म को क्यों पसंद किया वह विशद करते समय अम्बेडकर ने कहा, 'दूसरा एक सवाल यह है कि हिंदू हित की दृष्टि से सामान्यतया कौन-सा धर्म स्वीकार किया जाए? इस्लाम, ईसाई या सिख? साफ कहना हो तो सिख धर्म यही सर्वोत्तम धर्म हैं अगर अस्पृश्यों ने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार किया, तो वे हिंदू धर्म की कक्षा से बाहर जाते हैं, इतना ही नहीं, हिंदू संस्कृति के बाहर जाते हैं। इसके विपरीत अगर सिख हुए, तो वे हिंदू संस्कृति में ही रहते हैं। यह हिंदुओं के लिए कोई छोटा-मोटा लाभ नहीं हैं।

'अस्पृश्यों के धर्मान्तरण की वजह से आमतौर पर देश पर क्या असर होगा, यह ध्यान में रखने लायक है। अगर वे इस्लामी या ईसाई धर्म में गए तो अस्पृश्य लोग अराष्ट्रीय होंगे। अगर वे मुसलमान हुए तो मुसलमानों की संख्या दुगुनी हो जाएगी। अगर वे ईसाई हुए तो ईसाइयों की संख्या पांच छह करोड़ हो जाएगी। इसका नतीजा यह होगा कि इस देश पर ब्रिटिश सत्ता की पकड़ अधिक मजबूत होने में सहायता होगी। इसके विपरीत अगर वे सिख धर्म में गए तो उससे हिंदुस्तान की भवितव्यता को धोखा नहीं पहुंचेगा। इतना ही नहीं, देश की राजनीतिक प्रगति में सहायता करेंगे। इसलिए अगर अस्पृश्यों को धर्मान्तरण करना ही है, तो वे देशहित की दृष्टि से सिख धर्म में प्रवेश करें।'[2] क्या ये उद्गार उदात्त और समझदार भारत के सुपुत्र के नहीं हैं?

डॉ. मुंजे को उत्तर देत समय राजा ने कहा, 'हमें एक संघ समाज के रूप में जीना है। हम ही अपनी उन्नति की और स्वयं आगे बढ़ने वाले हैं। परंतु हम हिंदू धर्म पर अपना जो जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे बिना छोड़े यह अच्छी तरह से साध्य कर सकते हैं। हिंदू धर्म में रहकर अपनी ही जाति को नहीं, अन्य जातियों के लिए भी यह परिवर्तन सुखकर होगा, इस तरह से किया जा सकता है। जातीयवाद के संघर्ष और होड़ में हम एक गोटी बनना नहीं चाहते।'

राजगोपालचारि ने कहा कि 'अम्बेडकर-मुंजे का यह पैंतरा विशुद्ध शैतानी योजना है' और आगे स्वयं राजाजी ने ही शैतानी की चरमसीमा तक पहुंचकर देश का विभाजन करने की योजना का प्रचार किया। गांधी जी ने राजा के मत का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'अस्पृश्यता निवारण एक अलग बात है, ऐसा मेरा मत है। वह धार्मिक समस्या है। वह लेन-देन की समस्या कभी नहीं हो सकती।'

इन आरोपों का उत्तर देते समय अम्बेडकर ने कहा, 'न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो डॉ. मुंजे की संमति के बिना राजा को समाचारपत्रों के लिए यह जानकारी नहीं देनी चाहिए थी। अगर राजा को आध्यात्मिक संतोष की आवश्यकता थी, तो उन्होंने ऐहिक और आधिभौतिक सुख पर जोर देकर हिंदू के रूप में मरने के लिए विधानमंडल पर आरक्षित सीटों की मांग क्यों की?' गांधी जी और मालवीय जी के मतों के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने कहा, 'कोई अर्थ नहीं। उन्होंने पुणे-करार के समय अस्पृश्योद्धार के बारे में जो आश्वासन दिए थे, उन्हें कृति में नहीं लाया। गांधी जी की भाषा रहस्यवादियों का गुंजन है।' यह कहकर उन्होंने आगे कहा कि, 'अस्पृश्यों की समस्या लेन-देन की समस्या नहीं, यह कहना गांधी जी के मुंह में शोभा नहीं देता; क्योंकि पुणे-करार के समय अस्पृश्यों की समस्या लेन-देन की समस्या है ऐसा ही माना गया था।' राजगोपालाचारि के पत्रक के बारे में उन्होंने कहा, 'जिन हिंदुओं का अपने देश की भवितव्यता

के बारे में चिंता लगती है, वे राजा जी के पत्रक की बुद्धिमानी के बारे साशंक होंगे।' अम्बेडकर ने अपने पत्रक के अंत में भावोत्कटता से कहा, 'अस्पृश्य वर्ग सिक्ख धर्म की दीक्षा ले। इस योजना को श्रीशंकराचार्य सहित अनेक मान्यवर हिंदुओं की सम्मति है। सचमुच उन्होंने ही वह योजना मेरे सम्मुख रखी। मैंने वह स्वीकृत की। मैं मानता हूं कि हिंदू समाज की भवितव्यता के लिए मैं अशंतः जिम्मेदार हूं। इसलिए मैंने यह पर्याय स्वीकार किया है।[3]

डॉ. मुंजे और डॉ. कुर्तकोटि ने अम्बेडकर को अस्पृश्य वर्ग के धर्मान्तरण के लिए समर्थन देकर कम से कम धोखा स्वीकार किया, यह साफ है। संप्रति हिंदू नेताओं का अतीत कालीन हिंदुओं की भांति यह विश्वास था कि, सिख धर्म हिंदू धर्म की ही एक शाखा है। उस धर्म की संस्कृति और तत्व एक ही हैं। पहले हिंदू परिवार में एक लड़का हिंदू तो दूसरा सिख होता था। लाजपतराय की मां सिख पंथ की थी।

इतिहासकार होने वाले डॉ. अम्बेडकर ने हिंदू समाज को एक जबरदस्त धक्का दिया। क्योंकि उन्हें मालूम था कि हिंदुओं के अन्य धर्मों में जाने से हिंदुस्तान को बड़े आघात पहुंचे थे। मुस्लिमों का हिंदुस्तान में राज्य स्थापित करने के लिए अतीत काल में भ्रष्ट हिंदू ही लड़े थे। धर्मान्तरण के इस आंदोलन के छह वर्षों के बाद मुसलमान नेता जिन्ना ने लुई फिशर[4] नामक अमरीकी लेखक को बताया कि भारतीय मुसलमानों में से 75% मुसलमान पूर्वाश्रमी के हिंदू ही थे। नेहरू जी ने तो धर्मनिरपेक्ष उत्साह के साथ उन भ्रष्टों का आंकड़ा 95% तक पहुंचा दिया। इससे अम्बेडकर की धर्मान्तरण की घोषण ाा विचारक हिंदू नेताओं को आसमान की कुल्हाड़ी क्यों लगी, यह स्पष्ट होता है। हिंदुओं की आत्मघाती उदासीनता और अस्पृश्य लोगों की ओर देखने की इन्सानियत-विहीन दृष्टि के कारण राष्ट्र की शक्ति का पतन हो रहा है, यह उन विचारक हिंदू नेताओं को मालूम हो चुका था।

जो कांग्रेस हिंदुओं की संख्या और सामर्थ्य बल पर पुष्ट हुई, उसने हिन्दुओं के धर्मान्तरण की ओर ध्यान न देने से पंजाब और त्रावणकोर प्रान्त में हिंदुओं की कैसी दुर्गति हुई है, यह आगे दिए गए आंकड़ों से दिखाई देगा। उससे शिवाजी, दयानंद, श्रद्धानंद, भाई परमानंद और वीर सावरकर भ्रष्ट हिंदुओं को हिंदू धर्म में लेने के लिए निरंतर संघर्ष क्यों कर रहे थे, इसकी स्पष्ट कल्पना आ जाती है। डॉ. मुंजे और डॉ. कूर्तकोटि अम्बेडकर से अनुरोध करते हुए उनके पीछे क्यों घूम रहे थे, इसका भी स्पष्टीकरण हो जाता है। क्योंकि अस्पृश्यों के धर्मान्तरण से हिंदुस्तान पर आने वाली आफत से उन्हें हिंदुओं के एकमेव देश को बचाना था।

इतिहासकार होने वाले डॉ. अम्बेडकर ने हिंदू समाज को एक जबरदस्त धक्का दिया। क्योंकि उन्हें मालूम था कि हिंदुओं के अन्य धर्मों में जाने से हिंदुस्तान को बड़े आघात पहुंचे थे। मुस्लिमों का हिंदुस्तान में राज्य स्थापित करने के लिए अतीत काल में भ्रष्ट हिंदू ही लड़े थे। धर्मान्तरण के इस आंदोलन के छह वर्षों के बाद मुसलमान नेता जिन्ना ने लुई फिशर[4] नामक अमरीकी लेखक को बताया कि भारतीय मुसलमानों में से 75% मुसलमान पूर्वाश्रमी के हिंदू ही थे।

ईस्वी सन् 1901 में असम में प्रति 10,000 जनसंख्या में हिंदू 5,578 थे, मुसलमान 2,189 और ईसाई 23 थे। 1941 में वह हिंदुओं की संख्या प्रति 10,000 में 4,129 तक गिर गया। मुसलमानों की संख्या 3,373 तक और ईसाइयों की संख्या 35 तक बढ़ गयी। पंजाब में मुसलमानेतरों की कुल जनसंख्या 53% थी। मुसलमान 47% थे। 1941 में मुसलमानेतरों की मात्रा 47% तक नीचे गिर गयी। मुसलमानों की मात्रा 53% तक बढ़ गयी। त्रावणकोर में 1920 में हिंदू कुल जनसंख्या के 83% थे, ईसाई 12.4% थे। 1941 में हिंदू 60.5% तक आए, तो ईसाई 32.3% तक बढ़ गए।

अस्पृश्यों में से अधिक से अधिक लोग येशू के चरणाविंद में अर्पण कैसे किए जाए, इस संबंध में विवेचन करते हुए 'अस्पृश्यों का शोध' (अनटचेबल्स क्वेस्ट) ग्रंथ के रचयिता गॉडफ्रे एडवर्ड फिलिप्स बड़े ठाठ से कहते हैं कि, हिंदू समाज के ईसाइयों में से 70% ईसाई मूल अस्पृश्य वर्ग में से थे। प्रस्तुत ग्रंथकर्ता और लिखते हैं कि, '1931 में समाप्त हुए दशक में ईसाई समाज में हर महीने अपने आप ही 5,000 से अधिक ईसाइयों की वृद्धि होती थी और हर महीने ग्रामीण इलाके में 7,000 लोग ईसाई धर्म की दीक्षा लेते थे।'

हिंदुओं के इस्लाम धर्म की दीक्षा देने का इस्लाम नेताओं का ध्येय मुसलमानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। इसी कारण से जनगणना के समय अस्पृश्यों का हिंदू के रूप में पंजीकरण न हो।[5] इस तरह का आक्षेप मुसलमानों ने लिया था और कांग्रेस दल के व्यासपीठ से मौलाना महमूद अल्ली ने अस्पृश्य वर्ग का हिंदू और मुसलमानों में समसमान बंटवारा कर लेने की अपवित्र इच्छा स्पष्टतया व्यक्त की थी। उस समय

राष्ट्रसभा के हिंदू नेता कौरव सभा में बैठे हुए पाण्डवों की तरह गर्दन नीचे करके बैठे थे।

'जातियों का निर्मूलन' नामक अम्बेडकर के प्रबंध पर सारे भारत में उलट-पुलट चर्चा, आलोचना चल रही थी। किसी ने निंदा की, किसी ने स्तुति। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक विचारी नेता ने अम्बेडकर के प्रबंध का खंडन था मंडन करने का प्रयास किया। सावरकर और अम्बेडकर का अस्पृश्यता निवारण के बारे में काफी मतैक्य था। परन्तु हिंदुओं का इतिहास एक अखंड पराजय की मालिका है, इस विधान का उन्होंने हिंदुओं के वैभवशाली समय की ओर अंगुली निर्देश कर उत्तर दिया। अम्बेडकर का विधान बौद्धिक दृष्टि से जितना छोड़ने वाला, प्रक्षोभ-प्रवर्तक था सावरकर का उत्तर उतना ही समर्थनवादी लेकिन समर्पक!

अस्पृश्यों के धर्मान्तरण को विरोध दर्शाकर अम्बेडकर को गांधी जी ने उत्तर दिया। अम्बेडकर के आरोपों को उत्तर देते समय गांधी जी ने प्रतिद्वंद्वी को स्तुति सुमन से युक्त ताना कसने की अपनी अतुलनीय शैली में कहा, 'अम्बेडकर आगे कोई भी नाम धारण करें। एक बात सही है कि, वे अपना नाम तुरन्त विसमृति में सहज रूप में पड़ने नहीं देंगे। अपने आनुवंशिक धंधों का अनुकरण कर आजीविका करने की सीख वर्ण व्यवस्था हिंदुओं को प्रदान करती है। अम्बेडकर की नाप-तौल की जाए, तो सभी धर्म अधूरे दिखाई देंगे, तुच्छ ठहरेंगे। जिस धर्म ने चैतन्य, ज्ञानेंद्र, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, तिरुवलुवर, राजा राममोहन रॉय, देवेंन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद जैसे महान नर रत्न निर्माण किए; वह धर्म अम्बेडकर कहते हैं उतना तुच्छ निश्चय ही नहीं!' अंत में गांधी जी ने कहा, 'तथापि, समाज सुधारकों का अम्बेडकर के इस प्रबंध की ओर अनाकानी करना नहीं चलेगा। अम्बेडकर हिंदू धर्म को प्राप्त हुआ एक आवाहन है।'

इस पर उत्तर देते समय अम्बेडकर ने कहा कि, 'जातियों का निर्मूलन' प्रबंध प्रसिद्धि की लालसा से मैंने छापा, ऐसा गांधी जी ने कहा है, जिसके बारे में हमें उन पर दया आती है। महात्मा सरीखे जो लोग कांच घर में रहते हैं, वे दूसरों पर पत्थर बाजी न करें तो ही ठीक होगा!

'नैसर्गिक प्रवृत्ति के खिलाफ आनुवंशिक व्यवसाय के गांधी प्रणीत तत्व और चातुर्वर्ण्य में कोई फर्क नहीं। गांधी जी को आनुवंशिक तत्व के अनुसार तराजू न पकड़ते हुए बैरिस्टर बनकर अधूरा सन्यासी और अधूरा राजनीतिज्ञ नहीं बनना चाहिए था, ऐसा मर्मभेदक सवाल अम्बेडकर ने गांधी जी से किया। गांधी जी द्वारा उल्लेखित संतमालिका निर्देश करते हुए उन्होंने कहा कि, 'उन संतों ने जातिभेद के खिलाफ आंदोलन नहीं किया था। उनके पवित्र जीवन की ओर उनकी उदात्त सीख का जनमानस पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। शास्त्र के खिलाफ उनका कुछ भी नहीं चल सका।' उन्होंने अपने पत्र के अंत में गांधी जी से पूछा, अहो, ऐसे पुरुषोत्तम हाथ की उंगलियों पर गिने जा सके इतने कम क्यों? और बुरे ज्यादा क्यों? हिंदू धर्म और हिंदुओं के साथ मेरा जो संघर्ष है, वह उनके दोषास्पद सामाजिक बर्ताव के बारे में नहीं, उनके ध्येय के बारे में है। वे ध्येय मेरी समझ के अनुसार गलत है।' किस धर्म ने युगों-युगों से पुरुषोत्तमों की मालिका निर्माण की इसके बारे में अम्बेडकर ने कुछ भी नहीं कहा।

इसी समय गांधी जी ने गुजरात के एक हरिजन कार्यकर्ता किकाभाई को सूचित किया कि हिंदू के रूप में पैदा हुए हरिजन हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे।

गांधी जी और अन्य अनेक नेताओं के विरोध करने पर भी धर्मान्तरण की दृष्टि से अम्बेडकर ने और एक कदम आगे बढ़ाया ही। 18 सितम्बर, 1936 को उन्होंने अपने अस्पृश्य नेताओं की एक टुकड़ी अमृतसर के सिख मिशन में सिख धर्म का अध्ययन करने के लिए भेजी। उन 13 व्यक्तियों में से कोई भी विद्वान नहीं था। प्रथम श्रेणी का अम्बेडकर-वादी भी नहीं था। उस टुकड़ी के अमृतसर पहुंचने पर उस टुकड़ी में से एक मनुष्य को पत्र लिखकर अम्बेडकर ने उन्हें प्रोत्साहन दिया। धर्मान्तरण के आंदोलन के अग्रणी वीर के रूप में उन्होंने उनका अभिनंदन किया। उन्हें शुभेच्छा दी। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने सिख धर्म की दीक्षा लेने के लिए उनको नहीं बताया था।

इसी समय अम्बेडकर सिख मिशन के नेताओं के साथ नजदीक के संबंध जोड़ रहे थे। सिख मिशन और अम्बेडकर के बीच बंबई में एक महाविद्यालय शुरू करने के बारे में बातचीत चल रही थी। उसका लाभ सिख धर्म स्वीकारने वाले अस्पृश्यों को होने वाला था। उस समय यह अफवाह थी कि अम्बेडकर उस महाविद्यालय के प्राचार्य और मार्गदर्शक बनने वाले थे। उधर अमृतसर में उत्साह के आवेग में उन 13 अनुयायियों ने सिख धर्म स्वीकार कर लिया। अम्बेडकर ने उन्हें जो नहीं करने के लिए कहा था, ठीक वे अनुयायी कर बैठे। बेचारों का जब बंबई में आगमन हुआ, तब उनसे कोई ठीक ढंग से बात तक नहीं करता था। अम्बेडकर के ही शब्दों में कहना हो, तो उनका आगे क्या हुआ 'भगवान ही जाने'! ■

संदर्भ

1. Narang, Dr. Gokulchand, Real Hinduism, P. 13.
2. The Times of India, 24 July 1936.
3. The Times of India, 8 August 1936.
4. Louis Fischer, Empire, P. 27
5. Ambedkar, Dr. B.R.] Thoughts on Pakistan P. 241

(पॉपुलर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित धनंजय कीर की लिखी पुस्तक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन चरित से साभार)

(क्रमश: शेष अगले अंक में)

कामचोर

■ विपिन बिहारी

इंचार्ज बनकर आने वाले थे मोरे साहब उमा शंकर की जगह। उनका नाम सुनते ही सवर्ण कर्मचारियों ने नाक-भौह सिकोड़ ली थी, लेकिन दलित कर्मचारियों के बीच एक उत्साह फैल गया था... पहली बार कोई दलित इंचार्ज बनकर आ रहा है सेक्शन में। गोरे साहब के बारे में कहा जाता है कि वे काम के मामले में कोई मुरव्वत नहीं करते। और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे एक व्यक्ति से कितना अधिक से अधिक काम ले सकते हैं। वे इस मामले में भी ख्यात हैं कि काम के मामले में उनके आगे कोई न सवर्ण है, न अवर्ण। काम से जी चुराने पर उनकी गहरी निगाह हमेशा लगी रहती है। यहां तक उनके सारे डिटेल्स अपनी नोट बुक में दर्ज कर लेते हैं, और बीच-बीच में उसकी खबर भी लेते रहते हैं।

''एक एस.सी. इतना भी टाइट हो सकता है?'' सवर्ण कर्मचारियों के बीच चर्चा थी।

''कुछ भी हो, एक एस.सी. तो हमारे बीच आ रहे हैं। वे उनके बीच खराब हो सकते हैं जो कामचोर हैं। काम करने वालों को क्या फर्क पड़ता है? एस.सी. वाले कामचोर हो ही नहीं सकते। कामचोरी का मतलब वे समझते हैं। हम काम करने आए हैं क्योंकि हमें जरूरत है। कामचोरी वे करते हैं, जिन्हें जरूरत नहीं है। उनका घर धन-धान्य से भरा-पूरा है और शौकिया रूप से नौकरी कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये गुमान है कि वे सवर्ण और ग्रुप डी की नौकरी स्वीकार की है। जब ग्रुप डी की नौकरी स्वीकार की है तो ग्रुप डी का ही काम करना पड़ेगा।'' एस.सी. वाले के बीच चर्चा थी।

पंद्रह दिन के भीतर ही आ गए थे गोरे साहब। लेकिन सेक्शन बड़ा था तो प्रभार लेने-देने में अमूमन लग ही जाएगा महीना। गोरे साहब को कर्मचारी समझ रहे थे कि वे भारी-भरकम चेहरे वाले, उस पर भयानक किस्म का रूआब होगा। हमेशा उनकी बातें डांटने जैसी होगी। लेकिन ये क्या? जब वे आए तो सामान्य से हटकर नहीं थे, बल्कि सीधे-साधे और सपाट लगे थे...चेरहे से भी और व्यवहार से भी, लेकिन उनकी आवाज में एक खनक जरूर थी। बातचीत के दौरान उनकी आवाज ऊंची होती थी। दूर से ही कहा जा सकता था, गोरे साहब की आवाज है।

सुशील बाबू गोरे साहब से परिचित था। गोरे साहब जब ट्रेनिंग में थे, सुशील की पोस्टिंग हुई थी। यह छब्बीस साल पहले की बात थी। कभी-कभार ही भेंट हुई थी सुशील से उनकी। लेकिन उसे भरपूर जानते थे गोरे साहब। जहां वे इंचार्ज थे, वहां के क्लर्क अलीमुद्दीन से डिवीजन में अक्सर भेंट होती रहती थी सुशील की। जब गोरे साहब का स्थानांतरण हुआ तो अलीमुद्दीन से ये जानने की कोशिश की थी सुशील ने, ''कैसे हैं गोरे साहब?''

''कुछ ज्यादा ही खिच-खिच करते हैं।''

''किस टाइप की खिच-खिच?''

''नुक्ता निकालने में उस्ताद हैं। सवाल बहुत करते हैं, और उनके सवालों का जबाव देना मुश्किल हो जाता है।''

''देखता हूं मैं भी उनकी खिच-खिच।''

पंद्रह दिनों में पूर्ण रूप से उन्हें प्रभार दे दिया गया। उमाशंकर थोड़ा देर कर रहे थे। ऐसा लगा रहा था, वे अभी जाने के पक्ष में नहीं थे। पैरवी वाले थे। पैरवी के बल पर वे एक बार अपना ट्रांसफर रूकवा चुके थे। और एक रिकार्ड ही था कोई भी इंचार्ज जितने दिन वे रहे, कोई नहीं रहा। लेकिन जब डिवीजन ये दबाव पड़ा तो झटपट प्रभार देना ही पड़ा।

सब कुछ सामान्य लग रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था गोरे साहब अलग किस्म के इंसान थे। जिस तरह उमाशंकर काम कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही लग रहे थे।

उनके न रहने पर चन्द्रिका चपरासी बोल रहा था सुशील से, ''सब हौव्वा किए हुए था साहब के आने से पहले... ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन ऐसा-वैसा तो कुछ नहीं लग रहे हैं। जैसे पिछला साहब थे, वैसा ये भी लग रहे हैं।''

''उमाशंकर और इनमें कोई तुलना नहीं है। अभी नए हैं, यहां के वातावरण को समझ रहे हैं। जहां से ये आए हैं वहां की स्थिति और यहां की स्थिति में फर्क हैं। वहां के काम और यहां के काम एक जैसा नहीं है। कोई भी नया आएगा तो पहले समझेगा, तब ही कोई कदम उठाएगा...अपना स्वभाव दिखाएगा।'' सुशील बोलता, ''मुझे भी कठिनाई हो

रही है। मैं समझता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। वे अपने तरीके से काम करते आए हैं और मैं अपने तरीके से काम करता आया हूं। अब उमाशंकर नहीं रहे, मुझे अब गोरे साहब के तरीके से काम करना है। और उनके तरीके से काम करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। यदि वे मेरे साथ खिच-खिच करते हैं तो इसकी वजह मैं समझता हूं। ये कठिनाई कुछ समय के लिए है। जब मैं उनके तरीके से ढल जाऊंगा सब ठीक हो जाएगा। यदि उनके खिच-खिच से किसी को बुरा लगता है तो समझो वह मूल को नहीं समझ रहा है।''

गोरे साहब ने भाग-दौड़ करना शुरू कर दिया था। दफ्तर आते, आधा घंटा बैठते और सेक्शन निकल पड़ते। सुशील उनके आने से पहले ही आ जाता, जैसा कि उसकी आदत थी। दफ्तर समय पर आना। इस बात के कायल गोरे साहब भी हो गए थे। नहीं तो दूसरे दफ्तरों में इंचार्ज आकर बैठे रहते, बाबू की खोज होती। मालूम होता कि वह अभी नहीं आया है। और शायद ऐसी परिस्थिति का सामना वे कर चुके थे। लेकिन यहां बाबू पहले ही आ पहुंचता था। वे नहीं पूछते कि सुशील बाबू आए हैं या नहीं आए हैं, बल्कि अपने चैम्बर से सीधे उसका नाम पुकारते, ''सुशील बाबू।''

''जी सर...!'' सामने सुशील हाजिर।

सुशील को उनके निकलने से पहले जरूरी-गैरजरूरी कागजातों पर हस्ताक्षर करवाना होता तो करवा लेता... पता नहीं सेक्शन से कब लौटेंगे। और रात में किसी कागजात पर हस्ताक्षर कराने जाना ठीक नहीं लगता। हां, कभी-कभार इसकी जरूरत पड़ जाती थी, तब जाना ही पड़ता था। सेक्शन से उनके लौटते-लौटते शाम हो जाती थी और वह सीधे आवास पर ही आ पहुंचता था। उसे कभी-कभी पूरे दिन का काम एक तरह से आधे घंटे में ही निपटना हो जाता था। उनके जाने पर पेडिंग काम को निपटाने लगता था, और दूसरी सुबह उनसे हस्ताक्षर करवाता।

जैसे-जैसे सेक्शन को समझ रहे थे गोरे साहब, अपने रंग में आते जा रहे थे। सुशील को दफ्तर से निकलते समय कामों की फेहरिस्त लिखवाते थे। साथ ही वे अपनी नोट बुक पर भी लिखते थे...ये हो जाना चाहिए। बीच-बीच में मोबाइल पर उसे टोकते भी रहते थे, हुआ की नहीं। वह भी कह देता...हो रहा है... अभी नहीं हो पाया है...करने जा रहा हूं।

सुशील को काम के सिलसिले में पूछना या जांचना अच्छा लगता था। ऐसा होना चाहिए एक इंचार्ज को, इससे सक्रियता बनी रहती है, और ऐसा भी होता है कि ध्यान से उतरने की गुंजाइश कम रहती है। उमाशंकर को तो कामों की कोई परवाह ही नहीं रहती थी। कुछ जरूरी चीज ही जो ऊपर के लेवल की होती थी, ओर व्यक्तिगत रूप से उन्हें ही कहा जाता था, तब ही सुशील को कहते थे, नहीं तो सुशील अपनी मरजी से ही किए जाता था। उसे इतनी समझ है कि कौन काम कब और कैसे करना है। उनके समय में सुशील की जवाबदेही दूसरे तरीके की होती थी। दफ्तर का सारा जिम्मा उसके सिर पर। और एक कमी ये भी थी उनमें कि सुशील जो करधर कर हस्ताक्षर के लिए उमाशंकर को देता था। हस्ताक्षर करने से पहले वे देखते भी नहीं थे... क्या लिखा है, यदि लिखा है तो प्रासंगिक है कि नहीं। हस्ताक्षर कर दिया। आगे जाने पर जब तक नुक्ताएं निकाली जाती थीं, तब फिर सुशील ही सुधारता था। लेकिन गोरे साहब ऐसा नहीं थे। वह एक-एक लाइन पढ़ते थे। जो लाइन प्रासंगिक नहीं होती थी, उसमें सुधार करवाते तब साइन करते।

''इंचार्ज को इतना तो होना ही चाहिए। बाबू बहुत कुछ करता है, लेकिन इंचार्ज का क्या काम है?'' सुशील कहता।

दफ्तर में दो बाबुओं की जगह थी। एक बाबू सालों पहले रिटायर कर गया, लेकिन उसकी जगह किसी को नहीं भेजा गया। सुशील के सिर पर ही उसका काम पड़ गया था। और वह अकेला दोनों को बखूबी निभाता आया है। इस बात पर गोरे साहब को हैरत होती थी, ''आप कैसे निपटा लेते हैं? आपमें स्टेमिना है।''

''लम्बे समय से करता आया हूं न, आदत सी पड़ गई है। साथ ही इसी बहाने अपनी योग्यता दिखलाने का मुझे मौका भी मिल गया है। बहुत लोग दलितों पर अंगुलियों उठाते रहते हैं कि उनमें योग्यता ही नहीं होती। कोई आए मेरी जगह पर और मेरी तरह करके दिखाए तब जानूं।'' सुशील बोलते समय बिल्कुल सामान्य था।

''सवाल उठाने वाले को क्या कहेंगे? उन्हें भी पता है कि जितनी मेहनत एक दलित कर सकता है उतनी वे नहीं कर सकते। दलित शरीर रूप में भी मेहनती है और कलम रूप में भी। लेकिन अवसर ही नहीं मिलता तो दिखाए क्या? अब कुछ अवसर मिल रहा है तो दिखा रहा है। उनके पास कोई चारा नहीं हैं, करेंगे क्या? जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता या कोई चीज उनकी तलहथी से फिसल रही होती है तो हमें छोटा और खुद को ऊंचा दिखाने के लिए वे इस तरह के जुमले कसते रहते हैं। जबकि उन्हें भी पता है कि किसी देश की प्रगति-अप्रगति कामगारों पर ही निर्भर है। कलम-स्याही करने से कुआं नहीं खुद जाएगा, फामूले निकाल लेने से हल नहीं चल सकता। उसके लिए धूप-गर्मी बर्दाश्त करने वाले लोग भी चाहिए। जिसने सुविधाओं में रहकर जिंदगी बसर की है, वह धूप-गरमी बर्दाश्त कर सकता है?''

''साहब, गोपाल बाबू के रिटायर करने के तीन साल बाद एक ब्राह्मण की पोस्टिंग की गई थी उनके जगह। एक सप्ताह ड्यूटी करता तीन सप्ताह गायब। सालभर भी नहीं बीता कि गुजर गया। खूब शराब पीता था। मैं भी यही सोचने लगा था, उसके आने से कुछ हल्का होऊंगा, लेकिन ऐसा लगा मैं ही उसे ढो रहा हूं। चुपचाप वह बैठा रहता था। उससे मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। एक-दो बार उसे कुछ करने के लिए दिया भी तो उसने इतनी गलतियां की कि...मैंने साफ कह दिया, जितनी गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने में जो समय लगेगा, उससे कम समय में मैं ही कर लूंगा। चुपचाप बैठा रहता था तो मुझे भी टेंशन हो जाता था, मैं काम कर रहा हूं और वह चुपचाप बैठा हुआ है और तनख्वाह भी पूरा का पूरा चाहिए...और ऐसे लोग ही हम पर अंगुलियां उठाते हैं। हमारी योग्यता के नाम पर। सच बोलूं साहब, ये लोग फोकस पर जी रहे हें, नहीं तो इनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। एक बात कहूंगा कि इन लोगों को ऊपर से नीचे तक सपोर्ट मिला हुआ है और हमें नहीं मिला हुआ है। इनके पास दौलत भी है और पैरवी भी। इन्हें हर तरह से मदद मिल जाती है और हमें नहीं मिल पाती है...बस।''

''इस मामले में आप काफी अनुभवी लगते हैं।'' मुस्कुराते हुए बोले थे गोरे साहब,'' मैं सब समझता हूं, फिर भी मेरी कोशिश है कि मेरे काम पर कोई अंगुली न उठाए।''

''गांव से जुड़ा हुआ हूं सर। जिस स्कूल में पढ़ता था उसकी छत नहीं थी। महुए के पेड़ के नीचे प्राइमरी तक पढ़ा। उस समय दलितों के साथ किस तरह के व्यवहार किए जाते थे, और आज किस तरह किए जा रहे हैं दोनों समयों का अनुभव है। और नौकरी भी मिली ऐसी जगह कि...इस जगह को शहर कहते हैं, लेकिन शहर कहां है पता ही नहीं चलता। जिस मिजाज को मैंने अपने गांव में झेला था, उसी मिजाज को यहां भी झेल रहा हूं। मुझे तो अपने गांव और यहां में कोई फर्क ही नहीं महसूस होता। आप आए हैं तो महसूसेंगे ही। उमाशंकर पिछड़ी जाति से थे। वे भी जात-पांत करते थे। मुझे तो लगता था, भले ही वे पिछड़ी जाति से संबंध रखते थे, लेकिन उनकी आत्मा सवर्ण थी। उनका व्यवहार बिल्कुल सामंतों की तरह था। एक समय ऐसा लगा था, हम दोनों के बीच तना-तनी हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। मेरी शिकायत वे दूसरों से करते थे, जबकि मैं अच्छा करता रहा तो इसका फायदा उन्हें ही मिला। मेरी वजह से उनकी कहीं शिकायत नहीं हुई। हालांकि आखिर में उन्हें मानना पड़ा, मैं क्या हूं।'' सुशील जैसे इतिहास सुना रहा था गोरे साहब को।

गोरे साहब और सुशील के बीच अच्छी जम गई थी। कुछ ही दिनों में छोटे-छोटे काम के लिए भी वे सुशील पर पूरी तरह आश्रित हो गए थे। छोटी-छोटी बात पर सुशील को अपने चैम्बर में बुलाते। इसका ये नतीजा हुआ कि सुशील की व्यवस्तता कुछ अधिक ही हो गई थी। साथ ही शनिवार को भी पूरा दिन उसे खटना पड़ जाता था। कभी-कभी तो इतवार को भी बुला देते थे यह कहकर कि इतवार के एवज में किसी दिन छुट्टी कर लेंगे, लेकिन ऐसा मौका कम ही मिला कि उसने इतवार के एवज में किसी दिन छुट्टी की हो। वह हंसता, ''जब छुट्टी के दिन छुट्टी नहीं मिलती तो काम के दिनों में क्या छुट्टी मिलेगी?'' लेकिन वह लगातार दो रविवार काम नहीं कर पाता था। वह खुलकर कहता था गोरे साहब को, ''ऐसी स्थिति में तो एक दिन रेस्ट चाहिए ही दिमागी तौर पर, नहीं तो फिर काम में गड़बड़ियां शुरू हो जाएंगी।''

''मैं समझता हूं, रेस्ट हेड क्वांटर में ही कर लिया करें।''

सुशील को पता है कि रेस्ट हेड क्वांटर में नहीं कर पाएगा। हेड क्वांटर में रहने पर रूटीन ऐसी बन गई है कि रेस्ट टाइम में रहते हुए भी सिर पर एक बोझ-सा बना रहता है, इसलिए रेस्ट के दिन हेड क्वांटर छोड़ने पर ही बोझ मुक्त होकर रेस्ट कर पाता है।

''यहां रहने पर तो बुला ही लूंगा। इस डिपार्टमेंट में काम ही ऐसा है कि शनिवार रविवार का पता ही नहीं चलता।''

''समझता हूं मैं भी...।''

जैसे-जैसे गोरे साहब पुराने होते गए, कर्मचारियों पर उनका शिकंजा कसता गया था। वे एक कर्मचारी से अधिक से अधिक काम लेने में माहिर थे, और कामचोरों पर तो उनकी खास नजर रहती ही थी।

''एक व्यक्ति से वे अधिक से अधिक कितना काम निकलवा सकते हैं, उनका ये फार्मूला मुझे बहुत अच्छा लगता है।'' सुशील प्रशंसात्मक लहजे में अनायास बोल पड़ा था।

''मुझे आखिर इसी के लिए रखा गया है।'' गोरे साहब अपने अधीनस्थ सुपरवाइजरों से बोल पड़ते थे, ''काम हमारे घर का थोड़े ही है। सरकार का काम है तो काम होना चाहिए। सरकार उसके लिए ही हमें तनख्वाह देती है।''

लेकिन उनके व्यवहार से कर्मचारियों का एक वर्ग बेहद नाखुश था और वह एक सुर में उनकी आलोचना भी करने लगा था, ''इससे तो अच्छा उमाशंकर ही थे। काम के प्रति वे कभी गंभीर नहीं हुए। ये तो थका देते हैं। हम नहीं समझते थे कि गोरे साहब ऐसे हैं।''

इस बात की खबर गोरे साहब को

नहीं होती थी, लेकिन सुशील को हो जाती थी, ''जो काम जानता है, वह तो करवाएगा ही, जो नहीं जानता, वह क्या करवाएगा? वैसे उमाशंकर पांच लाख देकर आए थे नौकरी में और इंजीनियरिंग की डिग्री भी किसी प्राइवेट कॉलेज से ली थी। डिवीजनल इंजीनियर ने तो यहां तक कह डाला था कि इसकी डिग्री की जांच की जानी चाहिए, कहीं फर्जी तो नहीं है।''

''आपको इतना सब कैसे पता?'' चंद्रिका जो संयोगवश वह भी दलित था, हंसते हुए पूछ लिया था।

''चंद्रिका बाबू की नौकरी इतनी हरामी होती है कि किसके घर में क्या पका है, इसकी भी खबर हो जाती है उसे। यहां तक कि किस साहब की बीवी किसके साथ बंधी हुई है उसकी भी खबर, जबकि वह अपनी कुर्सी छोड़कर कहीं नहीं जाता। कहीं आए-गए बिना ही खबर हो जाती है उसे।'' सुशील भी चंद्रिका के साथ हंस पड़ा था, ''साहबों का कोई भी काम बाबुओं से ही होकर गुजरता है। हम लोग बहुत कुछ जानकर भी चुप रहते हैं।''

''ये तो है।'' चंद्रिका समझकर हामी भरा था।

जो सवर्ण कर्मचारी थे, गोरे साहब उनके लिए अग्राह्य बनते जा रहे थे। वे काम करना नहीं चाहते थे और इसी जुगाड़ में रहते कि उन्हें काम करना न पड़े। उमाशंकर के समय कुछ ले-देकर उन्होंने फायदा उठाया था, लेकिन गोरे साहब जुगाड़ के विरुद्ध थे। उनके पास कई आकर्षक ऑफर भी आए... गोरे साहब भी उमाशंकर जो जाएं। लेकिन आर्षक ऑफर के बाद भी गोरे साहब नहीं डिगे। उनका कहना था, ''इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं तुम लोगों से वही काम लेता हूं जो तुम्हारा काम है। तुम लोगों को काम करने में बेइज्जती महसूस होती है तो ये तुम लोगों की समस्या है, न कि मेरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम लोग ही पढ़े-लिखे हो। तुम लोगों के अलावा भी पढ़े-लिखे हैं और वे अपना काम बखूबी कर रहे हैं।

किसी के लिए गोरे साहब के पास बड़ी पैरवी भी आ चुकी थी, लेकिन वे किसी तरह टाल मटोल कर देते थे। ''हम लोगों के लिए ही कोई पैरवी नहीं है सर।'' सुशील ने बात छेड़ी थी, ''हम भी काम करना नहीं चाहते।'' हंस पड़ा था वह।

''कितने की पैरवियां सुनी जाएंगी, तब कौन काम करेगा यहां? एडमिनिस्ट्रेशन को काम चाहिए।'' गोरे साहब ने कहा था, ''डेली प्रोग्रेस चाहिए। प्रोग्रेस नहीं होने पर डांट मिलती है...इतना कम प्रोग्रेस क्यों हुआ?''

''कभी-कभी मैं सोचता हूं साहब... कल्पना की जाए कि इस डिपार्टमेंट में साहब से लेकर ग्रुप डी कर्मचारी तक, सभी के सभी सवर्ण आ जाएं तो क्या हो सकता है।'' सुशील ने बात छेड़ी थी।

''ऐसी हालत में डिपार्टमेंट बैठ जाएगा और क्या होगा।'' गोरे साहब ने झट कहा था, ''दलितों को योग्यता के नाम पर बदनाम किया जाता है, लेकिन वही बदनाम आदमी काम करता है। चपरासी कोई ब्राह्मण हुआ तो वह ब्राह्मण हो जाएगा, और बाबा को ऑफिस में झाड़ू लगाने में शरम लगेगी। चाय की जूठन उठाने में उसकी पवित्रता भंग हो जाएगी। कोई भूमिहर-राजपूत आएगा तो वह जमींदार घराने से ताल्लुक रखता है। उसके पास सौ बिघे की काश्तकारी है। लेकिन वे चपरासी भी बनना चाहते हैं और बाबू साहब भी। जब ऐसी ऊंचाई है तो मत स्वीकार करो ग्रुप डी की नौकरी, लेकिन वह भी चाहिए। तो करो जिस तरह की नौकरी है वैसा काम।'' गोरे साहब ने जैसे उनकी नस पकड़ी ली हो जैसे।

''गोरे साहब बहुत काम करवाते हैं।'' सवर्ण कर्मचारियों की शिकायत थी। वे संगठित होने की फिक्र में थे। लेकिन ऐसा इसलिए संभव नहीं हो पा रहा था कि वे एक जगह पर नहीं थे। लेकिन कोशिश कर रहे थे, जिनमें प्रमुख थे ए.के. सिंह सुपरवाइजर और अर्जुन सिंह ग्रुप डी का कर्मचारी। जो सुबह लगभग रोज दफ्तर में ही रहता था। उसका काम था गोरे साहब की गुप्तचरी करना और जिससे वे किस तरह की बात करते हैं, उसकी खबर ए.के. सिंह तक पहुंचाना।

शाम का समय। दफ्तर से अपने आवास की तरफ आ रहा था कि उसका मोबाइल बजा। देखा कि ए.के. सिंह का कॉल है, ''हैल्लो...।''

''क्या सुशील बाबू?'' ए.के. सिंह का लहजा व्यंग्यात्मक था।

''बोलिए...।'' सुशील कुछ समझ नहीं पाया।

''सुनते हैं, गोरे साहब के चमचा हो गए हैं।'' ए.के. सिंह जैसे पी रखी हो।

''मैं उनका बाबू हूं, वे मेरे इंचार्ज हैं। मुझे उनका बाबू समझिए या चमचा। जब तक वे मेरे इंचार्ज हैं, उनकी चमचई करूंगा ही। कोई भी इंचार्ज बनकर आएगा...इंचार्ज चाहे भोथरा हो या तेज, मेरी ड्यूटी ही है उसकी चमचई करना। फल आप भी इंचार्ज बनकर आइएगा तो आपका चमचा हो जाऊंगा।'' सुशील ने अपने गुस्से की नियंत्रित किया था।

''आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं।''

''किसने कह दिया?''

''मुझे मालूम होता रहता है।''

''कोई तो जरूर कहता होगा। आप राजपूत हैं तो ऐसा नहीं कि आपको ऐसी शक्ति मिली हुई है कि दूर बैठकर ही हमारी गतिविधियों को देख लेते हैं?''

''कहीं से पता हो ही जाता है, और गोरे साहब को भी कह दीजिएगा

कि होश में रहे, नहीं तो होश छुड़ा देंगे हम।'' धमकी भरी आवाज थी ए.के. सिंह की।

''इस बात को जो आप मुझे कह रहे हैं, आप उन्हें ही क्यों नहीं कह देते, उनके पास भी मोबाइल है, कि उनकी आड़ में मुझे धमका रहे हैं? यदि ऐसा है तो आप मेरा एक रोंया भी नहीं टेंढ़ा कर सकते हैं और आपकी रजपूतई भी न निकाल दिया तो मेरा नाम नहीं। यदि हिम्मत है तो यही बात जरा आप मेरे सामने आकर कहिए। देखता हूं कि आप मेरा क्या बिगाड़ते हैं कि मैं आपका बिगाड़ता हूं।'' सुशील बिगड़ पड़ा था, ''एक दलित इंचार्ज बन गया तो फट रही है तो आप भी बन जाइए इंचार्ज यदि आप उस योग्य हैं तो...बोलिए कल आप आ रहे हैं मेरा बिगाड़ने के लिए? इंचार्ज आपके विरुद्ध करता ही क्या है? काम करने के लिए ही तो कहता है कि अपने घर का जूठन साफ करने के लिए कहता है?''

उधर से फोन बंद होने पर भी सुशील बोलता रहा था।

सुबह जब गोरे साहब आए तो इस बात का जिक्र उनसे किया था। तब उन्होंने भी कहा, ''मेरे पास भी उसका फोन आया था, लेकिन मैंने अटेंड ही नहीं किया।''

''सर, आखिर वह इस तरह फोन क्यों करता है? यदि चाहूं तो इसी आधार पर उसकी गर्दन पकड़ सकता हूं।'' सुशील थोड़ा तैश में आ गया था।

''क्या करेंगे, उसे बेचैनी हो रही है।''

''एक दलित के अधीनस्थ उसे काम करना पड़ रहा है।''

''ऐसी बातों का तो सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई तो है जो दफ्तर का रिपोर्ट उसे देता है?'' शंका जाहिर की थी गोरे साहब ने।

''देखता हूं वह हजरत कौन है।''

सुशील की निगाह अर्जुन सिंह की गतिविधियों पर सख्त हो गई थी। जब गोरे साहब अपने चैम्बर में आए और सुशील कुछ पेपर लेकर उनके पास गया और जब वह अपनी जगह आने लगा था तो देखा, अर्जुन सिंह दरवाजे से थोड़ा हटकर इस तरह खड़ा है कि चैम्बर में होने वाली बातों को वह सुन सके। और जब सुशील अपनी जगह आ बैठा तो चन्द्रिका को कहा, ''देख रहे हो चन्द्रिका...?''

''क्या...?''

''यही कि दो के बीच बातचीत होने की खबर चालीस किलोमीटर दूर बैठे शख्स तक कैसे चली जाती है।''

''मैं समझा नहीं...।''

''बातें रिकॉर्ड करने के लिए कान खड़े हैं।''

अर्जुन सिंह समझ गया था सुशील की बातें, वह दरवाजे से हटकर सुशील के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था, ''आप कुछ कह रहे हैं?''

''नहीं, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं।''

''मैंने तो कुछ किया ही नहीं कि मेरी प्रशंसा की जाए।''

''जो करता है उसे अपनी खूबियां नजर नहीं आती हैं। जो करते हो तुम उसमें खूबियां ही खूबियां देख रहा हूं।'' सुशील हंस पड़ा था।

''आप मजाक कर रहे हैं।'' लगता था अर्जुन सिंह को सुशील की बातें समझ में आ गई थीं।

''मजाक करने की वजह भी होनी चाहिए।''

अर्जुन सिंह धीरे से दफ्तर से बाहर आ गया था। जहां पर अन्य कर्मचारी खड़े थे और सेक्शन में जाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं वह खड़ा हो गया था।

गोरे साहब एक-एक को अपने चैम्बर में बुलाकर प्रोग्राम दे रहे थे... क्या-क्या करना है। कुछ को डांट भी रहे थे। बीच-बीच में सुशील को भी बुला लेते।

जब गोरे साहब भी निकल गए सेक्शन में तो दफ्तर में रह गए थे सिर्फ सुशील और चन्द्रिका। काम निपटाने के दौरान की कहा सुशील ने, ''अब भी रजपूतई नहीं गई।''

''किसके बारे में कह रहे हैं? चन्द्रिका ने उत्सुकता दिखलाई थी।

''अरे यही अर्जुन सिंहवा के बारे में...।''

''रजपूतई अब भी उसके पोर-पोर से चूता हैं, मैं भी देखता हूं। जरा उसका चाल-ढाल देखिए और बातचीत भी, फॉरवर्डी उसकी हर बात से टपकती है। लेकिन उसकी बदकिस्मती है कि इंचार्ज भी दलित और बाबू भी। सलाम दोनों को ही ठोंकना पड़ता है, उसका मन रहे या न रहे। उसे अफसोस है कि उसे दलितों को सलाम करना पड़ता है।''

''जब ऐसी बात है तो ग्रुप डी की नौकरी ही नहीं स्वीकारता...बनता साहब-हाकिम।''

''साहब-हाकिम बनने के लिए योग्यता भी तो चाहिए, और जानते हैं.. इसके घर बाबन बिगहे में पुदानी होता है, लेकिन चटनी भी नहीं मिलती खाने के लिए।'' चन्द्रिका ठठाकर हंसा था, ''आपने कभी राजपूत खाना खाया है?''

''नहीं...।''

''किसी की शादी में भी नहीं?''

''एक बार गया था जब नया-नया मैं आया था यहां। रामाधार सिंह को जानते ही हो तुम। अपने बेटे की शादी में हम सभी को बुलाया था। जब गए तो पत्तल में एक बार जो परोसा फिर दोबारा नहीं आया परोसने। हम लोग चिल्लाते रहे कुछ और परोसने के लिए, लेकिन दोबारा कोई नहीं आया हमारे पास। पानी भी ठीक से नहीं पिलाया। डेरे पर आकर

पानी पिया। सबसे बड़ी बात, रामावतार सिंह भी नहीं आए हमारे पास ये पूछने कि कोई कमी रह गई। तब से पूछे जाने पर भी नहीं जाता। उन लोगों के पास।'' सुशील पुरानी बातें सुना रहा था।

''इनके यहां यही होता है। न्यौतेंगे हजार को और इंतजाम करेंगे सौ का। एक बात और देखेंगे, इनकी कमियों की शिकायत इनके बिरादरी वाले कभी नहीं करते। यदि इसी तरह की बात हम लोगों के घर में होगी तो अपने लोग भी पानी पी-पीकर कोसते हैं।'' चन्द्रिका हंस पड़ा था, ''इनकी बात ही छोड़िए।''

''बड़ों का बड़ा नाम होता है, बहुत सारी चीजें ये लोग पचा जाते हैं। हम लोग छोटी चीज भी नहीं पचा पाते।''

''तभी तो वे बड़े हैं और हम छोटे।''

कर्मचारियों की बड़ी संख्या में रिक्तियां चल रही थी। लेकिन काम हो ही रहा था कम कर्मचारियों के होते हुए भी। गोरे साहब कम कर्मचारियों से भी बड़े-बड़े काम करवा लेते थे। ऐसा लगता था, वे यही सोचते थे कि एक आदमी से कैसे अधिक से अधिक काम लिया जाए। सुशील भी उनकी चपेट में आ जाता था, क्योंकि वह भी दो के बदले एक ही काम कर रहा था। रूटीन वर्क तो होता ही था, जो रूटीन वर्क से इतर होता था, उनकी एक फेहरिस्त देते थे गोरे साहब और दूसरी सुबह उससे पूछते थे, ''जरा बताइए...क्या-क्या किया आपने।'' कभी कोई काम छूट जाता तब सवाल दागते, ''क्यों नहीं हुआ?'' सुशील कहता, ''रूटीन वर्क को भी तो निपटाना होता है सर, उसी में टाइम खत्म हो गया।''

''ठीक है, इसे भी कर दीजिए।''

सुशील पर काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। उसकी व्यस्तता बढ़ गई थी। कभी-कभी तो शाम में दो-दो घंटे तक बैठा रहता। जब गोरे साहब हेड क्वार्टर में होते तो वे भी आ बैठते। जब देखते कि देर हो रही है तो सुशील के पास आकर बोलते, ''ओवर टाइम मिलेगा?''

''बाबुओं को ओवर टाइम कहां मिलता है सर?''

''चलिए, काम कभी खत्म नहीं होने वाला है।''

रिक्तियों के अनुसार एक बड़ी खेप आई थी नए कर्मचारियों की। वे अपनी ड्यूटी रिपोर्ट कर रहे थे। सुशील उनकी जातीय स्थिति जानने की कोशिश कर रहा था। जैसे-जैसे वे आ रहे थे, वैसे-वैसे सेक्शन में जहां रिक्तियां थी, उन्हें पद स्थापना के लिए ब्रांच ऑफिसर से अनुशंसा की जा रही थी। अब तक जितने भी आए थे सवर्णों की संख्या अधिक थी। एक तो आते ही सुशील से घिघियाने लगा था, ''आप सर, मुझे अपने साथ रख लीजिए। आपके कामों में मदद कर दिया करूंगा।''

''अभी तो तुमने लिखित रूप में ड्यूटी भी रिपोर्ट नहीं की है और दफ्तर में रहने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो।''

नए कर्मचारी सीधी भर्ती से आए थे। पढ़े-लिखे थे। कुछेक ने तो इतना तक कह दिया था, ''पढ़ा-लिखा हूं कैसे काम होगा?''

''यहां बाबू, सभी पढ़े-लिखे ही आए हैं, वे चाहे सवर्ण हो या अवर्ण कितने लोगों को दफ्तर में रखा जाएगा? एक-दो की बात होती तो सोचा जा सकता था, वैसे फिलहाल मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम करने में सक्षम हूं।''

एक लड़के ने सुशील से कहा था, ''साहब से सेट करवा दीजिए न, जितना मांगेंगे दे दूंगा, लेकिन ड्यूटी नहीं करूंगा। मुझे दूसरी चीज की तैयारी करनी है।''

सुशील ने लड़के के साहस की दाद दी थी...जुम्मा-जुम्मा आठ दिन भी नहीं हुए और वे विचार? वह कुछ गुस्से में आ गया था, ''साहब ऐसा नहीं हैं कि वे तुम्हारे प्रलोभन में आ जाएंगे। उनसे भूलकर भी मत कहना इस तरह की बात। हां, काम करो अभी, इस डिपार्टमेंट में घूमना भी एक काम है। लेकिन बाबू, फिलहाल जो तुम्हारा काम है, करना ही पड़ेगा।''

उसकी पैरवी भी आने लगी थी। लड़के गोरे साहब का मोबाइल नम्बर जुगाड़ कर अपने पैरवीकारों को दे चुके थे। और वे रात में उन्हें फोन करते। सुबह सुशील से कहते, ''बहुत पैरवी आ रही है और बड़े-बड़े लोगों की आ रही है।''

सुशील हंसते हुए कहता, ''सर, अभी जहां हैं वहीं रहने दीजिए साल-छः महीने, फिर कहीं दूसरी जगह दीजिए उन्हें। उन्हें भी तो समझ में आए क्या काम होता है ग्रुप डी का। कोई काम करना ही नहीं चाहता। और भी पैरवियां आएंगी।''

''सरकार से पूछना चाहिए कि इतने पढ़े-लिखे को ग्रुप डी में क्यों भरती ली जा रही है।'' गोरे साहब बोलते।

''सरकार ने तो योग्यता निर्धारित कर दी है। एम.ए., बी.ए. वाले आ जा रहे हैं तो सरकार क्या करेगी। और ये लोग फार्म भरते समय अपनी डिग्रियां छुपाई भी होंगी।''

नई भर्ती के बाद अर्जुन सिंह के नेतृत्व में सवर्ण लड़कों की गोलबंदी शुरू हो गई थी। सूत्रधार था ए.के. सिंह। दूसरे लड़कों की अपेक्षा सवर्ण लड़के कुछ ज्यादा ही उदंड होने लगे थे। वे मेट से उलझ जाते। मेट इंचार्ज को रिपोर्ट करता। जो मेट स्थानीय था, वह निपट लेता। जो बाहर के थे...। एक बार ऐसा हुआ कि सुरेश नाम के मेट को किसी ने कह दिया कि वह गोली मार देगा। जब मेट के बाल-बच्चों को इसकी खबर लगी तो वे लाठी-डंडा लेकर आ गए साइट पर, ''कौन हो, देखते हैं कितना गोली

चलाते हो?'' सुरेश ने ही अपने लोगों को समझाया, ''अभी नया-नया है, उसे पता नहीं है कि वह क्या बोल रहा है।'' लेकिन इस बात का पता गोरे साहब हो हो गया, तो उनकी नजर उस लड़के पर टेढ़ी हो गई।

कभी शिकायत मिलती, जितना काम दिया जाता है, उतना नहीं करते। सवाल करते, ''कहां लिखा हुआ है कि इतना काम करना ही है?''

मेट बोलता, ''इंचार्ज से बात करो। जो होता आया है, इतना ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग आए हो तो नया विधि-विधान बना है। बाबू, काम करने में इज्जत जाती है तो इसमें मैं या इंचार्ज या डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? ऐसा भी तो नहीं कि जो करना है उससे अलग काम करवाया जाता है। ऐसा भी नहीं कि तुम्हें इस काम के लिए जबरदस्ती भर्ती की गई है।''

''हम जानते ही नहीं थे, नहीं तो आते ही नहीं।''

''तुम लोग एक बड़ी तादाद में भर्ती हुए हो। इतनी भर्ती एक साथ होने का मतलब तो जानना चाहिए कि चपरासी-चौकीदार की भर्ती नहीं हो रही है कि दफ्तर में झुकनियाते रहो। दफ्तर में एक दो की जरूरत है, न कि हजार-दो हजार की।''

गोरे साहब इधर रोज तनाव में रहते, ''नए लड़कों ने तो परेशान कर दिया और गुटबाजी भी कर रहे हैं।'' सुशील उनके सामने आता तो परेशान शब्दों में बोल पड़ते।

''सब ठीक हो जाएगा सर, अभी नए-नए हैं, उछल रहे हैं। कुछ ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरी नौकरी में चले जाएंगे। जब वे दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे तो फिर जाएंगे कहां?''

''गुटबाजी भी करने लगे है। ए.के. सिंह और अर्जुन सिंह नेता बन गए हैं।''

''बनने दीजिए, काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गुटबाजी करने से उन्हें छूट मिल जाएगी। डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि पहले काम फिर कुछ और। आप नहीं करेंगे कुछ उनके खिलाफ तो ऊपर वाले तो करेंगे ही। ए.के. सिंह सुपरवाइजर है, कोई उसकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा जात के नाम पर।''

आजकल चार्जशीट खूब दे रहे थे गोरे साहब। सुशील चार्जशीट लिखते-लिखते परेशान। दो-चार को सस्पेंड भी कर चुके थे गोरे साहब।

''ये सब जरूरी है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वे आम आदमी नहीं है।'' चार्ज शीट देकर गोरे साहब कुछ को दंडित भी कर चुके थे।

इस हाल में यूनियन वाले भी सक्रिय हो गए थे। अधिकारियों के साथ उनकी बैठकें भी होने लगी थीं। यूनियन की शिकायत थी, ''कर्मचारियों को दंडित क्यों किया जा रहा है?''

''तब छोड़ दिया जाए यूं ही? अब वे काम नहीं करेंगे तो आप लोग ही बताएं इस दशा में क्या किया जाना चाहिए?'' गोरे साहब अपनी जगह पर थे।

''नए लड़के हैं, एडजस्ट होने में उन्हें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही।'' यूनियन की तरफ से तर्क दिया गया था।

''मैनुअल के अनुसार ही उन्हें काम दिया जा रहा है। जहां पर काम थोड़ा मुश्किल होता है, वहां पर काम की मात्रा कम कर दी जाती है। इसके बावजूद भी वे नहीं करते हैं तब क्या किया जा सकता है? काम करने में यदि उन्हें पढ़े-लिखे होने का घमंड आड़े आता है तो इस डिपार्टमेंट में उन्हें आना ही नहीं चाहिए था। डिवीजन लेवल से हम लोगों पर दबाव बनाया जाता है कि पहले आदमी नहीं थे, अब हो गए हैं तो प्रोग्रेस कम क्यों हो रहा है। यूनियन वाले हैं। आप लोग तो आप की भी जिम्मेवारी बनती है कि डिपार्टमेंट में अच्छा हो। आप लोग भी उन्हें समझाइए कि इस डिपार्टमेंट में इसी तरह के काम होते हैं। वे सच को स्वीकारें।'' गोरे साहब उत्तेजित लगने लगे थे।

यूनियन वाले चुप।

''यहां तो उन्होंने जात के नाम पर गुट भी बना लिया है। हमारे कुछ लोग उस गुट को खाद-पानी भी दे रहे हैं। उन्हें शायद ये पता नहीं कि पहले काम है फिर जात। काम के बाद जातिगिरी करते रहिए न, मना कौन करता है। और भी लड़े हैं। जिनका कोई गुट नहीं है, जबकि वे भी नए हैं। उन लोगों ने भी इस तरह का काम नहीं किया है कभी, फिर भी कर रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट का काम किसी खास जाति से संबंध रखता है? मुझे भी भला-बुरा कहा जाता है तो कहें, मुझे काम चाहिए और जब तक रहूंगा, कामचोरी नहीं करने नहीं दूंगा। मुझे यहां काम लेने के लिए ही रखा गया है। रही गुटबाजी तो वह भी देख लूंगा।'' गोरे साहब खासा उत्तेजित हो गए थे।

''गोरे साहब मुरदों से भी काम ले सकते हैं। वे सिद्धहस्त हैं किसे डांटना है, किसे चुपकारना है।'' लुगुन नाम का सुपरवाइजर सुशील से बोल रहा था।

''ये तो है...।'' सुशील ने हामी भरी थी, ''मुझे अच्छा लगता है उनका ये जुनून। ये फॉरवर्ड क्लास वाले भी मान जाएंगे।''

''अब वे भी आ रहे है रास्ते पर।''

''शायद इस उम्मीद पर कि गोरे साहब के बाद कोई फॉरवर्ड इंचार्ज आएगा।''

''वह तो और काम हनकर लेगा। काम न होनेपर उसे भी बांस किया जाएगा। जब बांस होगा तो अपनी जाति भूल जाएगा।'' ■

(लेखक जाने-माने कहानीकार है)

सम्पादक के नाम पत्र

अच्छी पत्रिका

सम्पादक महोदय,

'सामाजिक न्याय संदेश' एक अच्छी पत्रिका है। पत्रिका से सभी पाठकों को प्रेरणा मिलती है कि वे अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट कर करें। इस पत्रिका द्वारा बाबासाहेब अम्बेडकर और दलित संत महात्माओं के चरित्र की जानकारी मिलती है। पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर हिन्दी में तथा अंतिम पृष्ठ पर 'भारत का संविधान' की मुख्य पंक्तियां अंकित है। अच्छी लगी। मेरा आपसे निवेदन यह है कि जैसा कि पत्रिका का शीर्षक ''सामाजिक न्याय संदेश'', सामाजिक न्याय का उदाहरण सहित सम्पादकीय लेख में विवरण करें।

मैं भी इस पत्रिका का सदस्य हूं मेरे आर्टिकल्स, तथा लेखों को इस पत्रिका में छपवायें। आपकी अति कृपा होगी। लेख/आर्टिकल्स मेरे द्वारा ही रचित है।

धन्यवाद

आर.पी. सिंह
नई दिल्ली

पत्रिका दलित स्त्री की समाज में वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराती है

सम्पादक महोदय,

मैं एक शौध छात्रा हूं और मेरा शौध स्त्री विमर्श पर हैं। भारतीय समाज में स्त्री चाहें सवर्ण हो या दलित दोनों को संस्कृति की लाठी पड़ती रहती है। पुरुष सत्तात्मक समाज की नियति में स्त्री घुट-घुट कर जी रही है। 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका के माध्यम से दलित एवं गैर दलित समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में सार्थक जानकारी मिलती है। संपादक महोदय से अनुरोध है कि स्त्री समाज पर अम्बेडकर के विचार पर एक विशेषांक निकाला जाए तो शौध एवं समाज दोनों के लिए उपयोगी होगी।

संगीता वर्मा
इलाहाबाद, उ.प्र.

'पत्रिका वंचित समाज का दर्पण'

सम्पादक महोदय,

'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका को जब मैं पढ़ता हूं तो इसकी विषय वस्तु में समकालीन संदर्भो को विशेष स्थान पाता हूं। यह पत्रिका भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में वंचितों की स्थिति को दर्शाती हैं। साथ ही भारतीय संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों एवं उन पर आधारित लेख समाजोपयोगी ही नहीं बल्कि शौध के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। मैं इस पत्रिका से वंचित समाज की स्थिति के बारे में सही एवं सार्थक जानकारी प्राप्त करता हूं।

अभय कुमार
नई दिल्ली

'पत्रिका दलित आत्मकथाओं का प्रतिबिंब'

सम्पादक महोदय,

आपको 67वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें। 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका का सितम्बर 2015 का अंक पढ़ा तो उसमें 'दलित आत्मकथाओं का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन' नामक लेख बहुत अच्छा लगा और आत्मकथाओं से दलित जीवन के बारे में अभूतपूर्ण जानकारी हासिल की। महोदय दलित साहित्य लेखन भारतीय साहित्य में अपना प्रमुख स्थान बना चुका है और शौध के क्षेत्र में भी काफी इजाफा हुआ है। संपादक महोदय से अनुरोध है कि भारतीय भाषाओं में लिखित दलित आत्मकथाओं का संक्षिप्त विवरण 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका में प्रस्तुत किया जाए जिससे भारतीय समाज को वंचित वर्गों के जीवन के बारे में पूरी जानकारी मिल पायेगी।

साहबदीन
नई दिल्ली

'पत्रिका भारतीय समाज की वास्तविक सोच का पर्दाफाश करती है'

सम्पादक महोदय,

आरक्षण भारतीय समाज एवं राजनीति दोनों को हमेशा से प्रभावित करता रहा है। आरक्षण संविधान द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो को किया गया संवैधानिक मौलिक अधिकार है लेकिन आजादी के 6 दशक बाद भी सवर्ण समाज द्वारा इसे गैर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा महसूस होता है कि आरक्षण सवर्णो द्वारा दी गई भीख है। 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका के माध्यम से आरक्षण को लेकर एक नये विचार को पढ़ा और जाना। संपादक महोदय से उम्मीद करता हूं कि इसी तरह के ज्वलंत विषयों को पत्रिका में शामिल करते रहे जिससे दलित वर्गों की ओर सामाजिक सोच की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा।

विजयप्रकाश सांवला
अलवर, राजस्थान

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संगठन) की मासिक पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

सम्पादक : सुधीर हिलसायन

सम्पादकीय सम्पर्क : 011-23320588/सब्सक्रिप्शन सम्पर्क : 011-23357625

मई 2015

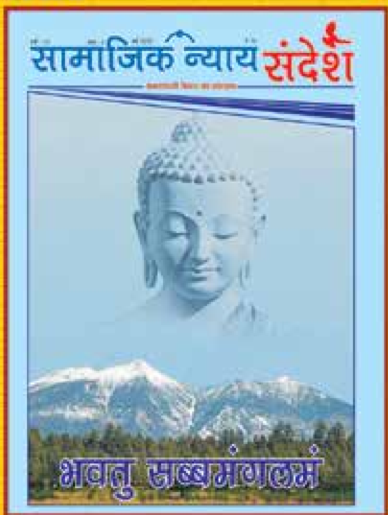

जून 2015

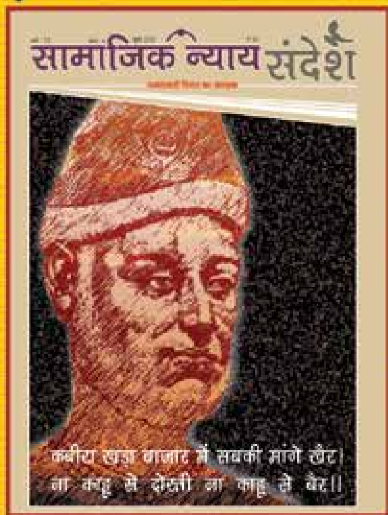

जुलाई 2015

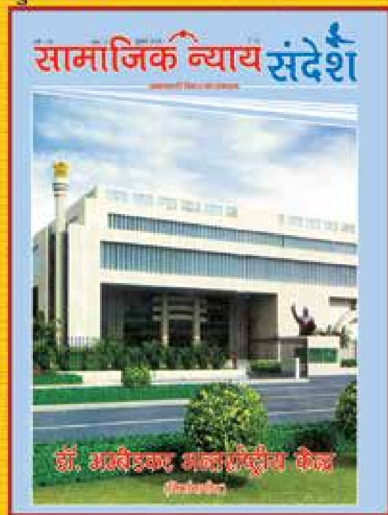

अगस्त 2015

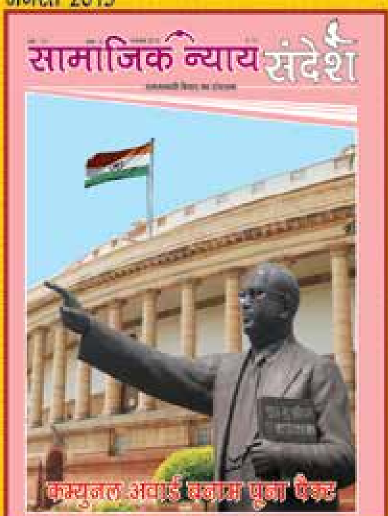

सितम्बर 2015

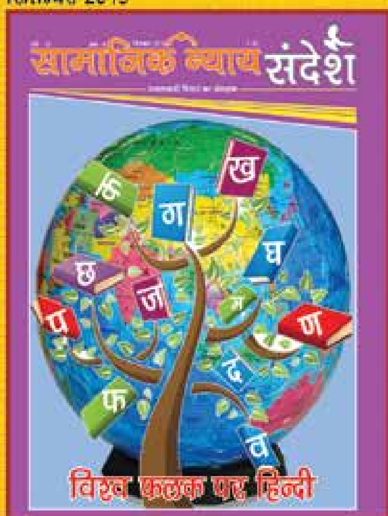

अक्टूबर 2015

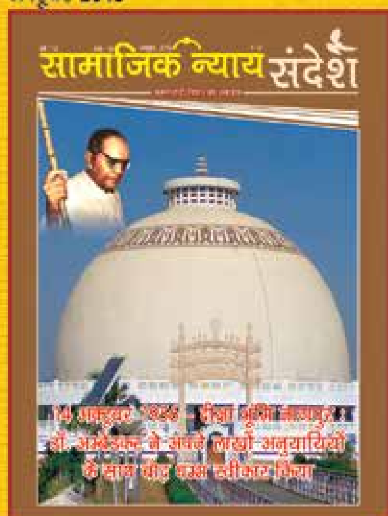

स्वयं पढ़े एवं दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें।

पाठक सदस्य बनें

कार्यालय : 15, जनपथ, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–23320588, 23320589, 23357625 फैक्स: 23320582

E-mail: hilsayans@gmail.com / Website: www.ambedkarfoundation.nic.in

पत्रिका उपर्युक्त वेबसाइट पर पढ़ी/देखी जा सकती है।

सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका *'सामाजिक न्याय संदेश'* का प्रकाशन पुनः आरम्भ हो गया है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के संदेश को आम नागरिकों तक पहुंचाने में 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' से बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन को जानने/समझने में मदद मिलेगी ही तथा फाउन्डेशन के कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी।

सामाजिक न्याय के कारवां को आगे बढ़ाने में इस पत्रिका से जुड़कर आप अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज ही पाठक सदस्य बनिए, अपने मित्रों परिवार-समाज के सदस्यों को भी सदस्य बनाईए, पाठक सदस्यता ग्रहण करने के लिए एक वर्ष के लिए रू. १००/-, दो वर्ष के लिए रू. १८०/-, तीन वर्ष के लिए रू. २५०/-, का डिमांड ड्राफ्ट, अथवा मनीऑर्डर जो **'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन'** के नाम देय हो, फाउन्डेशन के पते पर भेजें या फाउन्डेशन के कार्यालय में नकद जमा करें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके अमूल्य सुझाव का भी हमेशा स्वागत रहेगा। पत्रिका को फाउन्डेशन की बेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर भी देखी/पढ़ी जा सकती है।

– सम्पादक

सामाजिक न्याय संदेश सदस्यता कूपन

मैं, डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का ग्राहक बनना चाहता /चाहती हूं/

शुल्कः वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 100/-, **द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 180/-, **त्रैवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 250/-। (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

मनीऑर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट नम्बर...दिनांक.......................संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर 'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन' के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

....पिन कोड ....

फोन/मोबाईल नं......................................ई.मेलः ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित निम्न पते पर भेजिए :

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन

15 जनपथ, नई दिल्ली-110 001 फोन न. 011-23320588, 23320589, 23357625

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

पढ़ें व पढ़ाएं

CALENDAR 2016

JULY

M	T	W	T	F	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

26 July : Idu'l Fitr

AUGUST

M	T	W	T	F	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

15 Aug : Independence Day; 25 Aug : Janmashtami

SEPTEMBER

M	T	W	T	F	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

12 Sept : Id-ul-Zuha (Bakrid)

OCTOBER

M	T	W	T	F	S	S
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

02 Oct : Mahatma Gandhi Birthday;
11 Oct : Dussehra; 12 Oct : Muharram;
30 Oct : Deepavali

NOVEMBER

M	T	W	T	F	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

14 Nov : Guru Nanak's Birthday
26 Nov : Constitution Day

DECEMBER

M	T	W	T	F	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

24 Dec : Milad-Un-Nabi/Id-E-Milad;
25 Dec : Christmas

Gazetted Holidays
Restricted Holidays

पत्रिका के पाठक सदस्यता हेतु एक वर्ष - 100/-, द्विवार्षिक 180/-, त्रैवार्षिक 250/-का डिमांड ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर "डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन" के नाम देय हो। फाउंडेशन के पते पर भेजें या कार्यालय में नकद जमा करवायें 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 के नाम डिमांड ड्राफ्ट भेजें। फोन: 011-23357625, 23320588

RNI No. DELHIN/2002/9036

प्रकाशक व मुद्रक जी.के. द्विवेदी द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के लिए इण्डिया ऑफसेट प्रेस, ए-1,
मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110064 से मुद्रित तथा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित।
सम्पादक : सुधीर हिलसायन